


**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
(आर्थिक क्षेत्र)**

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

**उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या-1**



विषय—सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
प्राककथन		v
विहंगावलोकन		vii-x
अध्याय-1 प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में	1.1	1
बजट की रूपरेखा	1.2	1
राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.3	2
सतत बचतें	1.4	2
भारत सरकार द्वारा निर्गत सहायता अनुदान	1.5	3
लेखापरीक्षा की योजना एवं सम्पादन	1.6	3-4
निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति सरकार की उदासीनता	1.7	4
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों (प्रस्तरों / समीक्षाएँ) पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.8	4-5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण	1.9	5
लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर की गई वसूली	1.10	6
राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के लिये पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की स्थिति	1.11	6
अध्याय-2 निष्पादन लेखापरीक्षा		
पर्यावरण विभाग		
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण नियमों एवं कानूनों के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1	7-48
पर्यटन विभाग		
राज्य पर्यटन परिपथों में सुविधाओं के उन्नयन और विस्तारीकरण पर लेखापरीक्षा	2.2	49-62
अध्याय-3 अनुपालन लेखापरीक्षा		
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग		
भूखण्डों के विक्रय पर अधिभार न लगाया जाना	3.1	63
नगरीय विकास प्रभार का कम लगाया जाना	3.2	63-65
ब्याज का परिहार्य भुगतान	3.3	65-66
सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग		
ब्याज की परिहार्य हानि	3.4	66-67

परिशिस्तियाँ			
संख्या	विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
1.1	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा प्रस्तरों के विवरणों को दर्शाती हुई विवरणी	1.7	69
1.2	राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत की जाने वाली लम्बित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को दर्शाती हुई विवरणी	1.11	70
2.1	जल अधिनियम, वायु अधिनियम एवं प.सं. अधिनियम के तहत बोर्ड की भूमिका	2.1.1	71
2.2	यूपीपीसीबी का संगठनात्मक ढाँचा	2.1.2	72
2.3	बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला में उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं का विवरण	2.1.7.3	73
2.4	बोर्ड की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं का विवरण	2.1.7.3	74
2.5 (अ)	क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के पंजीकरण हेतु आवश्यक अनुपलब्ध आधारभूत ढाँचा एवं अन्य उपकरण/संयंत्रों की अनुसूची	2.1.7.3	75-76
2.5 (ब)	प०सं० अधिनियम के तहत पर्यावरण प्रयोगशालाओं के पंजीकरण हेतु दिशानिर्देश के परिशिष्ट-द (ब) के अनुसार परिसंकटमय अपशिष्ट के परीक्षण हेतु आवश्यक क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में अनुपलब्ध उपकरणों का विवरण	2.1.7.3	77
2.6	बैंक विवरणी/पास बुक एवं रोकड़ बही के अनुसार बैंक अवशेष में अंतर दर्शाता विवरण	2.1.8.3	78
2.7	प्रदूषण नियंत्रण उपायों के मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वास्तविक व्यय का विवरण	2.1.8.5	79-80
2.8 (अ)	जल के मूलभूत गुणवत्ता मानदण्ड का विवरण	2.1.9.1	81
2.8 (ब)	उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों/झीलों/तालाबों में 2013 से 2015 के दौरान प्रदूषण के स्तर का विवरण	2.1.9.1	82-83
2.9 (अ)	गंगा नदी में 2011 से 2015 के दौरान प्रदूषण का स्तर (औसत दर)	2.1.9.1	84
2.9 (ब)	गोमती नदी में 2011–2015 के दौरान प्रदूषण का स्तर (औसत दर)	2.1.9.1	85
2.10 (अ)	वर्ष 2011–15 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में परिवेशी वायु में पीएम ₁₀ की स्थिति (वार्षिक औसत मान माइक्रोग्राम/घन मीटर) का विवरण	2.1.9.2	86
2.10 (ब)	थर्मल पावर स्टेशनों द्वारा वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान फ्लाई एश के उत्पादन एवं उपयोग का विवरण	2.1.9.2	87-88
2.11	उत्तर प्रदेश में संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं की वर्तमान स्थिति	2.1.9.5	89-90
2.12	उत्तर प्रदेश राज्य में ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण/संग्रह/उत्पादन इकाइयों की स्थिति	2.1.9.7	91-92
2.13	सहमति जारी करने में देशी के प्रकरणों का विवरण	2.1.10.1	93
2.14	उद्योग की श्रेणी/आकार के आधार पर किये जाने वाले निरीक्षणों की संख्या का विवरण	2.1.10.2	94
2.15	निर्धारित लक्ष्य के निर्धारण में कमी दर्शाता विवरण	2.1.10.2	95
2.16	यूपीपीसीबी मुख्यालय द्वारा औद्योगिक उत्प्रवाह का नमूना संग्रहण एवं विश्लेषण का निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण	2.1.10.2	96
2.17	यूपीपीसीबी मुख्यालय द्वारा सतही जल के नमूना संग्रह एवं विश्लेषण का निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण	2.1.10.2	97
2.18	यूपीपीसीबी मुख्यालय द्वारा औद्योगिक उत्सर्जन के नमूना संग्रहण एवं विश्लेषण का निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण	2.1.10.2	98
2.19	बोर्ड का आंतरिक नियंत्रण तंत्र	2.1.10.3	99
2.20	जनशक्ति की कमी का विवरण	2.1.10.3	100
2.21	चयनित योजनाओं के अन्तर्गत कार्य की प्रकृति	2.2.1	101-102
2.22	2011–12 से 2015–16 की अवधि के लिए बजट विवरण	2.2.3	103
2.23	वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में किया गया परिपथ वार व्यय	2.2.3	104
2.24	चयनित योजनाओं का परिपथ वार व्यय	2.2.3	105-106
2.25	योजनाओं का विवरण जिन्हें सीधे पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेजा गया	2.2.3.1	107
2.26	पूर्ण योजनाओं की स्थिति को दर्शाती विवरणी	2.2.4.1	108
2.27	चालू केन्द्रीय वित्त पोषित योजनाओं में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी धन का अवरुद्ध होना	2.2.4.2	109-110
2.28	कार्य निष्पादन में देशी के कारण केन्द्रीय वित्तीय सहायता का कालातीत होना	2.2.4.2	111-112

2.29	स्थल/भूमि का चयन न होने के कारण क्रियान्वित नहीं की जा सकने वाली केन्द्रीय वित्त पोषित योजनाएँ	2.2.4.2	113
2.30	केन्द्रीय वित्त पोषित योजनाओं का विवरण जिनमें निधियों को उत्तर प्रदेश शासन एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निष्क्रिय रखा गया	2.2.4.2	114-115
2.31	बिना किसी पूर्व निर्धारित समयबद्ध सीमा के चल रही उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्त पोषित योजनाओं का विवरण	2.2.4.3	116
2.32	राज्य वित्त पोषित योजनाओं में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निष्क्रिय रखी गयी निधि के कारण ब्याज की हानि	2.2.4.3	117
2.33	गैर अधिसूचित कार्यदायी संस्थाओं को कार्य के आवंटन को दर्शाती विवरणी	2.2.4.4	118
2.34	तकनीकी स्वीकृति के बिना कार्य का प्रारम्भ	2.2.4.4	119
2.35	कार्यदायी संस्था द्वारा श्रम उपकर जमा न करने का विवरण	2.2.4.4	120
3.1	उद्घरित न किये गये अधिभार को दर्शाता विवरण	3.1	121-123
3.2	सरकारी कोष पर ब्याज की हानि प्रदर्शित करता विवरण	3.4	124



प्राक्कथन

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा के विशिष्ट परिणामों को सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लिखित हैं जो कि 2015–16 के दौरान किये गये नमूना लेखापरीक्षा में संज्ञान में आए थे, साथ ही वे भी जो पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आये थे, परन्तु जिनकी चर्चा पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में नहीं की जा सकी थी; वर्ष 2015–16 के बाद की अवधि के मामलों को भी यथा आवश्यकता सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।



विहंगावलोकन



विहंगावलोकन

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक क्षेत्र पर 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन में 'उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण नियमों एवं कानूनों के कार्यान्वयन' की निष्पादन लेखापरीक्षा, 'राज्य पर्यटन परिपथों में सुविधाओं के उन्नयन और विस्तारीकरण' पर लेखापरीक्षा एवं सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों के वित्तीय संव्यवहार से सम्बन्धित चार प्रस्तर शामिल हैं। महत्वपूर्ण प्रेक्षणों का सार नीचे दिया गया है:

निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों ने वांछित उद्देश्यों को कम से कम लागत पर प्राप्त किया है और अभीष्ट लाभ पहुँचाया।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 'पर्यावरण नियमों एवं कानूनों के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा'

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) का गठन उत्तर प्रदेश सरकार (उप्रस) द्वारा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत वर्ष 1975 में किया गया था। यूपीपीसीबी नियोजन, समन्वय, प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण और पर्यावरण के विनियमों के अनुसार पर्यावरण के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की नोडल एजेंसी है। निष्पादन लेखापरीक्षा 2011–12 से 2015–16 तक पाँच वर्षों को आच्छादित करते हुए की गयी।

लेखापरीक्षा के प्रमुख परिणामों की चर्चा नीचे की गयी है:

प्रदूषण के स्रोतों की सूची का तैयार न होना

यूपीपीसीबी के पास वर्तमान औद्योगिक इकाइयों की व्यापक और पूर्ण सूची नहीं थी। सूची के अभाव में, प्रदूषण के स्रोतों और पर्यावरण में उत्सर्जित प्रदूषकों के प्रकार एवं मात्रा की पहचान नहीं हो सकी।

(प्रस्तर 2.1.7.1)

जल उपकर

- यूपीपीसीबी नियमित रूप से नगर निकायों द्वारा देय जल उपकर का निर्धारण करने और बिल जारी करने में असफल रहा और 2005–2014 के दौरान ₹ 146.43 करोड़ के जारी किए गए बिलों की राशि वसूलने में भी असफल रहा। इसके अतिरिक्त, उद्योगों से अप्राप्त जल उपकर की राशि भी मार्च 2012 के ₹ 384.75 करोड़ से बढ़कर मार्च 2016 में ₹ 1,050.13 करोड़ हो गयी।

(प्रस्तर 2.1.8.4)

- जल उपकर अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, जल उपकर यूपीपीसीबी द्वारा संग्रहित किया जाता है और भारत सरकार (जीओआई) के पास जमा किया जाता है। यूपीपीसीबी द्वारा वसूल एवं जमा की गयी राशि का अस्सी प्रतिशत जीओआई द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। यूपीपीसीबी जल उपकर का ₹ 193.32 करोड़ का अपना अंश भारत सरकार से प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि यह पूर्व में प्राप्त जल उपकर का उपयोग करने में असफल रहा।

(प्रस्तर 2.1.8.4)

जल की गुणवत्ता का अपर्याप्त विश्लेषण

यूपीपीसीबी, प्रयोगशालाओं में अपर्याप्त परीक्षण सुविधाओं के कारण नदियों और अन्य जलाशयों में पानी की गुणवत्ता के आंकलन के लिए नौ मूल मानकों में से छः का अनुश्रवण नहीं कर सका।

(प्रस्तर 2.1.9.1)

राज्य की नदियों/जलाशयों में उच्च प्रदूषण

गंगा और गोमती नदियों सहित राज्य की सभी 12 प्रमुख नदियों और छ: जलाशयों में जल की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुसार नहीं थी। बीओडी स्तर और कुल कॉलिफोर्म मात्रा निर्धारित मानक क्रमशः 3 मिलीग्राम/ली० के बराबर या कम और 500 सर्वाधिक संभावित संख्या/100 मिली लीटर (एमपीएन/मि०ली०) के बराबर या कम, से अधिक था। इसके मुख्य कारण अपर्याप्त सीवेज/औद्योगिक उत्प्रवाह प्रशोधन संयंत्र की सुविधाएं एवं वर्तमान प्रशोधन सुविधाओं की असम्यकार्यता थे। यूपीपीसीबी दोषियों के विरुद्ध जो कि नगर निकाय और उद्योग थे, उचित कार्यवाही करने में असफल रहा।

(प्रस्तर 2.1.9.1)

वायु प्रदूषकों की अपर्याप्त निगरानी

यूपीपीसीबी, अपर्याप्त परीक्षण सुविधाओं के कारण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित वायु की गुणवत्ता के निर्धारित 12 मापदंडों में से सिर्फ तीन मापदण्डों का अनुश्रवण कर रहा था।

(प्रस्तर 2.1.9.2)

पार्टिकुलेट मैटर का मानक से अधिक उत्सर्जन

छ: प्रमुख शहरों, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, नोएडा और वाराणसी में पी एम₁₀ का वार्षिक औसत स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के मानक की तुलना में सामान्यतः अत्यधिक था जो कि 87 से 347 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के मध्य विस्तारित था। यूपीपीसीबी इस संबंध में पर्याप्त कदम उठाने में असफल रहा।

यह अलीगढ़, रायबरेली और सोनभद्र में थर्मल पावर संयंत्रों में जनित फ्लाई एश की निगरानी और 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित नहीं कर सका। इसकी निगरानी नहीं करने का कोई कारण अभिलेखित नहीं था।

(प्रस्तर 2.1.9.2)

नगरीय ठोस अपशिष्ट(एमएसडब्ल्यू) का आंशिक प्रशोधन

राज्य में लगभग 15,403 मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिदिन एमएसडब्ल्यू जनित होता था। इसमें से प्रतिदिन केवल 1,521 मीट्रिक टन का प्रशोधन हो रहा था क्योंकि 620 नगर निकायों में एमएसडब्ल्यू के प्रशोधन की सुविधा नहीं थी। यूपीपीसीबी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने में असफल रहा।

(प्रस्तर 2.1.9.3)

वाराणसी और लखनऊ में प्रदूषण के स्तर में विरोधाभास

लेखापरीका ने राज्य के दो महत्वपूर्ण शहरों वाराणसी और लखनऊ में 2011 से 2015 के मध्य जल, वायु और नगरीय ठोस अपशिष्ट के सम्बन्ध में प्रदूषण के स्तरों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि यद्यपि वाराणसी में जनसंख्या घनत्व लखनऊ से अधिक था तथापि वाराणसी के निकट गंगा नदी में जल प्रदूषण लखनऊ में गोमती नदी में जल प्रदूषण की तुलना में कम था। वायु प्रदूषण भी वाराणसी में लखनऊ की तुलना में कम था। लखनऊ में वाहनों की संख्या वाराणसी में वाहनों की संख्या के दोगुने से अधिक है जिसने लखनऊ में वायु प्रदूषकों के स्तर में वृद्धि में योगदान किया। वाराणसी में एमएसडब्ल्यू प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रशोधन की सुविधा शुरू हो गई है, जबकि लखनऊ में यह अभी भी ट्रायल रन में है।

(प्रस्तर 2.1.9.4)

जैव चिकित्सा अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) प्रशोधन की अपर्याप्त सुविधा

राज्य में, 8,366 स्वास्थ्य उपचार प्रतिष्ठान (एचसीई) थे जिसमें से 3,362 एचसीई प्राधिकार के बिना कार्यरत थे। राज्य में कुल बीएमडब्ल्यू उत्पत्ति 37,498 किग्रा/दिन थी जिसमें से केवल 35,816 किग्रा/दिन का प्रशोधन और निस्तारण किया गया। अपर्याप्त प्रशोधन सुविधा होने के कारण 1,682 किग्रा/दिन बीएमडब्ल्यू बिना शोधन के निस्तारित किया जा रहा था। किन्तु यूपीपीसीबी अनाधिकृत संचालन और बीएमडब्ल्यू

के अशोधित निस्तारण का अनुश्रवण करने में और दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने में असफल रहा।

(प्रस्तर 2.1.9.5)

परिसंकटमय अपशिष्ट के अवैध डंप साइट

राज्य में पाँच अवैध डंप साइटों (चार कानपुर में और एक देवा रोड, बाराबंकी में) पर लगभग 1,41,432 एमटी परिसंकटमय अपशिष्ट कर्ड वर्षों से डम्प किया हुआ पाया गया, लेकिन यूपीपीसीबी द्वारा अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप भूजल और वायु प्रदूषित हुए।

(प्रस्तर 2.1.9.6)

ई—अपशिष्ट

राज्य में ई—अपशिष्ट की 27 रीसाइकिलग/संग्रहण/उत्पादक इकाइयों (कुल क्षमता 89,886 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष) में से 11 इकाइयाँ (42,840 एमटीए, कुल क्षमता का 48 प्रतिशत) प्राधिकार के बिना कार्यरत थी। तथापि, यूपीपीसीबी द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई।

(प्रस्तर 2.1.9.7)

औद्योगिक इकाइयों का अपर्याप्त निरीक्षण

यूपीपीसीबी द्वारा उद्योगों के निरीक्षण की क्रियाविधि अपूर्ण थी क्योंकि लाल (अत्यधिक प्रदूषित), नारंगी (औसत प्रदूषित) और ग्रीन (कम प्रदूषित) वर्गीकृत औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण के लिए चयन मनमाने तरीके से और मानकों के विरुद्ध किया गया। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार निरीक्षण के लक्ष्य के निर्धारण और उसकी प्राप्ति में भी कमी थी।

(प्रस्तर 2.1.10.2)

'राज्य पर्यटन परिपथों में सुविधाओं के उन्नयन और विस्तारीकरण' पर लेखापरीक्षा

पर्यटन विभाग (विभाग), उत्तर प्रदेश सरकार (उप्रस), राज्य में पर्यटन के विकास के लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। विभाग, पर्यटन निदेशालय (निदेशालय) जिसका सृजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1972 में किया गया, के माध्यम से कार्य करता है। लेखापरीक्षा ने ₹ पाँच करोड़ और उससे अधिक स्वीकृत लागत की सभी 27 योजनायें (100 प्रतिशत) और ₹ दो करोड़ और ₹ पाँच करोड़ के बीच स्वीकृत लागत की 27 योजनायें (50 प्रतिशत) नमूने के रूप में चयनित की।

लेखापरीक्षा के दौरान प्रकट हुए लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा नीचे की गयी है:

- पर्यटन नीति 1998 बनने के बाद 18 वर्ष बीत जाने के बावजूद, निदेशालय ने पर्यटन परिपथों के संतुलित एवं उचित विकास के लिये कोई भी परिपथ—वार मुख्य योजना और एकीकृत योजना तैयार नहीं की। इसके अतिरिक्त, विभाग ने राज्य में पर्यटकों के आगमन में वृद्धि के लिये योजनाओं का कोई भी मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया।

(प्रस्तर 2.2.2.1 एवं 2.2.2.3)

- वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान, राज्य सरकार ने राज्य के वित्तीय बजट से विभाग को पूँजीगत बजट के रूप में ₹ 583.33 करोड़ प्रदान किये जो कि राज्य के कुल बजट का केवल 0.19 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, कार्यों के समापन में देरी के कारण केवल ₹ 339.51 करोड़ (58.20 प्रतिशत) खर्च किये जा सके।

(प्रस्तर 2.2.3)

- निदेशालय एक ऐसे बैंक खाते का संचालन कर रहा था जिसे सरकार द्वारा अधिकृत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, निदेशालय द्वारा उक्त खाते से किये गये लेनदेनों के अभिलेखीकरण के लिये रोकड़ बही और प्रमाणकों का रखरखाव नहीं किया।

(प्रस्तर 2.2.3.3)

- 54 जाँची गयी योजनाओं में से केवल 14 योजनायें, सात वर्ष से अधिक एवं छ: महीने की देरी से पूर्ण हुई। शेष योजनायें निष्पादन के विभिन्न चरणों के तहत चल रही थी। इसके अतिरिक्त, छ: पूर्ण योजनायें पूरा होने की तारीख के बाद से मार्च 2016 तक 12 महीने से 49 महीने से अधिक अवधि से हस्तान्तरण के लिये लम्बित थी। योजनाओं के निष्पादन में देरी का मुख्य कारण, जैसा कि लेखापरीक्षा ने विश्लेषण में पाया, कार्यदायी संस्थाओं के लिए किसी समय-सीमा का निर्धारण न करना, भूमि की व्यवस्था करने में विफलता, कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य प्रारम्भ करने में देरी और अनुश्रवण में कमी, थे।

(प्रस्तर 2.2.4.1, 2.2.4.2, 2.2.4.3 एवं 2.2.5.2)

- पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा तय समय-सीमा के भीतर योजनाओं के क्रियान्वयन में विफलता के कारण निदेशालय ₹ 31.25 करोड़ की केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सका।

(प्रस्तर 2.2.4.2)

- कार्यों का समय से आरम्भ सुनिश्चित करने में निदेशालय की विफलता के कारण ₹ 47.98 करोड़ की निधि कार्यदायी संस्थाओं के पास अवरुद्ध रही तथा ₹ 1.84 करोड़ की ब्याज की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.2.4.2 एवं 2.2.4.3)

- 10 योजनाओं (स्वीकृत लागत ₹ 110.30 करोड़) में विभाग ने अनियमित तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कार्यदायी संस्थाओं को नियुक्त किया।

(प्रस्तर 2.2.4.4)

अनुपालन लेखापरीक्षा

- हापुड़-पिलखुआ प्राधिकरण 102 भूखण्डों की बिक्री पर अवस्थापना विकास निधि हेतु ₹ 3.67 करोड़ का अधिभार लगाने में असफल रहा।

(प्रस्तर 3.1)

- आगरा विकास प्राधिकरण को नगरीय विकास प्रभार कम लगाये जाने तथा कम वसूले गये नगरीय विकास प्रभार पर ब्याज न लगाये जाने से ₹ 3.13 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.2)

- वाराणसी विकास प्राधिकरण ने, ₹ आठ करोड़ के अप्रयोज्य ऋण को देरी से वापस करने के कारण, ₹ 0.75 करोड़ के परिहार्य ब्याज का भुगतान किया।

(प्रस्तर 3.3)

- सम्बन्धित सरकारी विभागों को यूजर चार्ज वित्तान्तरित न होने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार को ₹ 2.84 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.4)

प्राचीन वेदिक धर्म के अनुसार यह एक विश्वास है कि जीव अपने जीवन के दृष्टिकोण से अपने अधिकारी के दृष्टिकोण से अलग हो सकता है।

जैसे जीव के दृष्टिकोण में उसके अधिकारी के दृष्टिकोण से विभिन्न हो सकता है, ऐसे जीव के दृष्टिकोण में उसके अधिकारी के दृष्टिकोण से विभिन्न हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि जीव के दृष्टिकोण में उसके अधिकारी के दृष्टिकोण से विभिन्न हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि जीव के दृष्टिकोण में उसके अधिकारी के दृष्टिकोण से विभिन्न हो सकता है।

जैसे जीव के दृष्टिकोण में उसके अधिकारी के दृष्टिकोण से विभिन्न हो सकता है, ऐसे जीव के दृष्टिकोण में उसके अधिकारी के दृष्टिकोण से विभिन्न हो सकता है।

जैसे जीव के दृष्टिकोण में उसके अधिकारी के दृष्टिकोण से विभिन्न हो सकता है, ऐसे जीव के दृष्टिकोण में उसके अधिकारी के दृष्टिकोण से विभिन्न हो सकता है।

अध्याय 1

प्रस्तावना



अध्याय 1**प्रस्तावना****1.1 इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में**

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन, राज्य के आर्थिक क्षेत्र में सम्मिलित सरकारी विभागों एवं स्वायत्त निकायों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा से प्रकटित प्रकरणों से सम्बन्धित है।

इस प्रतिवेदन का अध्याय 1 बजट रूपरेखा, लेखापरीक्षा की योजना एवं सम्पादन तथा लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रियात्मकता का उल्लेख करता है। इस प्रतिवेदन का अध्याय 2, एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा एक विषयगत लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों से सम्बन्धित है। अध्याय 3 विभिन्न विभागों एवं स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों से सम्बन्धित है।

1.2 बजट की रूपरेखा

राज्य के आर्थिक क्षेत्र में 18 विभाग एवं 86 स्वायत्त निकाय हैं जो महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ की लेखापरीक्षा परिधि में आते हैं। 2011–12 से 2015–16 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमान की स्थिति तालिका 1.1 में दी गयी है।

तालिका 1.1 : 2011–16 के दौरान राज्य सरकार का बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16	
	बजट अनुमान	वास्तविक								
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएँ	52,787.37	52,946.91	62,175.69	59,906.72	66,342.70	61,983.49	74,325.18	64,305.72	80,923.25	72,227.92
सामाजिक सेवाएँ	51,259.27	47,390.94	59,081.49	53,300.32	66,219.05	60,756.28	75,478.78	60,905.79	84,969.91	82,486.46
आर्थिक सेवाएँ	20,290.65	18,292.00	23,639.78	21,337.36	25,552.71	25,710.71	36,582.54	34,885.24	39,686.37	47,881.29
सहायता अनुदान एवं अंशदान	5,308.25	5,255.10	6,244.67	6,179.24	9,777.74	9,696.38	11,038.38	10,930.57	10,176.65	10,140.28
योग (1)	1,29,645.54	1,23,884.95	1,51,141.63	1,40,723.84	1,67,892.20	1,58,146.86	1,97,424.88	1,71,027.32	2,15,756.18	2,12,735.95
पूँजीगत व्यय										
पूँजीगत परिव्यय	25,959.73	21,573.96	26,978.26	23,834.29	32,767.40	32,862.60	55,986.16	53,297.27	63,154.26	64,422.72
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1,240.15	975.57	1,324.78	1,003.24	1,953.73	1,473.34	1,909.67	1,872.64	2,792.99	9,117.91
लोक ऋण का प्रतिदान	18,356.25	8,287.61	18,843.96	8,909.04	18,587.86	8,166.74	19,383.88	9,411.21	20,983.89	17,672.76
आकर्षिक निधि	87.65	309.64	0.00	262.45	0.00	86.55	0.00	203.15	0.00	44.07
लोक लेखा संवितरण	2,41,622.91	1,30,970.76	2,64,609.27	1,29,471.51	2,84,702.18	4,49,188.03	3,29,518.75	4,77,981.08	4,11,018.14	4,08,011.46
अंतिम रोकड़ शेष	--	13,446.70	--	15,172.42	--	4,020.63	--	-356.12	--	-200.21
योग (2)	2,87,266.69	1,75,564.24	3,11,756.27	1,78,652.95	3,38,011.17	4,95,797.89	4,06,798.46	5,42,409.23	4,97,949.28	4,99,068.71
सकल योग	4,16,912.23	2,99,449.19	4,62,897.90	3,19,378.59	5,05,903.37	6,53,944.75	6,04,223.34	7,13,436.55	7,13,705.46	7,11,804.66

(स्रोत: सम्बन्धित वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं राज्य बजट के स्पष्टीकरण ज्ञापन)

1.3 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुपयोग

₹ 2,81,703.43 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के विरुद्ध ₹ 2,86,276.58 करोड़ का कुल व्यय¹ हुआ। 2015–16 में राज्य का कुल व्यय ₹ 2,26,197.23 करोड़ (2014–15) से बढ़कर ₹ 2,86,276.58 करोड़ (26.56 प्रतिशत) तक हो गया, 2015–16 में राजस्व व्यय भी ₹ 1,71,027.32 करोड़ (2014–15) से बढ़कर ₹ 2,12,735.95 करोड़ (24.38 प्रतिशत) तक हो गया। 2015–16 में गैर-योजनागत राजस्व व्यय 1,01,269.25 करोड़ (2011–12) से बढ़कर ₹ 1,69,484.6 करोड़ (67 प्रतिशत) हो गया तथा 2011–16 की अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ 25,959.73 करोड़ (2011–12) से बढ़कर 2015–16 में ₹ 64,422.72 करोड़ तक (148.16 प्रतिशत) हो गया।

वर्ष 2011–16 के दौरान कुल व्यय का 24 से 46 प्रतिशत हिस्सा राजस्व व्यय का था एवं पूँजीगत व्यय² 54 से 76 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान कुल व्यय 17 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा जबकि 2011–16 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 15 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ीं।

1.4 सतत बचतें

पिछले पाँच वर्षों में 18 मामलों में, प्रत्येक वर्ष ₹ एक करोड़ से अधिक की सतत बचत हुयी जैसा कि तालिका 1.2 में वर्णित है:

तालिका 1.2 : 2011–16 के दौरान सतत बचतों वाले अनुदानों की सूची

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि (₹ करोड़ में)				
		2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
राजस्व दत्तमत						
1	11: कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	766.37	644.92	596.10	425.39	438.74
2	15: कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुपालन)	34.21	23.06	662.21	54.12	150.60
3	32: चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	145.70	403.79	471.33	672.14	938.53
4	37: नगरीय विकास विभाग	625.51	238.51	654.69	2762.12	1390.72
5	42: न्यायिक विभाग	172.36	178.52	223.31	330.65	329.12
6	48: अल्प संख्यक कल्याण विभाग	13.69	104.26	201.19	815.40	852.81
7	54: लोक निर्माण विभाग (अधिभान)	238.54	681.45	1,041.27	1265.68	1384.03
8	61: वित विभाग (ऋण संचार एवं अन्य व्यय)	59.73	65.45	87.57	109.64	48.77
9	73: शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	745.76	816.09	348.28	422.39	278.80
10	83: समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना)	792.46	1762.10	1,315.74	2509.94	2306.78
	योग	3,594.33	4,918.15	5,601.69	9,367.47	8,118.90
पूँजीगत दत्तमत						
1	11: कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	100.86	177.73	470.53	286.17	533.67
2	21: खाद्य एवं जन आपूर्ति विभाग	1811.78	1039.49	4,646.82	2192.04	11.71
3	32: चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	147.14	230.68	283.83	93.86	104.48
4	37: नगरीय विकास विभाग	261.77	737.99	369.91	21.86	174.96
5	42: न्यायिक विभाग	78.43	21.23	336.17	153.89	241.77
6	48: अल्प संख्यक कल्याण विभाग	373.36	164.73	148.22	640.44	635.44
7	73: शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	19.28	123.76	185.35	69.77	314.84
8	83: समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना)	415.46	588.84	524.04	1634.76	1357.70
	योग	3,208.08	3,084.45	6,964.87	5,092.79	3,374.57

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के विनियोजन खाते)

¹ कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूँजीगत परिव्यय एवं संवितरित ऋण तथा अग्रिम शामिल है।

² अन्तिम रोकड़ शेष को छोड़कर।

1.5 भारत सरकार द्वारा निर्गत सहायता अनुदान

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तालिका 1.3 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.3 : भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
गैर-योजनागत अनुदान	4,396.73	4,341.00	7,933.79	6,808.88	8,273.90
राज्य योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	6,813.28	5,518.39	6,595.22	6,576.02	1,933.17
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों कोलिए अनुदान	6,549.89	7,478.40	225.90	17.37	16.30
केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	0.00	0.00	7,650.26	19,289.20	21,637.97
योग	17,759.90	17,337.79	22,405.17	32,891.47	31,861.34
पूर्व वर्ष से प्रतिशत वृद्धि / (कमी)	15	-2	29.23	45.91	-2.54
राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत	14	12	13.32	16.90	14.03

(चौथे सम्बन्धित वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं राज्य बजट के स्पष्टीकरण ज्ञापन)

1.6 लेखापरीक्षा की योजना एवं सम्पादन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों एवं स्वायत्त निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं आदि का उनके व्यय, गतिविधि की गम्भीरता/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, अंतरिक नियंत्रण तथा हिस्सेदारों की चिंताओं एवं पिछले लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर जोखिम आकलन के साथ शुरू होती है। इस जोखिम आकलन के आधार पर लेखापरीक्षा की बारम्बारता तथा सीमा तय की जाती है तथा एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदन में संकलित कर कार्यालय प्रमुख को इस अनुरोध के साथ निर्गत किया जाता है कि इसके उत्तर एक महीने के अंदर प्रेषित किये जायें। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को या तो निस्तारित कर दिया जाता है या पुनः अनुपालन की कार्यवाही के लिए परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को भारत के नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में समावेश हत् कार्यवाही की जाती है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2015–16 में कार्यालय, महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य के 18 विभागों तथा 86 स्वायत्त निकायों से सम्बन्धित 178 योजनागत इकाइयों में से 178 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गयी, साथ ही एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा एक विषयगत लेखापरीक्षा भी की गयी।

विकास प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा

सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 के अनुच्छेद 14(2) के तहत कार्यालय, महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश को विकास प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा का अधिदेश प्राप्त है जो प्राविधानित करता है कि नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति से उन निकायों या प्राधिकरणों की सभी प्राप्तियों एवं व्ययों की लेखापरीक्षा करेगा, जिस निकाय या प्राधिकरण को किसी राज्य की समेकित निधि से ऋण या अनुदान के रूप में एक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपये से कम प्राप्ति न हुई हो। उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल ने इस सन्दर्भ में अपनी सहमति (जून 1985) दे दी है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान राज्य की समेकित निधि से इन विकास प्राधिकरणों को ₹ 648.69 करोड़ एवं ₹ 1,191 करोड़ क्रमशः अतिरिक्त

स्टाम्प ड्यूटी व अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये हस्तान्तरित किये। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए), गाजियाबाद ने वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान क्रमशः ₹ 54.58 करोड़ एवं ₹ 54.54 करोड़ अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर राज्य की समेकित निधि से प्राप्त किये।

विकास प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा का स्पष्ट अधिदेश होने के कारण इस कार्यालय द्वारा मई 2016 तक विकास प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नियमित रूप से की गई। इसके अतिरिक्त, जीडीए की निष्पादन लेखापरीक्षा इस प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए शुरू की गई। तथापि प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने सभी विकास प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा इस कार्यालय द्वारा करवाने से मना कर दिया (जून 2016)। इस कारण, जीडीए की निष्पादन लेखापरीक्षा को स्थगित कर दिया गया तथा 11 विकास प्राधिकरणों³ की लेखापरीक्षा जो वर्ष 2016–17 के लिये योजनागत थी, शुरू नहीं की जा सकी। यह प्रकरण राज्य के माननीय राज्यपाल के पास सन्दर्भित है।

1.7 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति सरकार की उदासीनता

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) लेन-देनों की नमूना जाँच द्वारा सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों का आवधिक निरीक्षण करते हैं एवं महत्वपूर्ण लेखा—सम्बंधी एवं अन्य दस्तावेजों/अभिलेखों के निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार रख—रखाव की पुष्टि करते हैं। इन निरीक्षणों के बाद लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जारी किए जाते हैं। जब लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताओं का पता लगने पर यदि कार्य स्थल पर निस्तारण नहीं हो पाता है तो ये नि.प्र. लेखापरीक्षित कार्यालय के प्रमुख को जारी किया जाता है एवं प्रतिलिपि अगले उच्चाधिकारियों को भेजी जाती है। कार्यालयप्रमुखों एवं अगले उच्चाधिकारियों को अपने अनुपालन, महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) को इन नि.प्र. की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर देना होता है।

2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 32 बैठकें हुई जिनमें 696 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया।

मार्च 2016 तक 18 विभागों एवं 86 स्वायत्त निकायों को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से पता चलता है कि 31 मार्च 2016 तक 1,295 नि.प्र. से सम्बन्धित लगभग ₹ 64,789.53 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के 4,667 प्रस्तर लम्बित थे। इसमें से पुराने मामले 2007–08 से 2010–11 में निर्गत किये गये 664 नि.प्र. से सम्बन्धित थे तथा 2,041 प्रस्तर जिनका वित्तीय प्रभाव ₹ 34,337.30 करोड़ था, पाँच वर्ष से अधिक समय से निस्तारित नहीं किये गये थे। इन लम्बित 1,295 नि.प्र. एवं 4,667 प्रस्तरों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 1.1 में दिया गया है।

निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल प्रेक्षणों पर विभागीय अधिकारी समयबद्ध कार्यवाही करने में असफल रहे जिससे जवाबदेही का अपरदन हुआ।

सरकार को सुझाव है कि वह मामले को देखें ताकि लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर तत्काल एवं उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके।

1.8 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों (प्रस्तरों/समीक्षाएँ) पर सरकार की प्रतिक्रिया

विगत कुछ वर्षों में, चयनित विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन एवं आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता में कमी, जो कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, पर लेखापरीक्षा ने अपना प्रतिवेदन दिया है। विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा का लक्ष्य कार्यपालिका को सुधारात्मक

³ बरेली विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विध्यांचल—मिर्जापुर, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, गढ़मुक्तेश्वर, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, मथुरा—वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मेरठ विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, हायुड—पिलखुआ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण तथा कानपुर विकास प्राधिकरण।

कार्यवाही एवं नागरिकों के सेवा प्रदेयता को सुधारने के लिए उपयुक्त अनुशंसाएँ प्रदान करने पर केन्द्रित था।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार, विभागों को, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल होने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/प्रस्तरों पर अपना प्रतिउत्तर एक महीने के भीतर भेजना होता है। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल में प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में इस प्रकार के प्रस्तरों को शामिल करने की संभावना के दृष्टिगत इन मामलों में उनकी टिप्पणी शामिल करना वांछनीय होगा। उन्हें महालेखाकार (ईएण्डआरएसए) के साथ निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर विचार विमर्श के लिए बैठक करने की सलाह भी दी गयी। प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित इन प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों को सम्बन्धित प्रमुख सचिवों/सचिवों को भी उनके जवाब के लिए अग्रसारित किया गया। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक सचिवों को एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं पाँच प्रस्तर (एक विषयगत प्रस्तर भी शामिल) अग्रसारित किये गये लेकिन केवल दो मामलों पर सरकार के उत्तर प्राप्त हुए हैं।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्य—प्रणाली नियमों के अनुसार प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल सभी प्रस्तर एवं समीक्षाओं पर स्वःविवेक से कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना था चाहे इसे लोक लेखा समिति द्वारा संपरीक्षा के लिये लिया गया हो अथवा नहीं। राज्य विधान मण्डल के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के भीतर उन पर की गयी सुधारात्मक कार्यवाही या की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही को इंगित करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा उचित जाँचोपरान्त विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ भी उनके द्वारा प्रस्तुत की जानी थी।

31 मार्च 2016 तक की अवधि में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल प्रस्तरों के संबंध में 30 सितम्बर 2016 तक प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों (एटीएन) की स्थिति तालिका 1.4 में दी गयी है:

तालिका 1.4 : लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल प्रस्तरों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों के प्राप्त होने की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	विभाग	प्रस्तुतीकरण की तिथि	व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त करने की निर्धारित तिथि	31 अगस्त 2016 तक लम्बित व्याख्यात्मक टिप्पणियों
आर्थिक क्षेत्र (गैर-पीएसयू)	2012–13	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	1 जुलाई 2014	31 अक्टूबर 2014	प्राप्त नहीं
आर्थिक क्षेत्र (गैर-पीएसयू)	2013–14	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	17 अगस्त 2015	18 अक्टूबर 2015	प्राप्त नहीं
		सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग			
		वन विभाग ऊर्जा विभाग			
आर्थिक क्षेत्र (गैर-पीएसयू)	2014–15	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग	8 मार्च 2016	7 जून 2016	प्राप्त नहीं
		सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग			
		वन विभाग			

(स्रोत: लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2012–13 से 2014–15, आर्थिक क्षेत्र—गैर पीएसयू)

1.10 लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर की गई वसूली

लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों/स्वायत्त निकायों पर दो प्रकरणों में ₹ 1.70 करोड़ इंगित की गयी वसूली स्वीकार कर ली गयी। जिनमें से दो प्रकरणों में ₹ 0.99 करोड़ की वसूली 2015–16 में कर ली गयी जैसा कि तालिका 1.5 में वर्णित है।

तालिका 1.5 : लेखापरीक्षा द्वारा इंगित वसूली जिसे विभाग द्वारा स्वीकार/वसूल कर लिया गया

(₹ करोड़ में)

विभाग	वसूली का विवरण	2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा इंगित तथा विभाग द्वारा स्वीकृत की गई वसूली		2015–16 के दौरान प्रभावी वसूली	
		प्रकरणों की संख्या	समाहित धनराशि	प्रकरणों की संख्या	समाहित धनराशि
वन विभाग	विविध	1	1.36	1	0.65
नागरिक उद्योग विभाग	विविध	1	0.34	1	0.34
योग		2	1.70	2	0.99

(चोत: प्रगति रजिस्टर के अनुसार)

1.11 राज्य विधान मण्डल में स्वायत्त निकायों के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकायों का गठन किया गया है। इन निकायों में से अधिकतर निकायों के लेन–देन, परिचालन सम्बन्धी गतिविधि एवं लेखे, नियामक अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन की समीक्षा, वित्तीय नियंत्रण एवं पद्धति तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा इत्यादि के सत्यापन के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जाती हैं। राज्य में दो स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है।

एक स्वायत्त निकाय (उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग) के वर्ष 2003–04 से 2014–15 की अवधि के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) लेखापरीक्षा द्वारा निर्गत किये गये जिन्हें अभी भी राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत किया जाना है (परिशिष्ट 1.2)। इन्हें अतिशीघ्र राज्य विधान मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है।

अध्याय 2



अध्याय 2

पर्यावरण विभाग

2.1 “उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण नियमों एवं कानूनों के कार्यान्वयन” की निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) का गठन उत्तर प्रदेश सरकार (उप्रस) द्वारा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत वर्ष 1975 में किया गया था। यूपीपीसीबी नियोजन, समन्वय, प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण और पर्यावरण के विनियमों के अनुसार पर्यावरण के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की नोडल एजेंसी है।

लेखापरीक्षा के प्रमुख परिणामों की चर्चा नीचे की गयी है:

नियोजन

प्रदूषण के स्रोतों की सूची का तैयार न होना

यूपीपीसीबी के पास वर्तमान औद्योगिक इकाइयों की व्यापक और पूर्ण सूची नहीं थी। सूची के अभाव में, प्रदूषण के स्रोतों और पर्यावरण में उत्सर्जित प्रदूषकों के प्रकार एवं मात्रा की पहचान नहीं हो सकी।

(प्रस्तर 2.1.7.1)

वित्तीय प्रबंधन

जल उपकर

- यूपीपीसीबी नियमित रूप से नगर निकायों द्वारा देय जल उपकर का निर्धारण करने और बिल जारी करने में असफल रहा और 2005–2014 के दौरान ₹ 146.43 करोड़ के जारी किए गए बिलों की राशि वसूलने में भी असफल रहा। इसके अतिरिक्त, उद्योगों से अप्राप्त जल उपकर की राशि भी मार्च 2012 के ₹ 384.75 करोड़ से बढ़कर मार्च 2016 में ₹ 1,050.13 करोड़ हो गयी।

(प्रस्तर 2.1.8.4)

- जल उपकर अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, जल उपकर यूपीपीसीबी द्वारा संग्रहित किया जाता है और भारत सरकार (जीओआई) के पास जमा किया जाता है। यूपीपीसीबी द्वारा वसूल एवं जमा की गयी राशि का अस्ती प्रतिशत जीओआई द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। यूपीपीसीबी जल उपकर का ₹ 193.32 करोड़ का अपना अंश भारत सरकार से प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि यह पूर्व में प्राप्त जल उपकर का उपयोग करने में असफल रहा।

(प्रस्तर 2.1.8.4)

जल प्रदूषण

जल की गुणवत्ता का अपर्याप्त विश्लेषण

यूपीपीसीबी, प्रयोगशालाओं में अपर्याप्त परीक्षण सुविधाओं के कारण नदियों और अन्य जलाशयों में पानी की गुणवत्ता के आंकलन के लिए नौ मूल मानकों में से छः का अनुश्रवण नहीं कर सका।

(प्रस्तर 2.1.9.1)

राज्य की नदियों/जलाशयों में उच्च प्रदूषण

गंगा और गोमती नदियों सहित राज्य की सभी 12 प्रमुख नदियों और छ: जलाशयों में जल की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुसार नहीं थी। बीओडी स्तर और कुल कॉलिफोर्म मात्रा निर्धारित मानक क्रमशः 3 मिलीग्राम/ली⁰ के बराबर या कम और 500 सर्वाधिक संभावित संख्या/100 मिली लीटर (एमपीएन/मि०ली०) के बराबर या कम, से अधिक था। इसके मुख्य कारण अपर्याप्त सीवेज/औद्योगिक उत्प्रवाह प्रशोधन संयंत्र की सुविधाएं एवं वर्तमान प्रशोधन सुविधाओं की असम्यकार्यता थे। यूपीपीसीबी दोषियों के विरुद्ध जो कि नगर निकाय और उद्योग थे, उचित कार्यवाही करने में असफल रहा।

(प्रस्तर 2.1.9.1)

वायु प्रदूषण

वायु प्रदूषकों की अपर्याप्त निगरानी

यूपीपीसीबी, अपर्याप्त परीक्षण सुविधाओं के कारण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित वायु की गुणवत्ता के निर्धारित 12 मापदंडों में से सिर्फ तीन मापदण्डों का अनुश्रवण कर रहा था।

(प्रस्तर 2.1.9.2)

पार्टिकुलेट मैटर का मानक से अधिक उत्सर्जन

छ: प्रमुख शहरों, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, नोएडा और वाराणसी में पी एम¹⁰ का वार्षिक औसत स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के मानक की तुलना में सामान्यतः अत्यधिक था जो कि 87 से 347 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के मध्य विस्तारित था। यूपीपीसीबी इस संबंध में पर्याप्त कदम उठाने में असफल रहा।

यह अलीगढ़, रायबरेली और सोनभद्र में थर्मल पावर संयंत्रों में जनित फ्लाई एश की निगरानी और 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित नहीं कर सका। इसकी निगरानी नहीं करने का कोई कारण अभिलेखित नहीं था।

(प्रस्तर 2.1.9.2)

नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) प्रबंधन

नगरीय ठोस अपशिष्ट(एमएसडब्ल्यू) का आंशिक प्रशोधन

राज्य में लगभग 15,403 मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिदिन एमएसडब्ल्यू जनित होता था। इसमें से प्रतिदिन केवल 1,521 मीट्रिक टन का प्रशोधन हो रहा था क्योंकि 620 नगर निकायों में एमएसडब्ल्यू के प्रशोधन की सुविधा नहीं थी। यूपीपीसीबी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने में असफल रहा।

(प्रस्तर 2.1.9.3)

वाराणसी और लखनऊ में प्रदूषण के स्तर में विरोधाभास

लेखापरीका ने राज्य के दो महत्वपूर्ण शहरों वाराणसी और लखनऊ में 2011 से 2015 के मध्य जल, वायु और नगरीय ठोस अपशिष्ट के सम्बन्ध में प्रदूषण के स्तरों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि यद्यपि वाराणसी में जनसंख्या घनत्व लखनऊ से अधिक था तथापि वाराणसी के निकट गंगा नदी में जल प्रदूषण लखनऊ में गोमती नदी में जल प्रदूषण की तुलना में कम था। वायु प्रदूषण भी वाराणसी में लखनऊ की तुलना में कम था। लखनऊ में वाहनों की संख्या वाराणसी में वाहनों की संख्या के दोगुने से अधिक है जिसने लखनऊ में वायु प्रदूषकों के स्तर में वृद्धि में योगदान किया। वाराणसी में एमएसडब्ल्यू प्रबंधन से सम्बन्धित प्रशोधन की सुविधा शुरू हो गई है, जबकि लखनऊ में यह अभी भी द्रायल रन में है।

(प्रस्तर 2.1.9.4)

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन

जैव चिकित्सा अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) प्रशोधन की अपर्याप्त सुविधा

राज्य में, 8,366 स्वास्थ्य उपचार प्रतिष्ठान (एचसीई) थे जिसमें से 3,362 एचसीई प्राधिकार के बिना कार्यरत थे। राज्य में कुल बीएमडब्ल्यू उत्पत्ति 37,498 किग्रा/दिन थी जिसमें से केवल 35,816 किग्रा/दिन का प्रशोधन और निस्तारण किया गया। अपर्याप्त प्रशोधन सुविधा होने के कारण 1,682 किग्रा/दिन बीएमडब्ल्यू बिना शोधन के निस्तारित किया जा रहा था। किन्तु यूपीपीसीबी अनाधिकृत संचालन और बीएमडब्ल्यू के अशोधित निस्तारण का अनुश्रवण करने में और दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने में असफल रहा।

(प्रस्तर 2.1.9.5)

अन्य अपशिष्ट

परिसंकटमय अपशिष्ट के अवैध डंप साइट

राज्य में पाँच अवैध डंप साइटों (चार कानपुर में और एक देवा रोड, बाराबंकी में) पर लगभग 1,41,432 एमटी परिसंकटमय अपशिष्ट कई वर्षों से डम्प किया हुआ पाया गया, लेकिन यूपीपीसीबी द्वारा अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप भूजल और वायु प्रदूषित हुए।

(प्रस्तर 2.1.9.6)

ई—अपशिष्ट

राज्य में ई—अपशिष्ट की 27 रीसाइर्विंग/संग्रहण/उत्पादक इकाइयों (कुल क्षमता 89,886 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष) में से 11 इकाइयाँ (42,840 एमटीए, कुल क्षमता का 48 प्रतिशत) प्राधिकार के बिना कार्यरत थी। तथापि, यूपीपीसीबी द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई।

(प्रस्तर 2.1.9.7)

अनुश्रवण

औद्योगिक इकाइयों का अपर्याप्त निरीक्षण

यूपीपीसीबी द्वारा उद्योगों के निरीक्षण की क्रियाविधि अपूर्ण थी क्योंकि लाल (अत्यधिक प्रदूषित), नारंगी (औसत प्रदूषित) और ग्रीन (कम प्रदूषित) वर्गीकृत औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण के लिए चयन मनमाने तरीके से और मानकों के विरुद्ध किया गया। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार निरीक्षण के लक्ष्य के निर्धारण और उसकी प्राप्ति में भी कमी थी।

(प्रस्तर 2.1.10.2)

2.1.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) नियोजन, समन्वय, प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए और पर्यावरण के विनियमों के अनुसार पर्यावरण के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की नोडल एजेंसी है। यूपीपीसीबी का गठन उत्तर प्रदेश सरकार (उप्रस) द्वारा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत वर्ष 1975 में किया गया था। यूपीपीसीबी को वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण संरक्षण (पसं) अधिनियम, 1986 के प्रवर्तन का उत्तरदायित्व भी दिया गया था।

ये पर्यावरण अधिनियम यूपीपीसीबी को औद्योगिक इकाइयों, नगर निकायों, अस्पतालों आदि द्वारा इन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु प्रमुख भूमिका

प्रदान करते हैं। यूपीपीसीबी को अधिदेशित कार्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने हेतु सक्षम बनाने के लिए किसी भी अधिष्ठान के अधिकृत व्यक्ति से सूचना प्राप्त करने; उत्प्रवाह/उत्सर्जन के नमूनों का निरीक्षण करने और नमूने एकत्रित करने; किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया, आदि की स्थापना/संचालन करने की सहमती प्रदान करने/अस्वीकार करने/वापस लेने का अधिकार प्राप्त है। यूपीपीसीबी के कार्य परिशिष्ट-2.1 में वर्णित है।

2.1.2 संगठनात्मक संरचना

यूपीपीसीबी पर्यावरण विभाग, उप्रस के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। यूपीपीसीबी में राज्य सरकार द्वारा नामित 17 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्य सचिव के अलावा, इसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात आधिकारिक सदस्य और निगमों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ सदस्य होते हैं। यूपीपीसीबी लखनऊ में एक मुख्य कार्यालय, सात वृत्त और 28 क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षेका) के साथ कार्यरत है। यूपीपीसीबी का संगठनात्मक विवरण परिशिष्ट-2.2 में दिया गया है।

2.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलित करना था कि क्या:

- यूपीपीसीबी द्वारा पर्यावरण नियमों और अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित नियोजन किया गया है;
- यूपीपीसीबी का वित्तीय प्रबंधन अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सक्षम है तथा आंतरिक नियंत्रण के लिए तंत्र स्थापित है और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है;
- प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और कमी के लिए जल, वायु, पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों और इनके अन्तर्गत बनाये गये विभिन्न नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु, यूपीपीसीबी द्वारा तंत्र स्थापित किया गया है; तथा
- वायु, जल, पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों और इनके अन्तर्गत बनाये गये विभिन्न नियमों एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार बनाये गये प्रावधानों के अनुश्रवण हेतु पर्याप्त कार्यविधि उपलब्ध है।

2.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिये गये:

- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, 1978 में यथा संशोधित (जल अधिनियम);
- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 (जल उपकर अधिनियम);
- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, 1987 में यथा संशोधित (वायु अधिनियम);
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (पसं अधिनियम) और पसं अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये विभिन्न नियम¹;

¹ पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986; जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1998; नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000; ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2011; एवं परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन एवं सीमा-पार संचालन) नियम, 2008।

- केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और यूपीपीसीबी द्वारा जारी दिशा-निर्देश और अधिसूचनायें;
- सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 (जीएफआर) यथा संशोधित;
- सीपीसीबी द्वारा विकसित पर्यावरण मानक।

2.1.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र व कार्य विधि

“पर्यावरण संबंधी नियमों और कानूनों का उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यान्वयन” पर 2011–12 से 2015–16 की अवधि की निष्पादन लेखापरीक्षा फरवरी 2016 से जुलाई 2016 के मध्य सम्पादित की गयी। लेखापरीक्षा का केन्द्र बिन्दु क्षेत्र पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटने वाले पर्यावरण नियमों एवं कानूनों का कार्यान्वयन, अपनाये गए साधनों की पर्याप्तता और इन्हें क्रियान्वित किये जाने की दक्षता का परीक्षण एवं प्रदूषण तथा संगत विधियों के अनुपालन से संबंधित कार्यक्रमों के संबंध में निधि प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता का आंकलन करना था। लेखापरीक्षा ने यह भी आंकलित किया कि क्या प्रदूषण से निपटने के लिये उठाये गये कदमों का राज्य में प्रदूषण के स्तर में कमी करने या नियंत्रण में वांछित प्रभाव पड़ा है। लेखापरीक्षा कार्यविधि में रिपोर्ट और अभिलेखों की जाँच, यूपीपीसीबी के मुख्यालय, सात में से दो² वृत्त कार्यालयों एवं 28 में से सात³ क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रलेखों की जाँच सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अपशिष्ट प्रशोधन सुविधाओं⁴ और चार नदियों⁵ के प्रलेखों का भी जाँच के लिए चयन किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा प्रदूषण और प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण तथा पर्यावरण की सुरक्षा में यूपीपीसीबी की भूमिका के बारे में जनता के विचारों को जानने के लिये नवम्बर 2016 में पाँच शहरों⁶ में लाभार्थी सर्वेक्षण भी किया गया। पाँच शहरों में जल, वायु, नगरीय ठोस अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट के प्रदूषण के बारे में कुल 256 लोगों की लिखित राय एक प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त की गयी। सर्वेक्षण के परिणाम को प्रतिवेदन में उपयुक्त स्थान में सम्मिलित किया गया है।

यूपीपीसीबी के अध्यक्ष सह प्रमुख सचिव और यूपीपीसीबी के सदस्य सचिव के साथ एक प्रवेश बैठक 16 फरवरी 2016 को आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा के क्षेत्र, लेखापरीक्षा मानदंड और कार्यविधि पर चर्चा की गई।

लेखापरीक्षा परिणामों पर मसौदा प्रतिवेदन प्रबंधन और शासन को जुलाई 2016 में भेजा गया था। लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा यूपीपीसीबी के अध्यक्ष सह प्रमुख सचिव और यूपीपीसीबी के सदस्य सचिव के साथ 31 अगस्त 2016 को आयोजित समापन बैठक में की गयी जिसमें शासन और प्रबंधन लेखापरीक्षा द्वारा दी गयी अनुशंसाओं से सहमत हुए। मसौदा प्रतिवेदन पर शासन और प्रबंधन की ओर से प्राप्त उत्तर (अक्टूबर 2016) भी प्रतिवेदन में उचित स्थान पर सम्मिलित किये गये हैं।

2.1.6 अभिस्वीकृति

सदस्य सचिव, यूपीपीसीबी एवं कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सहयोग को रवीकृत किया जाता है।

² लखनऊ मुख्यालय में स्थित वृत्त I एवं II।

³ अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ एवं नोएडा।

⁴ पाँच में से दो कॉमन उत्प्रवाह प्रशोधन संयंत्र, 59 में से 21 सीवेज प्रशोधन संयंत्र, सभी 20 कॉमन जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रशोधन संयंत्र, 14 में से 4 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रशोधन सुविधाएँ, सभी 20 ई-अपशिष्ट प्रशोधन सुविधाएँ, सभी 4 परिसंकटमय अपशिष्ट प्रशोधन सुविधाएँ एवं 180 में से 18 बूचड़खाने।

⁵ 12 नदियों में से गंगा, गोमती, हिंडन और यमुना नदियाँ।

⁶ बरेली, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कानपुर और लखनऊ।

लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा आगे प्रस्तरों में की गयी है:

2.1.7 नियोजन

2.1.7.1 प्रदूषण के स्रोतों की सूची का तैयार न होना

जल और वायु अधिनियमों की धारा 17 के अनुसार, यूपीपीसीबी को जल और वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिये व्यापक कार्यक्रम की योजना बनानी थी। इस उद्देश्य के लिये, प्रदूषण के स्रोतों और पर्यावरण में उत्सर्जित प्रदूषकों के प्रकार एवं मात्रा की पहचान की जानी थी।

वर्तमान पर्यावरण कानून⁷ के अन्तर्गत सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को यूपीपीसीबी से 'संचालन के लिये सहमति' (सीएफओ) प्राप्त करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीपीसीबी के पास 220 श्रेणियों के लघु उद्योगों, (पॉलीथीन और प्लास्टिक उद्योगों को छोड़कर) जो महाप्रबंधक, जिला औद्योगिक केन्द्र को सीधे स्थापना के लिये अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं, की सूची नहीं थी। जल अधिनियम और वायु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, इन उद्योगों को संचालन की सहमति हेतु यूपीपीसीबी के पास आवेदन करना था और आवेदन पत्र जमा करने को ही सहमति के रूप में समझा जाना था। तथापि, इन 220 श्रेणियों के लघु उद्योगों के द्वारा यूपीपीसीबी को इस तरह का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार, वर्तमान औद्योगिक इकाइयों की सूची के अभाव में, प्रदूषण के स्रोतों और पर्यावरण में उत्सर्जित प्रदूषकों के प्रकार और मात्रा की पहचान नहीं हो सकी।

शासन और प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि उद्योगों की सूची तैयार की जा रही थी। तथ्य यह है कि यूपीपीसीबी के पास उपलब्ध प्रदूषण के स्रोतों की सूची अपूर्ण है और व्यापक नहीं है।

2.1.7.2 व्यापक कार्यक्रम तैयार करना

जल और वायु अधिनियमों की धारा 17 के अनुसार यूपीपीसीबी को राज्य में नदियों, कुओं और हवा के प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या कमी के लिये व्यापक कार्यक्रम तैयार करना और उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीपीसीबी ने 2013–14 तक कोई व्यापक कार्यक्रम तैयार नहीं किया था। यूपीपीसीबी ने वर्ष 2014–15 में 2014–15 से 2018–19 की अवधि के लिये एक पंचवर्षीय कार्य योजना (कार्य योजना) तैयार की। अग्रेतर, कार्य योजना में लक्षित भौतिक और वित्तीय लक्ष्य भी व्यापक रूप से अप्राप्य थे जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तरों में वर्णित हैं:

2.1.7.3 पर्यावरणीय प्रयोगशालायें

कार्य योजना के अनुसार प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं उन्नयन में विफलता

यूपीपीसीबी में मार्च 2011 तक 16 प्रयोगशालायें⁸ थीं जो 31 मार्च 2016 तक बढ़कर 21 प्रयोगशालायें⁹ हो गई थीं। इसके अतिरिक्त, दो क्षेत्रों¹⁰ में केवल वायु की गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीपीसीबी व्यापक योजना के अनुसार वर्ष 2015–16 तक आठ प्रयोगशालाओं¹¹ (₹ 10.50 करोड़) के लक्ष्य में से सिर्फ

⁷ जल अधिनियम, वायु अधिनियम और सम्बन्धित नियम जैसा की लेखापरीक्षा मानदंड में वर्णित है।

⁸ क्षेत्रीय कार्यालयों में 15 प्रयोगशालायें एवं एक केन्द्रीय प्रयोगशाला मुख्यालय में

⁹ क्षेत्रीय कार्यालयों में 20 प्रयोगशालायें एवं एक केन्द्रीय प्रयोगशाला मुख्यालय में।

¹⁰ फिरोजाबाद एवं उन्नाव।

¹¹ बिजनौर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर एवं सोनभद्र में 2014–15 में और बांदा, बस्ती, फैजाबाद और कानपुर देहात में 2015–16 में।

यूपीपीसीबी कार्य योजना
के अनुसार
प्रयोगशालाओं की
स्थापना एवं उन्नयन
नहीं कर सका

पाँच प्रयोगशालाओं¹² (₹ 7.00 करोड़) की स्थापना कर सका। इसके अतिरिक्त, यूपीपीसीबी 2014–15 में आठ बी–श्रेणी प्रयोगशालाओं¹³ (₹ 6.00 करोड़) को पसं अधिनियम/एनएबीएल के अन्तर्गत मान्यता के लिए ए श्रेणी प्रयोगशालाओं में उन्नयन नहीं कर सका। यूपीपीसीबी सात क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं¹⁴ (₹ 1.75 करोड़) को बी–श्रेणी में भी उन्नयन नहीं कर सका। इस प्रकार, प्रयोगशालाओं की अपेक्षित संख्या के अभाव में और व्यापक योजना (जुलाई 2014) में अपेक्षित प्रयोगशालाओं का उन्नयन न कर पाने कारण, यूपीपीसीबी जल/वायु प्रदूषण के लिये एकत्रित नमूनों का विश्लेषण करने के लिये पूरी तरह से सुसज्जित नहीं था।

शासन और प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि यूपीपीसीबी की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को और प्रबल करने के लिये उपकरणों की विशिष्टताओं का अन्तिमीकरण कर लिया गया है। हालांकि, प्रबंधन ने कार्य योजना के अनुसार प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन न करने के लिये कोई कारण नहीं बताया। इसके अतिरिक्त, तथ्य यह है कि यूपीपीसीबी की आन्तरिक अवसंरचना सुविधाएँ परीक्षण के लिये अपर्याप्त हैं।

प्रयोगशालाओं में उपकरणों/यन्त्रों और परीक्षण सुविधाओं का अपर्याप्त होना

यूपीपीसीबी अपनी प्रयोगशालाओं को परिसंकटमय अपशिष्ट एवं तलछट के विश्लेषण की सुविधाओं से सुसज्जित करने में असफल रहा

सीपीसीबी के जून 2008 में जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक प्रयोगशाला में जल विश्लेषण हेतु न्यूनतम छ: श्रेणियों—भौतिक, अकार्बनिक, कार्बनिक, सूक्ष्मजैविकी, विषाक्तता और जैविक परीक्षण की परीक्षण सुविधाएँ होनी चाहिए। इसी प्रकार, वायु विश्लेषण के लिये, प्रयोगशाला में पाँच श्रेणियों की परीक्षण सुविधाएँ होनी चाहिये। एक पर्यावरण प्रयोगशाला में परिसंकटमय अपशिष्ट एवं मृदा/गाद/तलछट/ठोस अपशिष्ट के विश्लेषण के लिये सुविधायें होनी चाहियें।

लेखापरीक्षा ने देखा कि केन्द्रीय प्रयोगशाला को छोड़कर अन्य किसी प्रयोगशाला में सभी अनिवार्य परीक्षण करने की क्षमता नहीं थी। विद्यमान उपकरण/यन्त्र जल, वायु एवं अपशिष्ट विश्लेषण के लिये सीपीसीबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित अनिवार्य उपकरण/यन्त्रों के अनुरूप नहीं थे (परिशिष्ट 2.3 और 2.4)। महत्वपूर्ण उपकरण जो विशेष रूप से नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, अलीगढ़ और बरेली की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में नहीं थे, का विवरण परिशिष्ट 2.5 (अ) में दिया गया है। इस तरह के महत्वपूर्ण उपकरणों के अभाव में, क्षेत्रीय प्रयोगशालायें जैविक, विषाक्तता और परिसंकटमय प्रदूषकों का परीक्षण और अनुश्रवण करने में असमर्थ थीं।

यह भी देखा गया कि:

- कार्य योजना के अनुसार, यूपीपीसीबी ने 2014–15 से 2018–19 की अवधि में चरणबद्ध तरीके से अपनी पाँच प्रयोगशालाओं¹⁵ को परिसंकटमय अपशिष्ट का विश्लेषण करने की सुविधा से सुसज्जित करने का निर्णय लिया था। इनमें से केन्द्रीय प्रयोगशाला और गाजियाबाद क्षेत्रीय प्रयोगशाला को ₹ तीन करोड़ की लागत से इस सुविधा के साथ 2015–16 तक सुसज्जित किया जाना था लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका। परिसंकटमय अपशिष्ट का विश्लेषण करने के लिये अपेक्षित उपकरण/यन्त्र जैसे बॉम्ब क्लोरोमीटर, एलिमेंटल ऐनलाइजर आदि परिशिष्ट 2.5 (ब) में वर्णित हैं।
- कार्य योजना के अनुसार, जलाशयों में तलछट (सेडीमेंट) की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिये यूपीपीसीबी को केन्द्रीय प्रयोगशाला में 2015–16 में तलछट विश्लेषण सुविधाओं (अनुमानित लागत ₹ 50 लाख) का विकास करना था। तथापि, आवश्यक

¹² बिजनौर, बुलंदशहर, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर एवं सोनभद्र में 2015–16 में।

¹³ इलाहाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर, मुरादाबाद, मेरठ, नोएडा और वाराणसी।

¹⁴ बरेली, आगरा और सहारनपुर 2014–15 में एवं अलीगढ़, झौंसी, मध्युरा और रायबरेली में 2015–16 में।

¹⁵ केन्द्रीय एवं गाजियाबाद, कानपुर, मुरादाबाद और वाराणसी की क्षेत्रीय प्रयोगशालायें।

पंद्रह मापदंडों में से नौ मापदंडों की जाँच की सुविधा ही मार्च 2016 तक विकसित की जा सकी (परिशिष्ट 2.3)।

यूपीपीसीबी अत्यधिक प्रदूषण कारक उद्योगों के वायु प्रदूषण के ऑनलाइन अनुश्रवण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को केन्द्रीय प्रयोगशाला से संबद्ध करने की प्रणाली विकसित करने में असफल रहा

• क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं और केन्द्रीय प्रयोगशाला के मध्य डेटा के ऑनलाइन आदान प्रदान को सक्रिय करने के लिए एक एकीकृत प्रयोगशाला प्रबंधन सॉफ्टवेयर 2014–15 तक ₹ 8.70 लाख की लागत से विकसित किया जाना था। तथापि, यह मार्च 2016 तक विकसित नहीं किया जा सका।

• सीपीसीबी ने मार्च 2015 तक अत्यन्त प्रदूषण कारक 17 श्रेणियों के उद्योगों में वायु प्रदूषण के ऑनलाइन अनुश्रवण करने के लिए निर्देश जारी किये। तदनुसार, यूपीपीसीबी ने केन्द्रीय प्रयोगशाला में 2014–15 तक स्थापित करने के लिये केन्द्रीय कम्प्यूटर प्रणाली और सर्वर (₹ 10 लाख) क्रय करने के लिये योजना बनाई। इस सॉफ्टवेयर के लाभ अनुश्रवण के उद्देश्य और समय पर कार्यवाही हेतु तुरंत डेटा की उपलब्धता, डेटा का समय पर अद्यतीकरण, श्रमशक्ति की बचत आदि थे। तथापि, यह मार्च 2016 तक स्थापित नहीं किया जा सका।

शासन और प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को और सशक्त करने के लिये, यूपीपीसीबी ने अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद के लिये विशिष्टयों के प्रलेख तैयार कर लिये हैं। यह भी बताया गया कि परिसंकटमय अपशिष्ट विश्लेषण वाह्य स्रोतों से किया जा रहा था। तथापि, प्रबंधन ने कार्य योजना के अनुसार प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन न करने के लिये कारण नहीं बताया। तथ्य यह है कि प्रयोगशालाओं में अपर्याप्त नियोजन, परीक्षण सुविधाओं और उपकरणों के कारण, यूपीपीसीबी प्रदूषकों के नमूनों का विश्लेषण करने के लिये पूर्ण रूप से सुसज्जित नहीं था। इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि निधियों की उपलब्धता और ₹ 21.68 करोड़ (प्रस्तर 2.1.8.1 की टेबल 2.1.2) की वृहत राशि का मार्च 2016 को अप्रयुक्त शेष होने के बावजूद यूपीपीसीबी कार्य योजना को कार्यान्वित नहीं कर सका।

प्रयोगशालाओं को आधिकारिक मान्यता प्राप्त न होना

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दिशा-निर्देशों (जून 2008) के अनुसार, प्रयोगशालाओं की आधिकारिक मान्यता प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली सहित तकनीकी क्षमता को मान्यता प्रदान करती है। ऐसी मान्यता, परीक्षण के परिणाम और परीक्षण प्रमाण पत्र की परस्पर स्वीकृति हेतु प्रथम आवश्यक कार्य माना जाता है।

अग्रेतर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ), भारत सरकार के द्वारा जारी निर्देशों (अगस्त 2011) के अनुसार, यूपीपीसीबी को एक वर्ष की अवधि के अन्दर अपनी प्रयोगशालाओं के लिये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, आईएसओ 17025 (एनएबीएल¹⁶ की आधिकारिक मान्यता) या ओएचएसएस¹⁷ 18001 प्रमाणन के साथ आईएसओ 9001 के अन्तर्गत आधिकारिक मान्यता प्राप्त करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आवश्यक अवसंरचना और अन्य उपकरण/यंत्र जैसा कि परिशिष्ट-2.5(अ) में वर्णित है एवं वैज्ञानिक/तकनीशियन जैसा कि परिशिष्ट-2.20 में वर्णित है, को पूर्ण नहीं करने के कारण 22 क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं (नव स्थापित पाँच प्रयोगशालाओं सहित) में से किसी की भी सीपीसीबी/एनएबीएल/आइएसओ 9001 से आधिकारिक मान्यता नहीं थी।

केवल यूपीपीसीबी की केन्द्रीय प्रयोगशाला सीपीसीबी द्वारा मान्यता प्राप्त थी। केन्द्रीय प्रयोगशाला की एनएबीएल द्वारा आधिकारिक मान्यता प्रयोगशाला के स्थान में परिवर्तन के कारण 2014 में समाप्त हो गई थी। इस प्रकार, यूपीपीसीबी की प्रयोगशालाओं द्वारा जारी किये गये परीक्षण परिणाम और परीक्षण प्रमाणपत्र, सीपीसीबी के

¹⁶ राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड।

¹⁷ व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आंकलन सीरीज।

दिशानिर्देशों/आदेशों के अनुसार परस्पर स्वीकृति हेतु विचारणीय नहीं होंगे क्योंकि यूपीपीसीबी ने अपनी प्रयोगशालाओं के लिये आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं की।

शासन और प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि केन्द्रीय प्रयोगशाला की आधिकारिक मान्यता प्रक्रियाधीन है क्योंकि यूपीपीसीबी द्वारा मान्यता के लिये मानदंडों को पूरा कर लिया गया है। यह भी बताया गया कि प्रथम चरण में पाँच क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिये सम्बन्धित क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी कर दिये गये हैं। तथ्य यह है कि यूपीपीसीबी की कोई भी क्षेत्रीय प्रयोगशाला पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा तय एक वर्ष की समय सीमा की समाप्ति के बाद भी तकनीकी रूप से अद्यतन और आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं थी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशों (अगस्त 2011) के पाँच साल बाद भी लंबित थी।

अनुशंसा

यूपीपीसीबी को प्रदूषण स्रोतों की पूर्ण और व्यापक सूची तैयार करना चाहिये। इसे अपनी कार्य योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करना चाहिए और समुचित अनुश्रवण के लिये अपनी प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु नवीनतम परीक्षण उपकरणों और सुविधाओं को प्राप्त करना चाहिये और इनके लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त करनी चाहिये।

2.1.8 वित्तीय प्रबंधन

2.1.8.1 वित्तीय स्थिति

यूपीपीसीबी की प्राप्तियों में भारत सरकार (जीओआई) से जल उपकर हेतु प्राप्त अनुदान, सहमति और प्राधिकार जारी करने के लिये शुल्क और निवेश पर व्याज सहित अन्य विविध प्राप्तियां समाहित हैं। वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान यूपीपीसीबी के पास उपलब्ध कुल निधि ₹ 298.86 करोड़¹⁸ थी (तालिका 2.1.1)।

तालिका 2.1.1 : वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान यूपीपीसीबी की कुल प्राप्तियों का विवरण

वर्ष	प्रारंभिक शेष*	कुल प्राप्त निधि				वर्ष में प्राप्त कुल निधि	कुल उपलब्ध निधि (₹ करोड़ में)
		जीओआई से जल उपकर की प्रतिपूर्ति	सहमति शुल्क	प्राधिकार शुल्क	व्याज सहित अन्य		
2011–12	22.06	49.25	26.45	0.07	5.54	81.31	103.37
2012–13	40.14	21.49	25.23	0.07	9.16	55.95	96.09
2013–14	52.62	0	33.74	0.28	12.84	46.86	99.48
2014–15	41.81	0	30.24	0.12	9.38	39.74	81.55
2015–16	26.07	3.16	41.90	0.15	7.73	52.94	79.01
योग		73.90	157.56	0.69	44.65	276.80	—

(स्रोत: यूपीपीसीबी द्वारा प्रदान किये गये गैर लेखापरीक्षित आंकड़े)

*नोट: वर्ष 2009–10 से प्रारंभिक शेष के आंकड़े

यदि जल उपकर की लगभग ₹ 1,395.90 करोड़ (₹ 1,050.13 करोड़ 429 उद्योगों से, ₹ 146.43 करोड़ नगर निकायों से और ₹ 6.02 करोड़ नोएडा प्राधिकरण से एवं भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के रूप में ₹ 193.32 करोड़) की राशि वसूल कर ली गई होती तो प्राप्तियां और अधिक हो सकती थीं जैसा कि आगे प्रस्तरों में चर्चा की गई है। इसी अवधि के दौरान कुल व्यय ₹ 277.18 करोड़ था (तालिका 2.1.2)।

¹⁸ ₹ 22.06 करोड़ प्रारंभिक अवशेष एवं ₹ 276.80 करोड़ पिछले पाँच वर्षों में प्राप्त निधि।

**तालिका : 2.1.2 वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान यूपीपीसीबी
के कुल व्यय का विवरण**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उपलब्ध निधि	प्रशासन से सम्बन्धित	व्यय			कुल व्यय	शेष निधि
			प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धित संपत्ति का निर्माण	पूँजीगत प्रयोगशाला उपकरण	योजना कार्यान्वयन		
2011–12	103.37	44.27	16.79	1.84	0.35	63.25	40.12
2012–13	96.09	41.25	0.38	1.69	0.14	43.46	52.63
2013–14	99.48	45.05	9.48	2.76	0.37	57.66	41.82
2014–15	81.55	50.40	0.34	4.02	0.72	55.48	26.07
2015–16	79.01	53.03	0.35	3.67	0.28	57.33	21.68
योग	234.00	27.34	13.98	1.86	277.18	—	—

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है; पर्याप्त निधि की उपलब्धता के बावजूद, यूपीपीसीबी ने प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर अपर्याप्त व्यय किया जैसा की प्रस्तर 2.1.8.5 में चर्चा की गयी है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीपीसीबी अपनी अधिशेष निधि बैंकों से कोटेशन आमंत्रित करने के बाद स्थायी जमा में निवेश करता है। तथापि, इसके द्वारा कोई स्थायी जमा रजिस्टर नहीं बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, यूपीपीसीबी द्वारा स्थायी जमा की शेष राशि की पुष्टि के लिये सम्बन्धित बैंकों से वर्ष के अंत में या आवधिक रिपोर्टों को प्राप्त नहीं किया गया।

2.1.8.2 वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार न किया जाना

जल अधिनियम की धारा 40 और वायु अधिनियम की धारा 36 में नियत है कि यूपीपीसीबी समुचित लेखे तथा अन्य उपयुक्त अभिलेख रखेगा और ऐसे प्रारूप में जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है वार्षिक लेखों का विवरण तैयार करेगा। इसके अतिरिक्त, यूपीपीसीबी के लेखों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 के अनुसार एक लेखापरीक्षक के रूप में कंपनियों की लेखापरीक्षा करने के योग्य और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये लेखापरीक्षक द्वारा की जानी थी।

तथापि, यह देखा गया कि यूपीपीसीबी ने 2008–09 के बाद से अपने वार्षिक वित्तीय विवरण (आर्थिक चिट्ठा, लाभ और हानि खाता और अन्य वित्तीय विवरण) तैयार नहीं किये। इसके अलावा, यूपीपीसीबी के खातों की 1992–93 के बाद से लेखापरीक्षा नहीं की गई।

शासन और प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि अनुवर्ती वर्षों के खातों को तैयार करने एवं उनकी लेखापरीक्षा कराने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

2.1.8.3 बैंक समाधान न किया जाना

यूपीपीसीबी मुख्यालय पर 16 बैंक खाते (छ: संचालित और 10 गैर–संचालित) हैं। बोर्ड के छ: खातों से सम्बन्धित रोकड़ बही का समाधान बैंक खातों के साथ नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा बैंक खातों के विवरण एवं रोकड़ बही के शेषों का मिलान किया गया तथा देखा गया कि इनमें ₹ 1.11 लाख से ₹ 1.62 करोड़ तक का अंतर था जैसा कि परिशिष्ट 2.6 में वर्णित है। लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि बैंक शेष रोकड़ बही के शेष से अधिक थे। यह मुख्य रूप से बैंक शेषों पर अर्जित ब्याज के लेखांकन न होने के कारण था।

शासन और प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि शेष बैंक खातों के समाधान के लिए निर्देश जारी कर दिये गये हैं। तथ्य यह है कि बैंक समाधान नहीं किया गया

था जो कमजोर वित्तीय नियंत्रण और अपरिलक्षित गबन के संभावित खतरे को दर्शाता है।

2.1.8.4 जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 (जल उपकर अधिनियम) के अनुपालन में कमियाँ

जल उपकर, जल उपकर अधिनियम के अन्तर्गत उद्ग्रहित और संग्रहित किया जाने वाला उपकर है और इसी के अन्तर्गत इसका उपयोग किया जाता है। यह उपकर उद्योग चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा देय होगा और इसकी गणना ऐसे व्यक्ति या स्थानीय निकाय द्वारा उपभोग किये गये जल के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर निर्दिष्ट दरों पर की जाएगी।

उद्योगों पर जल उपकर की बकाया राशि

लेखापरीक्षा ने देखा कि 429 उद्योगों पर जल उपकर का बकाया ($\text{₹ } 1,050.13$ करोड़) था जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.1.3 : जल उपकर का बकाया और वसूली दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उद्योगों की संख्या जिन्हें बिल भेजा गया	बिल की धनराशि	उद्योगों की संख्या जिन्होंने भुगतान किया	वसूल की गयी धनराशि	वसूल की जाने वाली धनराशि
2011–12	1570	427.96	1086	43.21	384.75
2012–13	1793	737.87	1257	46.52	691.35
2013–14	1388	824.06	1027	53.28	770.78
2014–15	1545	806.78	1110	53.45	753.33
2015–16	1368	1092.61	939	42.48	1050.13

(स्रोत : यूपीपीसीबी द्वारा प्रदत्त सूचना)

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, बकाया धनराशि जो 2011–12 में $\text{₹ } 385$ करोड़ थी 2015–16 में बढ़कर $\text{₹ } 1,050.13$ करोड़¹⁹ हो गई। इसकी वसूली आज तक नहीं की जा सकी। यह यूपीपीसीबी द्वारा किये गये प्रयासों की कमी को दर्शाता है।

शासन और प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि जल उपकर की बकाया राशि उद्योगों से विशेष अभियान के माध्यम से संग्रहित की जाएगी। तथ्य यह है कि यूपीपीसीबी के पर्याप्त प्रयासों की कमी के कारण, जल उपकर की बकाया राशि में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हो गयी है।

नगर निकायों और नोएडा के खिलाफ जल उपकर की बकाया राशि

राज्य में 636 नगर निकाय²⁰ हैं (मार्च 2016)। लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीपीसीबी में नगर निकायों को नियमित रूप से जल उपकर के बिल जारी करने की प्रणाली नहीं थी। यहाँ तक कि 2005 से 2014 के दौरान कभी—कभी जारी किए गए $\text{₹ } 146.43$ करोड़ (217 नगर निकायों) के बिलों की वसूली किसी भी नगर निकाय से अभी तक (मार्च 2016) नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त नोएडा के विरुद्ध जनवरी 2004 से जुलाई 2005 की अवधि का $\text{₹ } 6.02$ करोड़ का जल उपकर बकाया था। यह देखा गया की नोएडा प्राधिकरण द्वारा अनुवर्ती अवधि के बिलों का भुगतान कर दिया गया था। तथापि, जनवरी 2004 से जुलाई 2005 की अवधि के $\text{₹ } 6.02$ करोड़ की बकाया राशि की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये।

¹⁹ इसमें उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम से बकाया धनराशि $\text{₹ } 1029.87$ करोड़ शामिल है। बकाया धनराशि में व्याज भी सम्मिलित है।

²⁰ 14 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषद् एवं 424 नगर पंचायत।

शासन और प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि जल उपकर के नियमित रूप से निर्धारण और बिल जारी करने हेतु सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं (सितम्बर 2016)। तथ्य यह है कि यूपीपीसीबी नियमित रूप से नगर निकायों के जल उपकर का निर्धारण करने और बिल जारी करने असफल रहा। इसके अतिरिक्त, नोएडा से जल उपकर के बकाया की वसूली के लिए कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया गया।

यूपीपीसीबी को जल उपकर की कम प्रतिपूर्ति

जीओआई द्वारा ₹ 193.32 करोड़ के जल उपकर की प्रतिपूर्ति इसलिये नहीं की गयी क्योंकि पूर्व में प्रतिपूरित धनराशि उपयोग नहीं की गयी थी।

यूपीपीसीबी की आय के प्रमुख स्रोतों में से एक जल उपकर अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत उद्योगों/नगर निकायों से संग्रहित जल उपकर में से उसका अंश है। जल उपकर अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, जल उपकर यूपीपीसीबी द्वारा संग्रहित किया जाता है और भारत सरकार (जीओआई) के पास जमा किया जाता है। यूपीपीसीबी द्वारा वसूल की गयी एवं जमा की गयी राशि का अस्सी प्रतिशत भारत सरकार द्वारा इसे प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीपीसीबी जीओआई से प्राप्त निधि का प्रयोग करने में असफल रहा और मार्च 2016 को ₹ 7.72 करोड़ का अप्रयुक्त शेष था। धनराशि का अल्प प्रयोग करने के कारण, यूपीपीसीबी जल उपकर का मार्च 2016 तक का कुल ₹ 193.32 करोड़ का अपना अंश प्राप्त नहीं कर सका।

शासन और प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि यूपीपीसीबी और उप्रस द्वारा आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की गयी है। तथ्य यह है कि यूपीपीसीबी जीओआई द्वारा देय जल उपकर प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि वह जल उपकर की पूर्व निधि का प्रयोग करने में असफल रहा।

2.1.8.5 यूपीपीसीबी प्रदूषण में कमी के लिए निर्धारित निधि प्रयुक्त नहीं कर सका

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के मध्य बजट में प्रावधानित व्यय का सिर्फ 9 से 21 प्रतिशत प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीपीसीबी ने प्रदूषण की निवारण एवं नियंत्रण हेतु आवश्यक गतिविधियों जैसे की प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर व्यय, प्रयोगशाला खर्च, बड़े पैमाने पर जन–जागरूकता कार्यक्रम, प्रयोगशाला के उपकरण आदि को सशक्त एवं वृहद वृहद करने हेतु प्रत्येक वर्ष अपने बजट में प्रावधान किया। तथापि, इसने निधियों की उपलब्धता के बावजूद बजट में प्रावधानित व्यय का केवल 9 से 21 प्रतिशत ही 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान व्यय किया। इसके अतिरिक्त, क्रय की प्रक्रिया में विलम्ब के कारण यूपीपीसीबी बजट में प्रावधान करने के बावजूद वायु, ध्वनि और जल के अनुश्रवण स्टेशनों, मोबाइल प्रयोगशालाओं और क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के निर्माण आदि जैसे मद में कोई व्यय नहीं कर सका (परिशिष्ट 2.7)।

निधियों के अल्प उपयोग से यूपीपीसीबी न केवल अपने अधिदेशित क्रियाकलापों को पूर्ण करने में असफल हुआ, बल्कि इसके परिणामस्वरूप जल उपकर में यूपीपीसीबी के वर्ष 2015–16 तक के अंश ₹ 193.32 करोड़ की भारत सरकार से कम प्रतिपूर्ति हुई।

शासन और प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि कार्य योजना के अनुपालन में, उपकरणों की खरीद प्रक्रिया में है। तथ्य यह है कि यूपीपीसीबी प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए निर्धारित निधि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सका।

अनुशंसा

यूपीपीसीबी को वित्तीय विवरण अद्यतन तैयार करना चाहिए और उनकी लेखापरीक्षा करवानी चाहिए, बैंक खातों का समाधान करना चाहिए, उद्योगों/स्थानीय निकायों से जल उपकर का उचित निर्धारण और वसूली और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों हेतु इसका उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

2.1.9 अधिनियमों और नियमों का क्रियान्वयन

2.1.9.1 जल प्रदूषण

जल प्रदूषण जल में हानिकारक और आपत्तिजनक सामग्री की पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति है जिससे यह उपयोग हेतु अनुपयुक्त हो जाता है। जल अधिनियम यूपीपीसीबी को नदियों या कुओं में गिरने वाले अपशिष्ट के निवारण, नियंत्रण या कमी तथा सीवेज और औद्योगिक उत्प्रवाह के अपवहन हेतु नई प्रणाली का निर्माण करने के लिए या किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को उत्तरदायी बनाने या ऐसी किसी प्रणाली को संशोधित करने, परिवर्तित करने या विस्तारित करने या इस तरह के सुधारात्मक उपायों को अपनाने के लिए जो कि जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या कम करने के लिए आवश्यक हैं, हेतु आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

जल का अपर्याप्त विश्लेषण

राष्ट्रीय जल गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम के अनुसार, जल की गुणवत्ता के आंकलन के लिए नौ मूल मापदण्ड²¹ हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीपीसीबी केवल तीन मापदण्ड जो डिजाल्वड ऑक्सीजन (डीओ), बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमाण्ड (बीओडी) और टोटल कॉलिफोर्म (जीवाणु संक्रमण) हैं, का अनुश्रवण कर रहा था। अनुश्रवण न किये जाने वाले अन्य छः मापदण्डों का प्रभाव परिशिष्ट 2.8 (अ) में दिया गया है।

सीवेज/ औद्योगिक उत्प्रवाह के प्रशोधन की सुविधाएं

• सीवेज/ औद्योगिक उत्प्रवाह के प्रशोधन की सुविधाओं का अभाव

आबादी वाले क्षेत्रों से निकलने वाला सीवेज, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक है। जल अधिनियम की धारा 25 के अनुसार, नगर निकायों को यह सुनिश्चित करना है कि उनके क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रों से निकलने वाला सीवेज बिना प्रशोधन के प्रवाहित नहीं किया जाये तथा वे अपने अधिकार क्षेत्र में सीवेज के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य के 75 जिलों में से 20 जिलों में 72 सीवेज प्रशोधन संयंत्र (एसटीपी) और पाँच सामूहिक उत्प्रवाह प्रशोधन संयंत्रों (सीईटीपी) का निर्माण किया गया है। इन 72 एसटीपी में से 43 एसटीपी (1,501.305 एमएलडी की क्षमता) मानकों के अनुरूप सीवेज का शोधन कर रहे थे जबकि 18 एसटीपी²² (686.285 एमएलडी की क्षमता) बीओडी मानकों का अनुपालन नहीं कर रहे थे और 11 एसटीपी²³ अभी तक (मार्च 2016) परिचालित नहीं थे। पाँच सीईटीपी में से केवल तीन (42.55 एमएलडी की क्षमता) परिचालित थे। किसी भी एसटीपी/ सीईटीपी ने यूपीपीसीबी से सहमति प्राप्त नहीं की थी।

72 सीवेज प्रशोधन संयंत्रों में से 18 बीओडी मानक का अनुपालन नहीं कर रहे थे

इसके अतिरिक्त, 20,380²⁴ एमएलडी सीवेज की कुल उत्पत्ति के सापेक्ष, स्थापित, प्रवर्तित और परिचालित एसटीपी की कुल क्षमता 2,187.59 एमएलडी (11 प्रतिशत) ही थी (मार्च 2016)। इस प्रकार, शेष 18,192.41 एमएलडी (89 प्रतिशत) सीवेज विशेष रूप से अलीगढ़, बरेली, झांसी, गोरखपुर और मुरादाबाद में नदियों/ धाराओं/ झीलों/ खुली भूमि में अशोधित प्रवाहित किया जा रहा था जिससे अत्यधिक प्रदूषण हो रहा था। इसके अतिरिक्त, प्रशोधित प्रवाहित किया जा रहा 686.285 एमएलडी सीवेज भी निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं था।

²¹ पी एच तापमान, प्रवाहकत्वा, डिजाल्वड ऑक्सीजन (डीओ), बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमाण्ड (बीओडी), नाइट्रोट, नाइट्रोइट, फोकल कॉलिफोर्म और टोटल कॉलिफोर्म।

²² इलाहाबाद (03 एसटीपी), इटावा (01 एसटीपी), फर्रुखाबाद (01 एसटीपी), गाजियाबाद (04 एसटीपी), कानपुर (03 एसटीपी), मथुरा (03 एसटीपी), सुल्तानपुर (01 एसटीपी) तथा वाराणसी (02 एसटीपी)।

²³ इलाहाबाद (01 एसटीपी), आगरा (01 एसटीपी), बुलंदशहर (01 एसटीपी), इटावा (01 एसटीपी), गाजियाबाद (01 एसटीपी), कानपुर (02 एसटीपी), मथुरा (01 एसटीपी), नोएडा (01 एसटीपी) तथा रामपुर (02 एसटीपी)।

²⁴ सीपीसीबी के अनुसार सीवेज के उत्पत्ति उ.प्र. की 19.98 करोड़ जनसंख्या के लिए 102 ली० प्रति व्यक्ति प्रति दिन पर।

एक एमएलडी सीवेज हेतु एसटीपी के लिए ₹ 2.06 करोड़ की नवीनतम लागत के आधार पर 18192.41 एमएलडी क्षमता के सीवेज प्रशोधन संयंत्र बनाने के लिए कुल ₹ 39,124.36 करोड़ बजट की आवश्यकता होगी।

इस प्रकार, यूपीपीसीबी स्थानीय निकायों को एसटीपी की संख्या में वृद्धि, विद्यमान एसटीपी का अपनी पूर्ण क्षमता से उपयोग और निर्धारित मानकों के अनुसार सीवेज का गुणवत्ता पूर्ण शोधन की आवश्यकता हेतु प्रभावित करने में विफल रहा। यूपीपीसीबी स्थानीय निकायों के विरुद्ध जल अधिनियम के तहत कार्यवाही करने में भी विफल रहा।

शासन और प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि जल अधिनियम की धारा 33 अ के अन्तर्गत नदी के पानी की गुणवत्ता की बहाली हेतु सीवेज के प्रशोधन और उपयोग के लिए सात नगर निकायों²⁵ को निर्देश जारी कर दिये गये हैं (अप्रैल 2016)। तथ्य यह है कि नगर निकायों द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गई और इसलिए राज्य में सीवेज प्रशोधन की अपर्याप्त सुविधा है जिसमें यदि वृद्धि नहीं की गयी तो नदियों के जल की गुणवत्ता प्रभावित होती रहेगी। इसके अलावा, यूपीपीसीबी द्वारा धारा 33 अ के अन्तर्गत जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए किसी भी नगर निकाय पर जल अधिनियम की धारा 41 (2) के अन्तर्गत जुर्माना नहीं लगाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच के लिए 21 एसटीपी और दो सीईटीपी का चयन किया गया। तथापि, यह देखा गया कि यूपीपीसीबी के पास संबंधित अभिलेख नहीं थे क्योंकि किसी भी एसटीपी/सीईटीपी ने यूपीपीसीबी से सहमति प्राप्त नहीं की थी। अतः कानपुर और लखनऊ में एसटीपी/सीईटीपी की कार्यशीलता की जाँच के लिये उ.प्र. जल निगम²⁶ के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। कानपुर और लखनऊ में एसटीपी की कार्यशीलता पर परिणामों की चर्चा अग्रेतर प्रस्तरों में की गई है।

• कानपुर में अपर्याप्त सीवेज/औद्योगिक उत्प्रवाह की प्रशोधन सुविधाएँ तथा उनकी असम्यककार्यता

कानपुर में कुल 462.14 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी)²⁷ सीवेज जनित होता है जिसमें से 24.14 एमएलडी औद्योगिक उत्प्रवाह व्यक्तिगत औद्योगिक उत्प्रवाह प्रशोधन संयंत्रों द्वारा प्रशोधित किया जाता है। उ0प्र0 जल निगम की गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाइयाँ (जीपीसीयू) कानपुर में तीन एसटीपी जिनकी क्षमता 345 एमएलडी²⁸ है और 36 एमएलडी क्षमता का एक सीईटीपी संचालित करती हैं जिसमें 26 में से 23 नालों का सीवेज/चर्म उद्योगों का अपशिष्ट जल प्रशोधन के लिये डाला जाता है।

लेखापरीक्षा ने कानपुर में एसटीपी/सीईटीपी के अभिलेखों की परीक्षण जाँच के दौरान निम्न कमियां देखी :

- कुल जनित घरेलू एवं औद्योगिक सीवेज तथा सीवेज प्रशोधन क्षमता में 57 एमएलडी²⁹ का अंतर था। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन अतिरिक्त सीवेज प्रशोधन संयंत्रों जिनकी कुल क्षमता 100 एमएलडी³⁰ थी, का निर्माण वर्ष 2008–09 से 2009–10 में प्रारम्भ किया गया था, किन्तु अभी तक (मार्च 2016) पूर्ण नहीं हुआ। तीन एसटीपी में से दो एसटीपी (43 एमएलडी–90 प्रतिशत पूर्ण और 15 एमएलडी–15 प्रतिशत पूर्ण) का निर्माण किसानों के विरोध की वजह से रुका हुआ है। 42 एमएलडी

²⁵ आगरा, गाजियाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ और वाराणसी।

²⁶ उ0प्र0 जल निगम नगर निकायों के लिए एसटीपी/सीईटीपी का संचालन करता है।

²⁷ उ0प्र0 जल निगम की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार: 412 एमएलडी घरेलू सीवेज, 26 एमएलडी चर्म उद्योगों का अपशिष्ट जल और 24.14 एमएलडी औद्योगिक अपशिष्ट जल का सीवेज जनित होता है।


²⁸ 130 एमएलडी एसटीपी जाजमऊ में; 5 एमएलडी जाजमऊ में और 210 एमएलडी एसटीपी भिनगवां में।

²⁹ 462.14–24.14–381 = 57 एमएलडी।

³⁰ 43 एमएलडी और 15 एमएलडी एसटीपी कानपुर जिले के भाग एक में और 42 एमएलडी एसटीपी कानपुर जिले के भाग IV में।

क्षमता के तीसरे एसटीपी का निर्माण प्रगति पर है और यह 89 प्रतिशत पूर्ण है (मार्च 2016)।

- 381 एमएलडी की कुल सीवेज प्रशोधन क्षमता के सापेक्ष, केवल 213.14 एमएलडी ही प्रशोधित किया जा रहा था और शेष 167.86 एमएलडी सीधे गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता था। अशोधित सीवेज (167.86 एमएलडी) में 17 एमएलडी चर्म उद्योगों का अपशिष्ट जल (टीडब्ल्यूडब्ल्यू) था क्योंकि 26 एमएलडी टीडब्ल्यूडब्ल्यू के सापेक्ष केवल नौ एमएलडी टीडब्ल्यूडब्ल्यू का ही प्रशोधन सीईटीपी द्वारा किया जा रहा है।



गाल ठोली, कानपुर में गंगा नदी में गिरता हुआ घरेलू सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट युक्त सिसामऊ नाला

- अग्रेतर यह भी देखा गया कि प्रशोधित जल भी मानकों के अनुरूप नहीं था। उत्तर प्रदेश जल निगम की परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, सीईटीपी से सिंचाई के लिए प्रवाहित किये जाने वाले प्रशोधित जल में 2013–15 के दौरान मानकों के सापेक्ष उच्च मात्रा में बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमाण्ड (बीओडी³¹), टीएसएस³² और क्रोमियम³³ था। अतः यह सिंचाई उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं था। इसी प्रकार, 130 एमएलडी एसटीपी, कानपुर, 5 एमएलडी एसटीपी, कानपुर से प्रशोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप नहीं है। यह इंगित करता है कि सीईटीपी और एसटीपी अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं और यहाँ तक कि प्रशोधित जल भी मानकों के अनुरूप नहीं था। इससे सीईटीपी / एसटीपी की स्थापना का उद्देश्य असफल हो गया। सीईटीपी के संचालक (उ.प्र. जल निगम) को इसका समुचित संचालन सुनिश्चित करना चाहिए।

- सीईटीपी द्वारा चर्म अपशिष्ट के प्रशोधन में गाद (स्लज) जनित होता है जो कि परिसंकटमय प्रकृति की होती है। इस गाद के प्रबंधन हेतु परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचालन) नियम, 2008 के तहत यूपीपीसीबी से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक है जो कानपुर नगर निगम जिसके पास इस सीईटीपी का स्वामित्व है, द्वारा प्राप्त नहीं किया गया।

यद्यपि प्रशोधन संयंत्र बिना सहमति के संचालित किये जा रहे थे, यूपीपीसीबी अधिनियम के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सभी संबंधित पक्षों को कानूनी नोटिस जारी करने में विफल रहा। इस प्रकार, यूपीपीसीबी, जल अधिनियम की धारा 17 में उल्लिखित, जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या कमी के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं कर सका।

³¹ बीओडी $\leq 100 \text{ मिंग्रा०/ली०}$ के मानक के सापेक्ष 172 मिंग्रा०/ली० से 292 मिंग्रा०/ली० तक था।

³² टीएसएस $\leq 200 \text{ मिंग्रा०/ली०}$ के मानक के सापेक्ष 172 मिंग्रा०/ली० से 616 मिंग्रा०/ली० तक था।

³³ क्रोमियम $\leq 2 \text{ मिंग्रा०/ली०}$ के मानक के सापेक्ष 100 मिंग्रा०/ली० से 216 मिंग्रा०/ली० तक था।

प्रबंधन ने लेखापरीका प्रेक्षण स्वीकार किया और बताया (जुलाई 2016) कि राज्य सरकार द्वारा चर्म उद्योग उत्प्रवाह/घरेलू उत्प्रवाह के प्रशोधन के लिए 25 एमएलडी का एक नया सीईटीपी प्रस्तावित किया गया (अप्रैल 2016) है। तथापि, यूपीपीसीबी की सहमति की माँग अभी तक नहीं की गई है। तथ्य यह है कि प्रशोधन की पर्याप्त सुविधा नहीं हैं, एसटीपी अपनी क्षमता से कम पर कार्य कर रहे हैं और यहां तक कि प्रशोधित उत्प्रवाह/सीवेज भी मानक के अनुरूप नहीं हैं। तथापि, यूपीपीसीबी द्वारा दोषियों पर अर्थदण्ड नहीं लगाये जाने के कारण नहीं बताये गये। इसके अतिरिक्त, (जैसा कि तालिका 2.1.1 में दर्शाया गया है) भविष्य में सीवेज में वृद्धि के प्रशोधन के लिए कोई कार्य योजना नहीं है :

- सामूहिक उत्प्रवाह प्रशोधन संयन्त्र की भौतिक जाँच**

कानपुर स्थित सीईटीपी की भौतिक जाँच में देखा गया कि वहां टीडब्ल्यूडब्ल्यू सीवेज के कारण असहनीय दुर्गम्भी थी और फ्लो मीटर भी कार्य नहीं कर रहा था।



सभी 12 प्रमुख नदियों
एवं छ: जलाशयों में
बीओडी एवं टोटल
कॉलिफॉर्म का स्तर
निर्धारित मानक से
अधिक था

राज्य की नदियों/जलाशयों में उच्च प्रदूषण

यूपीपीसीबी राज्य में 53 स्थानों पर माह में एक बार नमूना एमत्रित कर नदियों और जलाशयों में प्रदूषण के स्तर का अनुश्रवण करता है। लेखापरीका द्वारा 12 प्रमुख नदियों एवं छ: जलाशयों की परीक्षण रिपोर्ट (2013–15) प्राप्त एवं विश्लेषित की गई।

नदियों में स्नान योग्य जल के इन तीन मापदण्डों के निर्धारित मानक हैं – डीओ 5 मिलीग्राम/लीटर (मि०ग्रा०/ली०) के बराबर या अधिक होना चाहिये; बीओडी

3 मि०ग्रा०/ली० के बराबर या कम होना चाहिये एवं टोटल कॉलिफोर्म³⁴ 500 सर्वाधिक संभावित संख्या³⁵/100 मिलीलीटर (एमपीएन/100 मि०ली०) के बराबर या कम होना चाहिये।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 12 प्रमुख नदियों एवं छ: जलाशयों की 2013 से 2015 की यूपीपीसीबी परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार बीओडी एवं टोटल कॉलिफोर्म का स्तर निर्धारित मानक से अधिक था (परिशिष्ट 2.8 (ब))। लेखापरीक्षा विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि काली पूर्वी और हिंडन नदियों में 2015 में बीओडी का स्तर 3 मि०ग्रा०/ली० के बराबर या कम के सापेक्ष क्रमशः 66.50 मि०ग्रा०/ली० एवं 254.08 मि०ग्रा०/ली० था। टोटल कॉलिफोर्म का स्तर सभी प्रमुख नदियों एवं जलाशयों में 2013 से 2015 के दौरान 500 एमपीएन/100 मि०ली० के अधिकतम अनुमत स्तर से ज्यादा था।

जल अधिनियम के अनुसार, यूपीपीसीबी के पास सभी सम्बन्धित पक्षों को प्रशोधन संयंत्रों की स्थापना करने हेतु नोटिस जारी करने का अधिकार है। नोटिस का अनुपालन न होने की दशा में, यूपीपीसीबी स्वयं अपने व्यय पर प्रशोधन संयंत्र स्थापित कर सकता है और इसकी प्रतिपूर्ति नगर निकायों से प्राप्त कर सकता है। यूपीपीसीबी के पास इन निकायों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का भी अधिकार है। तथापि, बिना सहमति के संचालित उद्योगों/नगर निकायों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

राज्य में प्रमुख रूप से 12 नदियाँ³⁶ बहती हैं। लेखापरीक्षा द्वारा चार नदियों यथा गंगा, गोमती, यमुना और हिंडन में प्रदूषण के स्तर से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। गंगा और गोमती नदियों के जल की गुणवत्ता 2011 से 2015 के दौरान निम्नवत थी:

● गंगा नदी में प्रदूषण

सीपीसीबी (2006–2011) की अध्ययन रिपोर्ट “प्रदूषण आंकलन: गंगा नदी” के अनुसार, गंगा नदी में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत शहरी केन्द्रों से अशोधित/आंशिक रूप से प्रशोधित सीवेज का प्रवाह; खुले नालों से सीवेज का प्रवाह, औद्योगिक अपशिष्ट जल, वर्षा के जल की वापसी; प्रमुख सहायक नदियों से प्रवाह और औद्योगिक इकाइयों से अशोधित/आंशिक रूप से प्रशोधित किया/प्रशोधित अपशिष्ट जल का प्रवाह है।

गंगा नदी के जल की गुणवत्ता का मासिक आंकलन करने के लिए, यूपीपीसीबी ने राज्य में गंगा नदी की मुख्य धारा पर 24 जल गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्रों की स्थापना की है।

लेखापरीक्षा ने नौ प्रमुख स्थानों पर यूपीपीसीबी की परीक्षण रिपोर्ट के डेटा (2011 से 2015) का विश्लेषण किया (परिशिष्ट 2.9 (अ))। लेखापरीक्षा ने देखा कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के जल की गुणवत्ता स्वरूप³⁷ नहीं थी क्योंकि बीओडी और टोटल कॉलिफोर्म (टीसी) मानकों³⁸ के अनुसार नहीं थे जैसा कि नीचे चार्ट में दर्शाया गया है:

³⁴ कुल टोटल कॉलिफोर्म में मिट्टी में, सतही जल के संपर्क में आये हुए जल और मनुष्य अथवा पशु मल में पाये जाने वाले बैक्टीरिया सम्मिलित है।


³⁵ सर्वाधिक संभावित संख्या (एमपीएन) गंदे जल के नमूने में कॉलिफोर्म बैक्टीरिया के मापन की इकाई है।

³⁶ गंगा, गोमती, घाघरा, हिंडन, काली, रामगंगा, राती, रिहन्द, सई, सरयू, शारदा और यमुना नदियाँ।


³⁷ एक नदी स्वरूप मानी जाती है यदि इसका पानी बिना किसी परम्परागत प्रशोधन के, किन्तु विसंक्रमण के पश्चात पीने योग्य हो।

³⁸ एक स्वरूप नदी हेतु जल गुणवत्ता मापदण्ड मानक है – पीएच 6.5 और 8.5 के मध्य, डिजाल्चर्ड ऑक्सीजन (डीओ) ≥ 6 मि०ग्रा०/ली०, बायो केमिकल डिमाण्ड (बीओडी) ≤ 2 मि०ग्रा०/ली० तथा टोटल कॉलिफोर्म ≤ 50 एमपीएन/100 मि०ली०।

चार्ट 2.1.2 : यूपी में गंगा नदी में वर्ष 2011–2015 के दौरान बीओडी स्तर



चार्ट 2.1.3 : यूपी में गंगा नदी में वर्ष 2011–2015 के दौरान टीसी स्तर



परीक्षण रिपोर्ट के विश्लेषण से निम्नलिखित प्रेक्षण स्पष्ट हुए:

- डी ओ का वार्षिक औसत स्तर सभी अनुश्रवण स्थानों पर स्वस्थ नदी के मापदंड (≥ 6 मि0ग्रा0 / ली0) के अनुरूप था।
- बीओडी का स्तर एक स्थान, यथा, शुक्रताल पर छोड़कर सभी बिंदुओं पर स्वस्थ नदी के मानक (≤ 2 मि0ग्रा0 / ली0) से अधिक था। बीओडी का न्यूनतम स्तर³⁹ 1.29 मि0ग्रा0 / ली और अधिकतम स्तर⁴⁰ 8.35 मि0ग्रा0 / ली0 था।
- टोटल कॉलिफोर्म का स्तर सभी बिंदुओं पर स्वस्थ नदी के मानक (≤ 50 एमपीएन / 100 मि0ली0) से अधिक था। टोटल कॉलिफोर्म का न्यूनतम स्तर⁴¹ शुक्रताल पर 107 एमपीएन / 100 मि0ली0 और अधिकतम स्तर⁴² कानपुर में 1,51,333 एमपीएन / 100 मि0ली0 था।
- यूपीपीसीबी द्वारा 181 अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, जो कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में अशोधित उत्प्रवाह प्रवाहित कर रहे थे, को बंद कराने के कारण वर्ष 2015 के बीओडी और टोटल कॉलिफोर्म मात्रा के औसत आंकड़े कानपुर और वाराणसी में गंगा नदी में 2011 के आंकड़ों की तुलना में बीओडी और टोटल कॉलिफोर्म में थोड़ी कमी को दर्शाते हैं। ग्राफ में उल्लिखित अन्य स्थानों पर प्रदूषण के स्तर में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं आई।

प्रबंधन ने उत्तर में बताया (जुलाई 2016) कि गंगा नदी की जल गुणवत्ता घरेलू सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट प्रवाह के कारण प्रदूषित है। यह बताया गया कि 1,218.30 एमएलडी अशोधित सीवेज गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में प्रवाहित किया जाता है। इसके अनुश्रवण और नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। शासन ने इस मुद्दे पर कोई उत्तर नहीं दिया। तथ्य यह है कि यूपीपीसीबी जल अधिनियम में प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करके अशोधित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट प्रवाह का सीधे नदी में बहाव कर रही इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने में विफल रहा है।

• लखनऊ में गोमती नदी में प्रदूषण

लखनऊ में सीवेज प्रशोधन की क्षमता अपर्याप्त थी

यूपीपीसीबी की 2011 से 2015 की परीक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि गोमती नदी के जल की गुणवत्ता (डीओ, बीओडी और टोटल कॉलिफोर्म) निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी। डी ओ 5 मिलीग्राम / लीटर (मि0ग्रा0 / ली0) के बराबर या अधिक; बीओडी 3 मिलीग्राम / लीटर के बराबर या कम और टोटल कॉलिफोर्म⁴³ 500 सर्वाधिक संभावित संख्या⁴⁴ / 100 मिली लीटर (एमपीएन / 100 मि0ली0) के बराबर या कम होना चाहिये। गोमती नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण, जैसा कि लेखापरीक्षा में विश्लेषण किया गया, लखनऊ में सीवेज उत्पत्ति 675 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) है जो कि दो एसटीपी की कुल क्षमता (401 एमएलडी)⁴⁵ की तुलना में कहीं अधिक था। इस प्रकार, 274 एमएलडी अशोधित सीवेज लखनऊ में गोमती नदी में बहा दिया जाता है।

³⁹ शुक्रताल पर 2013 में।

⁴⁰ कानपुर में 2011 में।

⁴¹ शुक्रताल पर 2013 में।

⁴² कानपुर में 2011 में।

⁴³ टोटल कॉलिफोर्म में बैकटीरिया सम्मिलित है जो कि मिट्टी में, सतही जल के संपर्क में आये हुए जल और मनुष्य अथवा पशु मल में पाया जाता है।

⁴⁴ अत्यधिक संभावित संख्या (एमपीएन) गंदले जल के नमूने में कॉलिफोर्म बैकटीरिया के मापन की इकाई है।


⁴⁵ 56 एमएलडी एसटीपी का दौतलगंज में निर्माण 2002 में हुआ था एवं भरवारा में 115 एमएलडी तथा 230 एमएलडी एसटीपी का निर्माण क्रमशः मई 2015 एवं मार्च 2016 में हुआ था।

इसके अतिरिक्त, लखनऊ में डाउन स्ट्रीम के अंत में प्रदूषण का स्तर लखनऊ के प्रवेश बिंदु पर पानी की गुणवत्ता से भी खराब था जैसा की परिशिष्ट 2.9 (ब) और चार्ट 2.1.4, 2.1.5 और 2.1.6 में दिखाया गया है।


गोमती नदी के नमूना संग्रहण बिंदु




चार्ट: 2.1.4 लखनऊ के गोमती नदी में वर्ष 2011 से 2015 के दौरान डीओ स्तर



चार्ट: 2.1.5 लखनऊ में गोमती नदी में वर्ष 2011 से 2015 के दौरान बीओडी स्तर



चार्ट: 2.1.6 लखनऊ में गोमती नदी में वर्ष 2011 से 2015 के दौरान टीसी की मात्रा



लेखापरीक्षा ने अग्रेतर निम्नलिखित कमियाँ देखी :-

- परीक्षण रिपोर्ट⁴⁶ (दिसम्बर 2013 से जून 2015) के अनुसार, एसटीपी दौलतगंज से उत्सर्जित जल मानकों के अनुरूप नहीं था तथा कॉलिफोर्म⁴⁷ लगातार (1600 एमपीएन / 100 मि०ली० से अधिक दिसम्बर 2013 से जून 2015 में) एसटीपी के मानक 700 एमपीएन / 100 मि०ली० से अत्याधिक देखा गया। एसटीपी दौलतगंज के खराब संचालन का कोई कारण अभिलेखों में नहीं पाया गया।



घरेलू सीवेजयुक्त हैदरकैनाल नाला गोमती नदी, लखनऊ में गिरते हुए

- भरवारा एसटीपी के 115 एमएलडी क्षमता की एक स्ट्रीम उ०प्र० जल निगम द्वारा मई 2015 में चालू की गयी तथा शेष 230 एमएलडी क्षमता मार्च 2016 में चालू की गयी। लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीपीसीबी से संचालन की सहमति एसटीपी चलाने हेतु नहीं ली गयी थी। इसके अलावा, गोमती नदी के जल की गुणवत्ता के सभी तीन मानक (डीओ, बीओडी एवं टोटल कॉलिफोर्म), भरवारा एसटीपी के शोधित जल मिलने के स्थान पर, मानकों से कम थे⁴⁸। जल की गुणवत्ता की सबसे खराब कैटेगरी 'ई' गोमती नदी के डाउनस्ट्रीम में पायी गई जो पीने या स्नान योग्य नहीं था।



एसटीपी भरवारा, लखनऊ

गोमती नदी के डाउनस्ट्रीम में जल की गुणवत्ता पीने या नहाने के योग्य नहीं थी

इसके उत्तर में शासन एवं प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2016) कि नगर निगम, लखनऊ को सीवेज के शोधन एवं उपयोग के लिए जल अधिनियम की धारा 33 अ के अन्तर्गत निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं ताकि गोमती नदी के जल की गुणवत्ता पुनर्स्थापित हो सके। तथा यह है कि नगर निगम लखनऊ अभी भी अशोधित सीवेज गोमती नदी में प्रवाहित कर रहा है तथा यूपीपीसीबी जल अधिनियम की धारा 41(2) के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने में विफल रहा है जिसमें कैद एवं जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, एसटीपी दौलतगंज द्वारा प्रवाहित शोधित उत्सर्जित जल भी मानक के अनुरूप नहीं था।

⁴⁶ इण्डियन इन्सटीट्यूट ऑफ टॉक्सीलॉजी रिसर्च, लखनऊ।

⁴⁷ सामान्यतः कॉलिफोर्म खाद्य पदार्थ एवं जल में सेनेट्री गुणवत्ता को इग्नित करता है।

⁴⁸ डीओ 0.30 से 1.80 मिग्रा/ली० के मध्य था जबकि मानक ≥ 3 मिग्रा/ली० था; बीओडी मापदण्ड ≤ 5 मिग्रा/ली० के विरुद्ध 12.00 से 12.50 मिग्रा/ली० के मध्य था; तथा टोटल कॉलिफोर्म मापदण्ड ≤ 500 एमपीएन / 100 मि०ली० के विरुद्ध 1,40,000 से 1,70,000 एमपीएन / 100 मि०ली० था। (स्रोत:- यूपीपीसीबी की परीक्षा रिपोर्ट जनवरी 2016 से मार्च 2016)।

- लखनऊ के सीवेज शोधन संयंत्र की भौतिक जांचः

एसटीपी भरवारा की संयुक्त भौतिक जाँच में देखा गया कि गाद सुखाने वाले स्थल पर डम्प था क्योंकि इसे खाद के रूप में बेचा नहीं जा रहा था जैसा कि नीचे के चित्र में प्रदर्शित है:



लखनऊ के एसटीपी भरवारा में सूखा गाद स्थल

रियल टाईम जल गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्रों की स्थापना में विफलता

जल अधिनियम के अनुसार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों – केन्द्र एवं राज्य स्तरीय, को भारत के जलाशयों के पौष्टिकता की बहाली करनी है एवं उसे बनाये रखना है। अतः जल गुणवत्ता का अनुश्रवण एक आवश्यक शर्त है ताकि जलाशयों के अनुरक्षण एवं पौष्टिकता की बहाली की मात्रा का आंकलन किया जा सके।

यूपीपीसीबी अपनी योजना के अनुसार रीयल टाइम जल गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्रों को स्थापित करने में विफल रहा

यूपीपीसीबी राज्य में 53 स्थानों पर 12 नदियों एवं छः जलाशयों की जल गुणवत्ता का अनुश्रवण मैनुअल रूप से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के अन्तर्गत करता है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों एवं गोमती नदी के रियल टाईम अनुश्रवण हेतु, यूपीपीसीबी ने एकशन प्लान (2014–15) में 14 रियल टाईम जल गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्रों (आरटीडब्ल्यूक्यूएमएस) को काली, रामगंगा एवं गोमती नदियों पर 2014–15 से 2015–16 की अवधि में ₹ 9.80 करोड़ की लागत से स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। तथापि, यह देखा गया कि अब तक कोई भी आरटीडब्ल्यूक्यूएमएस न तो खरीदा गया और न ही स्थापित किया गया (मार्च 2016) जिसका कारण टेण्डर प्रक्रिया के निर्धारण में देरी थी।

इसके उत्तर में, शासन एवं प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2016) कि आरटीडब्ल्यूक्यूएमएस के उपकरण को क्रय करने हेतु टेण्डर प्रपत्र तैयार किये जा रहे हैं। तथ्य यह है कि आरटीडब्ल्यूक्यूएमएस के अभाव में नदियों के जल की गुणवत्ता का रियल टाईम अनुश्रवण यूपीपीसीबी द्वारा नहीं किया जा सका।

लाभार्थी सर्वेक्षण

पाँच शहरों के 256 लोगों के लाभार्थी सर्वेक्षण में, 230 व्यक्तियों का मत था कि नदियों की जल गुणवत्ता प्रदूषित थी; 219 व्यक्तियों का मत था कि इसका मुख्य कारण सीवेज तथा औद्योगिक प्रदूषण है, 203 व्यक्तियों ने बताया कि सीवेज शोधन सुविधा स्तरीय नहीं थी तथा 235 व्यक्तियों को यूपीपीसीबी / उप्र सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु उठाये गये कदम पर्याप्त नहीं लगे।

उत्तर प्रदेश में भूजल का प्रदूषण

उप्रस ने भूजल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन तथा भूजल रिचार्ज हेतु एक समग्र नीति यह मानते हुए तैयार की (फरवरी 2013) कि उत्तर प्रदेश में भूजल की गुणवत्ता एवं उपलब्धता की स्थिति अत्यधिक दोहन एवं प्रदूषण के कारण अत्यंत तनावपूर्ण थी।

उप्रस की नीति के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु यूपीपीसीबी ने औद्योगिक क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण एवं संचयन⁴⁹ हेतु अनुश्रवण एवं आवश्यक निर्देशों को जारी करने का निर्णय किया (जून 2013)। इसे, भूजल प्रदूषण का गहन अनुश्रवण और नियंत्रण प्रणाली, औद्योगिक इकाइयों में भूजल के स्तर एवं गुणवत्ता की निगरानी हेतु पीजोमीटर की अनिवार्य स्थापना को प्रवर्तन में लाने, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) तकनीक द्वारा भूजल गुणवत्ता की व्यापक मैपिंग एवं भूजल के उपयोग, दोहन अन्य विभागों के साथ अंतर-समन्वय के माध्यम से आकड़ों/सूचनाओं के संकलन, इत्यादि के माध्यम से किया जाना था।

17801 इकाइयों में से केवल 348 इकाइयों में भूजल संचयन प्रणाली थी

लेखापरीक्षा ने देखा कि 17,801 इकाइयाँ जिनको सहमति प्रदान की गयी थी, में से केवल 348 इकाइयों ने 2013–14 से 2015–16 के दौरान रुफ टॉप वर्षा जल संचयन, पुनर्भरण पिट, पुनर्भरण गढ़ों, स्टॉर्म वाटर संचयन प्रणाली स्थापित की थी।

इस प्रकार बोर्ड भूजल नीति एवं जल अधिनियम के अनुसार भूजल संरक्षण एवं पुनर्भरण के उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में विफल रहा।

प्रबंधन ने उत्तर में बताया (जुलाई 2016) कि शून्य द्रव्य उत्सर्जन की प्राप्ति हेतु प्रशोधित जल उत्प्रवाह के पुनरावर्तन एवं उसके पुनः प्रयोग, औद्योगिक इकाइयों में पीजोमीटर तथा वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं (अप्रैल 2015)। शासन ने निश्चित उत्तर नहीं दिया। तथ्य यह है कि उपरोक्त निर्देशों के कार्यान्वयन के अनुपालन का कोई अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है तथा भूजल गुणवत्ता की जीआईएस मैपिंग हेतु कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त यूपीपीसीबी दोषी उद्योगों पर जल अधिनियम कि धारा 41(2) के अन्तर्गत जुर्माना लगाने में विफल रहा।

अनुशंसा

यूपीपीसीबी को जल की गुणवत्ता सुधारने हेतु योजना बनानी चाहिए और बिना सीवेज प्रशोधन संयन्त्रों के संचालित उद्योगों का तथा वे जो बंद/आंशिक रूप से क्रियाशील सीवेज प्रशोधन संयन्त्रों के साथ संचालित हैं का डेटाबेस अद्यतन रखना चाहिए जिससे कि उनके विरुद्ध जल अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सके। कानूनों का सख्ती से पालन करवाने के लिए दोषी ऐजेंसियों पर जुर्माना अवश्य उद्ग्रहित करना चाहिए।

2.1.9.2 वायु प्रदूषण

वायु अधिनियम यूपीपीसीबी को किसी भी औद्योगिक संयन्त्र अथवा जहाज या वायुयान के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से वातावरण में उत्सर्जित किये जाने वाले वायु प्रदूषकों के निवारण, नियंत्रण या कमी हेतु कोई भी आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

वायु प्रदूषण का अपर्याप्त अनुश्रवण

सीपीसीबी ने वायु अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत 2009 में राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) अधिसूचित किये। अधिसूचना के अनुसार, 12 मापदण्डों⁵⁰ पर अनुश्रवण करना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीपीसीबी वायु की गुणवत्ता के केवल तीन मापदण्डों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (एनओ₂), पार्टिकुलेट मैटर₁₀ (पीएम₁₀) और सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ₂) का अनुश्रवण राज्य के 20 शहरों में 54 स्थानों पर कर रहा था।


⁴⁹ रुफ टॉप वर्षा जल संचयन, रिचार्ज पिट, रिचार्ज ट्रेन्च, स्टॉर्म वाटर संचयन, औद्योगिक इकाइयों के शोधित जल उत्सर्जन का अनिवार्य पुनःप्रयोग (रिसाइकिल) के द्वारा।

⁵⁰ एसओ₂, एनओ₂, पीएम₁₀, पीएम_{2.5}, ओ₃, पीबी, सीओ, एनएच₃, सी₆एच₆, बीएपी, एएस एवं एनआई।

पार्टिकुलेट मैटर का मानक से अधिक उत्सर्जन

वर्ष 2011–2015 के लिए 20 शहरों में 54 स्थानों की टेस्ट रिपोर्ट की जांच में, यह देखा गया कि पीएम₁₀ का स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के मानक के सापेक्ष अत्यधिक ऊँचा 87 से 347 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर के मध्य था। पीएम₁₀ के निर्धारित मानक से अधिक उच्च स्तर वाले प्रमुख शहर इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, नोएडा, वाराणसी थे (परिशिष्ट 2.10 (अ)) जिसे नीचे दिए गए चार्ट 2.1.7 में दर्शाया गया हैः—

चार्ट 2.1.7: वर्ष 2011 से 2015 के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में पीएम₁₀ का स्तर



सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी का वायु गुणवत्ता सूचकांक 2015–16 के दौरान कुछ माह में दिल्ली की तुलना में उच्चतर था। तथापि, इन शहरों में सलफर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वार्षिक औसत क्रमशः 50 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के निर्धारित मानक के अन्दर था।

यूपीपीसीबी पीएम₁₀ के स्तर को नियंत्रित करने एवं शेष नौ मानकों का अनुश्रवण करने में विफल रहा क्योंकि इनके पास एनएएक्यूएस के अन्तर्गत वायु गुणवत्ता के सभी मापदण्डों का अनुश्रवण करने की सुविधा नहीं थी।

शासन और प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि यूपीपीसीबी सभी वायु प्रदूषणकारी इकाइयों में पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित कर रहा है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात, यूपीपीसीबी ने समस्त आरटीओ/विकास प्राधिकरणों/नगर निकायों को विभिन्न शहरों/कर्सों में वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए कार्य योजना बनाने एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली की स्थापना कर, पीएम₁₀ के स्तर को नियंत्रित करने हेतु निर्देशित किया था (सितम्बर 2016)। तथ्य यह है कि यूपीपीसीबी द्वारा अनुश्रवण किये जाने वाले सभी 20 शहरों में पीएम₁₀ निर्धारित सीमा से ऊपर था जो इंगित करता है कि यूपीपीसीबी द्वारा किया जा रहा अनुश्रवण अपर्याप्त था।

सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों को स्थापित करने में विफलता

यूपीपीसीबी चार शहरों⁵¹ में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र (सीएएक्यूएमएस) संचालित कर रहा था। सीपीसीबी द्वारा 10 लाख से अधिक की

⁵¹ आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी।

आबादी वाले शहरों में एवं गम्भीर प्रदूषित क्षेत्रों⁵² में सीएएक्यूएमएस की स्थापना हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार, यूपीपीसीबी ने राज्य के आठ अन्य प्रमुख शहरों⁵³ में 2015–16 तक सीएएक्यूएमएस की स्थापना (लागत ₹ 8.80 करोड़) किये जाने का निर्णय लिया।

यूपीपीसीबी गम्भीर प्रदूषित शहरों में सीपीसीबी के निर्देशों के पाँच वर्षों के बाद भी सीएएक्यूएमएस की स्थापना नहीं कर सका

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि सीएएक्यूएमएस के क्रय की प्रक्रिया केवल तीन शहरों (गाजियाबाद, नोएडा और मुरादाबाद) में शुरू की गयी थी। लेखापरीक्षा ने क्रय से सम्बन्धित फाइलों की जाँच की और देखा कि क्रय की प्रक्रिया जुलाई 2014 में शुरू की गयी थी। तथापि, इस तीन से अधिक वर्षों के विलम्ब के लिए कोई कारण प्रलेखों में नहीं था। इस प्रकार, यूपीपीसीबी सीएएक्यूएमएस को सभी आठ शहरों में कार्योजना के तहत स्थापित नहीं कर सका (मार्च 2016)।

शासन ने उत्तर में, लेखापरीक्षा परिणाम की पुष्टि की और बताया (अक्टूबर 2016) कि तीन शहरों में सीएएक्यूएमएस हेतु उपकरणों की खरीद प्रारंभिक चरण में (क्रय आदेश निर्गत) है। तथापि, इन तीन शहरों में सीएएक्यूएमएस के क्रय में विलम्ब का कारण और पाँच शहरों में सीएएक्यूएमएस का क्रय प्रारंभ नहीं करने के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया गया। तथ्य यह है कि निधियों की उपलब्धता एवं पाँच वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी यूपीपीसीबी कार्य योजना के अनुसार उपकरणों का क्रय नहीं कर पाया जो उसकी प्रशासनिक मन्दता दर्शाता है। इस प्रकार, यूपीपीसीबी सीएएक्यूएमएस की स्थापना में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप सीपीसीबी द्वारा अपेक्षित गम्भीर प्रदूषित क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का ऑनलाइन अनुश्रवण नहीं हो रहा था।

अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा ऑनलाइन सतत उत्सर्जन एवं उत्प्रवाह अनुश्रवण तंत्र का कार्यान्वयन न किया जाना

स्व: नियामक प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावी अनुपालन के लिए अनुश्रवण तंत्र को सशक्त बनाने के लिए, सीपीसीबी ने सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अत्यधिक प्रदूषणकारी 17 श्रेणीयों⁵⁴ के उद्योगों को, सामूहिक उत्प्रवाह प्रशोधन संयंत्रों (सीईटीपी) और सामूहिक परिसंकटमय अपशिष्ट और जैव चिकित्सा अपशिष्ट इनसिनिरेटरों को 31 मार्च 2015 तक ऑनलाइन सतत गैस उत्सर्जन और जल उत्प्रवाह निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने के लिए निर्देशित किया (फरवरी 2014)। उत्सर्जन और उत्प्रवाह के ऑनलाइन अनुश्रवण आंकड़ों को राज्य पीसीबी और सीपीसीबी सर्वर पर अपलोड करना था।

इसके साथ ही, सीपीसीबी ने राज्य प्रदूषण बोर्डों को केन्द्रीकृत डेटा संग्रह, विश्लेषण और सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए अपने मुख्यालय में आवश्यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करने हेतु निर्देशित किया। अभिलेखों के नमूना जाँच से स्पष्ट हुआ कि बोर्ड ने 469 अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को निर्देशित किया; जिसमें से मार्च 2016 तक केवल 84 इकाइयों ने गैस उत्सर्जन के लिए ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी तंत्र स्थापित किया और 175 ने ऑनलाइन सतत जल उत्सर्जन निगरानी तंत्र स्थापित किया।

⁵² आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, नोएडा, सिंगरौली और वाराणसी—मिर्जापुर।

⁵³ इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद मेरठ, नोएडा और सोनभद्र (2014–15 में) तथा बरेली और सहारनपुर (2015–16 में)।

⁵⁴ किण्वन उद्योग सहित डिस्टलरी उद्योग, चीनी (खाण्डसारी को छोड़कर), उर्वरक, लुगादी और कागज, क्लोर क्षार, फार्मास्यूटिकल्स (बैसिक) (निर्माण को छोड़कर), रंजक और मध्यवर्ती, डाई सहित आसवनी कीटनाशक (निर्माण को छोड़कर) (तकनीकी), तेल रिफाइनरी (खनिज तेल और पेट्रो रिफाइनरियों), चर्म उद्योग, पेट्रोरसायन के निर्माण, सीमेंट, थर्मल पावर संयंत्र, लौह इस्पात (अयस्क / स्कैप, और एकीकृत इस्पात संयंत्रों से शामिल प्रक्रियाओं), जिंक स्मेल्टर, कॉपर स्मेल्टर और एल्यूमिनियम स्मेल्टर।

अग्रेतर, देखा गया कि यूपीपीसीबी ने केन्द्रीयकृत डेटा संग्रह और उसके विश्लेषण के लिए अब तक मुख्यालय में आवश्यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित नहीं किया (मार्च 2016) था। परिणामस्वरूप, यूपीपीसीबी उन उद्योगों के साथ भी ऑनलाइन लिंक नहीं कर सका जो ऑनलाइन निगरानी उपकरणों को स्थापित कर चुके थे।

इस प्रकार, यूपीपीसीबी ने राज्य में समस्त अत्यधिक प्रदूषक औद्योगिक इकाइयों द्वारा सतत् ऑनलाइन गैस उत्सर्जन और जल उत्सर्जन अनुश्रवण के सीपीसीबी के आदेश अनुपालन के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाये।

शासन और प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि यूपीपीसीबी एक मास्टर नियंत्रण रूम, एनआईसी की सम्मति से विकसित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में ऑनलाइन सतत् उत्सर्जन/उत्प्रवाह अनुश्रवण प्रणालियों की स्थापना प्रगति में है। तथ्य यह है कि 469 अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में से क्रमशः 385 और 294 इकाइयों द्वारा ऑनलाइन सतत् गैस उत्सर्जन अनुश्रवण तंत्र और ऑनलाइन सतत् उत्प्रवाह अनुश्रवण तंत्र की स्थापना अभी भी नहीं की गयी है। तथापि, यूपीपीसीबी ने इन अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया है और उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया है। इसके अलावा, यूपीपीसीबी मास्टर नियंत्रण कक्ष के स्थापित किये जाने हेतु निर्धारित समय के एक वर्ष बाद भी इसे स्थापित नहीं किया है।

लाभार्थी सर्वेक्षण


पाँच शहरों में 256 व्यक्तियों के लाभार्थी सर्वेक्षण में, 179 व्यक्तियों का मत था कि वायु प्रदूषित थी; 183 व्यक्तियों ने बताया कि प्रदूषण के मुख्य कारण वाहन और उद्योग हैं; और 215 व्यक्तियों को यूपीपीसीबी/उप्रस द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम अपर्याप्त लगे।

थर्मल पावर संयंत्रों द्वारा जनित फ्लाई एश का कम उपयोग

एमओईएफ, जीओआई ने फ्लाई एश के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करने हेतु पसं अधिनियम के अन्तर्गत थर्मल पावर संयंत्रों (टीपीपी) के 100 किमी० परिधि के अन्दर फ्लाई एश का भवन सामग्री के निर्माण और भवन निर्माण गतिविधियों में उपयोग अनिवार्य बनाने हेतु अधिसूचना जारी की (सितम्बर 1999)। एमओईएफ ने नवंबर 2009 में संशोधित अधिसूचना जारी की जिसमें अन्य बातों के साथ यह निर्धारित था कि सभी वर्तमान कोयला/लिंग्नाइट आधारित टीपीपी/विस्तार इकाइयों को अधिसूचना के निर्गत होने के पाँच वर्ष के अन्दर जनित फ्लाई एश का 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करना होगा। इस प्रकार, विद्यमान टीपीपी को जनित फ्लाई एश का पूर्ण उपयोग 2014–15 तक सुनिश्चित करना था। उक्त अधिसूचना में यह भी प्रावधानित था कि राज्य पीसीबी थर्मल पावर संयंत्रों द्वारा अधिसूचना के अनुपालन का अनुश्रवण करेंगे।

सात टीपीपी से प्राप्त सूचना के अनुसार, लेखापरीक्षा ने देखा कि 2011–12 से 2015–16 के दौरान 785.34 मीट्रिक टन (एमटी) फ्लाई एश जनित हुआ जिसके सापेक्ष सिर्फ 216.28 एमटी फ्लाई एश (28 प्रतिशत) का उपयोग हुआ जिसके कारण वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है {परिशिष्ट 2.10 (ब)}।

चार्ट 2.1.8 टीपीपी द्वारा 2011–12 से 2015–16 के मध्य फलाई एश के जनित/उपयोग की स्थिति



यह भी देखा गया था कि हालांकि यूपीपीसीबी द्वारा प्रति वर्ष टीपीपी को संचालन हेतु सहमति प्रदान की जा रही थी तथापि, न तो कोई अनुश्रवण किया जा रहा था और न ही यूपीपीसीबी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दिशानिर्देश दिए गए थे। फलाई एश के उपयोग हेतु एक प्रश्नावली नोएडा और गाजियाबाद में भवन निर्माण एजेंसियों को यूपीपीसीबी के माध्यम से जारी की गयी थी जिसका उत्तर नवंबर 2016 तक प्राप्त नहीं हुआ था।



एनटीपीसी पावर प्लान्ट, सोनभद्र का फलाई एश डम्प

शासन और प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि उप्रस ने टीपीपी के 300 किमी के अन्दर सरकारी निर्माण परियोजनाओं में फलाई एश का उपयोग अनिवार्य करने

से सम्बन्धित आदेश जारी कर दिया (जून 2016) है। तथ्य यह है कि यूपीपीसीबी फ्लाई एश के पूर्ण उपयोग के वर्तमान आदेशों का अनुश्रवण करने में विफल रहा जिससे वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई।

अनुशंसा

यूपीपीसीबी को वायु की गुणवत्ता में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए, सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्रों, सतत गैस उत्सर्जन और जल उत्प्रवाह निगरानी तंत्र की स्थापना करना चाहिए और सीपीसीबी/एमओईएफ के आदेश के अन्तर्गत फ्लाई एश के पूर्ण उपयोग का अनुश्रवण करना चाहिए।

2.1.9.3 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन नहीं करना

केन्द्र सरकार द्वारा पसं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 (एमएसडब्ल्यू नियम) के नियम 4 के अनुसार प्रत्येक नगर निकाय एमएसडब्ल्यू नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन और अपने क्षेत्र के अन्दर नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण के लिए उत्तरदायी है। नगर निकाय या ऐसी सुविधा के संचालक को लैंडफिल सहित अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधा की स्थापना हेतु यूपीपीसीबी से प्राधिकार प्राप्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, एमएसडब्ल्यू नियमों के नियम 6 में प्रावधानित है कि यूपीपीसीबी भूजल, परिवेशी जल, निकालितक⁵⁵ गुणवत्ता और इनसिनिरेशन मानकों सहित जैविक खाद की गुणवत्ता के बारे में मानकों के अनुपालन का अनुश्रवण करेगा। नियमों के अनुसार अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, प्रशोधन और निस्तारण की पूर्ण व्याप्ति सुनिश्चित करने के लिए यूपीपीसीबी को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत नगरीय निकायों को निर्देश जारी करने थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण की सुविधा स्थापित करने के लिए प्राधिकार प्राप्त न किया जाना

राज्य में 636⁵⁶ नगरीय निकायों में से 634 नगरीय निकायों ने (मार्च 2016 तक 12 नगर निगम, 198 नगर पलिका परिषद और 424 नगर पंचायत) यूपीपीसीबी से लैंडफिल सहित अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधा स्थापित करने के लिए प्राधिकार नहीं प्राप्त किया था। एमएसडब्ल्यू बिना किसी प्रशोधन के खुले स्थानों पर डम्प किया जा रहा था जो पर्यावरण तंत्र के लिए हानिकारक था। ऐसे किसी प्राधिकार के अभाव में, नगरीय निकायों के इन महत्वपूर्ण गतिविधियों की यूपीपीसीबी दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने में भी विफल रहा।

- एमएसडब्ल्यू के प्रशोधन के लिए 620 नगरीय निकायों में सुविधाओं का अभाव

राज्य में प्रतिदिन लगभग 15,403 मीट्रिक टन (एमटी) एमएसडब्ल्यू जनित होता था, जिसमें से वर्तमान में (मार्च 2016) सिर्फ 1,521 एमटी प्रतिदिन ही प्रशोधित किया जा रहा था।

⁵⁵ निकालितक का मतलब है ठोस कचरे या अन्य माध्यम से रिसने वाला द्रव और इसमें इनके द्वारा घुलित या निलंबित पदार्थ भी होते हैं।

⁵⁶ नगर निगम बरेली और इलाहाबाद ने प्राधिकार प्राप्त किया है।

620 नगर निकायों के पास एमएसडब्ल्यू के प्रशोधन की सुविधा नहीं थी। 15403 एमटी एमएसडब्ल्यू में से केवल 1521 एमटी ही प्रशोधित किया जा रहा था

प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा अपने नगरीय क्षेत्र में दिसम्बर 2003 तक अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधा स्थापित करानी थी। तथापि, सिर्फ आठ नगर निगम⁵⁷ और आठ नगर पालिका परिषद⁵⁸ ने एमएसडब्ल्यू प्रशोधन की सुविधा स्थापित की थी। इस प्रकार, 620 नगरीय निकायों के पास एमएसडब्ल्यू प्रशोधन की सुविधा नहीं है और इसलिए वे 13,882 एमटी एमएसडब्ल्यू प्रतिदिन बिना प्रशोधन के राज्य में खुले स्थानों पर डंप कर रहे थे जो मनुष्य और पर्यावरण तंत्र के लिए खतरनाक था। यूपीपीसीबी में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की।

- वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने में असफलता**

यूपीपीसीबी 2011–12 से 2015–16 के दौरान, सिर्फ 2013–14 को छोड़कर, नगरीय निकायों से एमएसडब्ल्यू की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने में और सीपीसीबी को संकलित वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करने में जैसा कि एमएसडब्ल्यू नियमों के क्रमशः नियम 4 एवं नियम 8 में अपेक्षित था, असफल रहा।

शासन और प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि एमएसडब्ल्यू नियमों के अन्तर्गत नगरीय निकायों को समय–समय पर निर्देश जारी किये गये (अप्रैल 2016) थे। नगरीय निकायों द्वारा यूपीपीसीबी के प्राधिकार के बिना कार्य करने और वार्षिक रिपोर्ट प्रदान नहीं करने के विषयों पर यूपीपीसीबी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। तथ्य यह है कि एमएसडब्ल्यू के प्रशोधन की अपर्याप्त सुविधा, जनित एमएसडब्ल्यू के 90 प्रतिशत सीमा तक है।

- लखनऊ में एमएसडब्ल्यू प्रशोधन सुविधा का भौतिक निरीक्षण**

शिवरी, लखनऊ में एमएसडब्ल्यू की प्रशोधन सुविधा के संयुक्त निरीक्षण में देखा गया कि एमएसडब्ल्यू प्रशोधन सुविधा अनाप्तिपत्र के बिना और ऐसे सहमति/प्राधिकार के साथ संचालित⁵⁹ की जा रही है जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अनिवार्य प्रयोगशाला स्थापित नहीं की गयी थी और इसकी लैंडफिल स्थान अभी भी निर्माणाधीन था।



⁵⁷ आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद और वाराणसी।

⁵⁸ बाराबंकी, फतेहपुर, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, मथुरा, मुजफ्फरनगर और रायबरेली।

⁵⁹ मेसर्स ज्योति एन्चॉयरेटेक, लखनऊ।

लाभार्थी सर्वेक्षण

पाँच शहरों में 256 व्यक्तियों के लाभार्थी सर्वेक्षण में 200 व्यक्तियों का मत था कि नगर निकायों के नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन खराब थे तथा 209 व्यक्तियों ने बताया कि यूपीपीसीबी/उप्रस द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम अपर्याप्त थे।

अनुशंसा


यूपीपीसीबी को नगरीय ठोस अपशिष्ट के संचालन एवं प्रबन्धन के सम्बन्ध में नियमों के अनुपालन के लिए नगर निकायों और अन्य प्रतिष्ठानों को निर्देश जारी करना चाहिए और पसं अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही भी करनी चाहिए।

2.1.9.4 वाराणसी और लखनऊ में प्रदूषण स्तर में विषमता

वाराणसी शहर पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह अत्यन्त प्राचीन समकालीन शहर है और भारत के आध्यात्मिक शहर के रूप में भी माना जाता है। लखनऊ राज्य की राजधानी है और पवित्र नदी गंगा की सहायक नदी गोमती नदी के तट पर स्थित है। यह सदैव एक बहुसांस्कृतिक शहर रहा है।

वाराणसी शहर का जनसंख्या घनत्व 2,395 व्यक्ति* प्रति वर्ग किलोमीटर है। लखनऊ शहर में जनसंख्या घनत्व कमतर है जो 1816 व्यक्ति* प्रति वर्ग किलोमीटर है।

इसके उपरान्त भी लेखापरीक्षा अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि वाराणसी में प्रदूषण स्तर लखनऊ की तुलना में अनुकूलतम् है (जल, वायु और नगरीय ठोस अपशिष्ट से सम्बन्धित)। यह देखा गया कि 2011 से 2015 की अवधि के दौरान वाराणसी में गंगा नदी में जल प्रदूषण और वाराणसी में वायु प्रदूषण लखनऊ से कम था जैसा नीचे तुलना की गयी है:



वाराणसी में गंगा नदी



लखनऊ में गोमती नदी

(*स्रोत : जनगणना 2011 के आंकड़े)

वाराणसी	लखनऊ
जल प्रदूषण (गंगा नदी का अनुप्रवाह): शहर में कुल सीवेज की उत्पत्ति 404 एमएलडी थी। वाराणसी में गंगा नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है जैसा नीचे विस्तार पूर्वक वर्णन किया है: <ul style="list-style-type: none"> • डीओ स्तर 6 मिलीग्राम/ली० या अधिक के निर्धारित स्तर के सापेक्ष 2011 के स्तर 7.14 मि०ग्रा०/ली० से बढ़कर 2015 में 7.40 मि०ग्रा०/ली० हो गया; • बीओडी स्तर 2 मि०ग्रा०/ली० या कम के निर्धारित स्तर के सापेक्ष 2011 के स्तर 6.22 मि०ग्रा०/ली० से घटकर 2015 में 5.09 मि०ग्रा०/ली० हो गया; • टोटल कॉलीफोर्म मात्रा 50 एमपीएन/100 मि०ली० या कम के निर्धारित स्तर के सापेक्ष 2011 के स्तर 48,000 एमपीएन/100 मि०ली० से घटकर 2015 में 44,000 एमपीएन/100 मि०ली० हो गयी। <p>पानी की गुणवत्ता में सुधार का मुख्य कारण गंगा नदी के किनारे अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 181 उद्योगों को बंद कराना था।</p>	जल प्रदूषण (गोमती नदी का अनुप्रवाह): शहर में कुल सीवेज की उत्पत्ति 675 एमएलडी थी। गोमती नदी के जल की गुणवत्ता और खराब हुई है जैसा नीचे विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है: <ul style="list-style-type: none"> • डीओ स्तर 2011 के स्तर 3.1 मि०ग्रा०/ली० से घटकर 2015 में 0.88 मि०ग्रा०/ली० हो गया; • बीओडी स्तर 2011 के स्तर 7.9 मि०ग्रा०/ली० से घटकर 2015 में 12.96 मि०ग्रा०/ली० हो गया; • टोटल कॉलीफोर्म मात्रा 2011 के स्तर 102666 एमपीएन/100 मि०ली० से बढ़कर 2015 में 136667 एमपीएन/100 मि०ली० हो गयी।
वायु प्रदूषण: यूपीपीसीबी ने वायु की गुणवत्ता के रियल टाइम अनुश्रवण हेतु वाराणसी में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्र स्थापित किया है। <ul style="list-style-type: none"> • 2011–2015 के दौरान पीएम₁₀ का वार्षिक औसत मान 125.55 माइक्रोग्राम/घन मीटर से 147.90 माइक्रोग्राम/घन मीटर था। यद्यपि, वाराणसी में पीएम₁₀ स्तर लखनऊ से बेहतर था, तथापि, यह निर्धारित स्तर 60 माइक्रोग्राम/घन मीटर से अधिक था। यूपीपीसीबी के वायु प्रदूषण के निवारण के प्रयास अपर्याप्त थे क्योंकि इसने अत्यधिक विलम्ब से (सितंबर 2016) एक कार्य योजना तैयार करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को दिशानिर्देश जारी किए। 	वायु प्रदूषण: यूपीपीसीबी ने वायु की गुणवत्ता के रियल टाइम अनुश्रवण हेतु लखनऊ में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्र स्थापित किया है। <ul style="list-style-type: none"> • 2011–2015 के दौरान पीएम₁₀ का वार्षिक औसत मान 163.91 माइक्रोग्राम/घन मी० से 191.36 माइक्रोग्राम/घन मी० था। • वाहनों की संख्या 16,76,584 थी जो कि वाराणसी में वाहनों की संख्या की दो गुने से भी अधिक है जिसने बढ़े हुए वायु प्रदूषण स्तर में योगदान किया। यूपीपीसीबी द्वारा इसका नियंत्रण नहीं किया गया। यूपीपीसीबी द्वारा किये गये प्रयास अपर्याप्त थे क्योंकि इसने सिर्फ हाल ही में (सितंबर 2016) एक कार्य योजना तैयार करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को दिशानिर्देश जारी किए हैं।
नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) प्रशोधन सुविधा: शहर में कुल एमएसडब्ल्यू उत्पादन 928.84 एमटी/दिन था जिसके सापेक्ष प्रशोधन संयंत्र में 600 एमटी/दिन प्रशोधित किया जा रहा है।	नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) प्रशोधन सुविधा: शहर में कुल एमएसडब्ल्यू उत्पादन 1670 एमटी/दिन था जिसके सापेक्ष 1300 एमटी/दिन की क्षमता का प्रशोधन संयंत्र अभी भी द्रायल में है। इस प्रकार, लखनऊ एमएसडब्ल्यू के प्रशोधन के संबंध में वाराणसी से पीछे है।

(झोत: यूपीपीसीबी और उ०प्र० जल निगम द्वारा प्रदत्त सूचना)

2.1.9.5 जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन

पसं अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 (बीएमडब्ल्यू नियमों) के नियम 8 के अनुसार, एक ऐसी संस्था का मालिक जो कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) की उत्पत्ति, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, शोधन, व्ययन और/या जैव चिकित्सा अपशिष्ट को किसी भी प्रकार से हथालित करती है (क्लीनिक, औषधालय, पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं, ब्लड बैंक जो प्रति माह 1000 रोगियों से कम को उपचार/सेवा उपलब्ध कराती है को छोड़कर), को प्राधिकर हेतु यूपीपीसीबी को आवेदन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बीएमडब्ल्यू नियमों के नियम 5 की अनुसूची-I में जैव-चिकित्सा की विभिन्न श्रेणियों के शोधन और व्ययन के विकल्प प्रावधानित हैं। बीएमडब्ल्यू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर यूपीपीसीबी द्वारा पसं अधिनियम की धारा 15 के तहत दोषी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों का प्राधिकार के बिना परिचालन

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य में 8,366 स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों (एचसीई) को यूपीपीसीबी से प्राधिकार प्राप्त करना अपेक्षित था। केवल 5,086 एचसीई ने प्राधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन किया और शेष 3,280 एचसीई ने इसके लिए आवेदन नहीं किया था। यूपीपीसीबी ने 4,254 एचसीई को प्राधिकार दिया और 750 आवेदन प्राधिकार के लिए लंबित थे। उल्लेखनीय चूककर्ताओं में एटा, अलीगढ़, महाराजगंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिला महिला अस्पताल, आजमगढ़ तथा लखनऊ/लखीमपुर में निजी नर्सिंग होम थे।

3,362 एचसीई
बिना प्राधिकार के
चल रहे थे

इस प्रकार, 3,362⁶⁰ एचसीई के अनाधिकृत संचालन ने यूपीपीसीबी द्वारा बिना निगरानी के बीएमडब्ल्यू के उत्पादन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, शोधन, व्यय और/या हथालन का अवसर दे दिया है।

प्रबंधन ने उत्तर में तथ्यों की पुष्टि (जुलाई 2016) की। शासन ने उत्तर नहीं दिया (अक्टूबर 2016)। तथ्य यह है कि बोर्ड अनाधिकृत एचसीई के विरुद्ध पसं अधिनियम के तहत कार्यवाही करने में विफल रहा।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन की अपर्याप्त सुविधा

1,682 किंवदन्ति/दिन
बीएमडब्ल्यू का
निस्तारण बिना शोधन
के हो रहा था

इन 8,366 एचसीई द्वारा जनित कुल बीएमडब्ल्यू 37,498 किंवदन्ति/दिन था जिसमें से केवल 35,816 किंवदन्ति/दिन बीएमडब्ल्यू का शोधन और निस्तारण हो रहा था जबकि 1,682 किंवदन्ति/दिन बीएमडब्ल्यू का अशोधित निस्तारण किया जा रहा था जो पर्यावरण के लिए अत्यधिक खतरनाक था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अधिकृत साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधाओं (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) की राज्य में कुल संख्या 20 थी जिनके भस्मन यंत्र की कुल स्थापित क्षमता 3,325 किंवदन्ति/घंटा थी अर्थात् 79,800 किंवदन्ति/दिन (3,325 किंवदन्ति
 \times 24 घंटा) थी। तथापि, 10 सीबीएमडब्ल्यूटीएफ (स्थापित क्षमता 1,675 किंवदन्ति/घंटा) के प्राधिकार वर्तमान में समाप्त थे। इसके अतिरिक्त, तीन सीबीएमडब्ल्यूटीएफ जिनकी क्षमता 300 किंवदन्ति/घंटा थी स्वतः बंद हो गए थे (परिशिष्ट 2.11)। इस प्रकार, 37,498 किंवदन्ति/दिन के कुल अपशिष्ट उत्पादन के सापेक्ष वर्तमान में सिर्फ सात सुविधाएं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 1,350 किंवदन्ति/घंटा अर्थात् 32,400 किंवदन्ति थी, परिचालन के लिए अधिकृत थे।

प्रबंधन ने उत्तर में तथ्यों की पुष्टि की (जुलाई 2016)। शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तथ्य यह है कि बीएमडब्ल्यू के शोधन की सुविधा अपर्याप्त थी जो पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है लेकिन यूपीपीसीबी ने दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की।

⁶⁰ 8,366–4,254–750 = 3,362

लाभार्थी सर्वेक्षण

पाँच शहरों में 256 व्यक्तियों के लाभार्थी सर्वेक्षण में, 135 व्यक्तियों का मत था कि बीएमडब्ल्यू प्रबंधन खराब थे; 101 व्यक्तियों ने बताया कि अधिकतर एचसीई द्वारा बीएमडब्ल्यू अधिकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रशोधन केन्द्रों के माध्यम से निस्तारण नहीं किया जा रहा था और 145 व्यक्तियों को यूपीपीसीबी/उप्रस द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम अपर्याप्त लगे।

पशु चिकित्सा संस्थानों और पशुशालाओं के अनुश्रवण का अभाव

बीएमडब्ल्यू नियमों के नियम 4 के अनुसार, बीएमडब्ल्यू जनित करने वाली संस्था के प्रत्येक अधिभोगी का कर्तव्य होगा कि वह बिना मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले इस अपशिष्ट के संचालन हेतु सभी कदम उठाना सुनिश्चित करें। बीएमडब्ल्यू नियम पशु चिकित्सा संस्थानों और पशुशालाओं के ऊपर भी लागू होते हैं।

बीएमडब्ल्यू नियमों के नियम 7 के तहत, यूपीपीसीबी बीएमडब्ल्यू नियमों के प्रावधानों के प्रवर्तन हेतु उत्तरदायी था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य में चल रहे पशु चिकित्सा संस्थानों और पशुशालाओं और उनके द्वारा जनित अपशिष्ट की कोई सूचना यूपीपीसीबी के पास नहीं थी। इस तरह की किसी भी सूचना के अभाव में, पशु चिकित्सा संस्थानों और पशुशालाओं द्वारा बीएमडब्ल्यू के निस्तारण का अनुश्रवण करने में यूपीपीसीबी विफल रहा।

शासन और प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, बरेली ने भर्मन यंत्र की स्थापना की है जो कि यूपीपीसीबी द्वारा प्राधिकृत है। यह भी कहा गया था कि उप्र सरकार ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने क्षेत्र में बीएमडब्ल्यू प्रबंधन के नियमों को लागू करने के लिए निर्देश दिया था (जुलाई 2016)। तथ्य यह है कि पशु चिकित्सा संस्थानों/पशुशालाओं द्वारा राज्य में जनित बीएमडब्ल्यू की समग्र स्थिति यूपीपीसीबी के पास उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, यदि यूपीपीसीबी के पास आंकड़े होते तो वह बीएमडब्ल्यू निस्तारण हेतु इन पशु चिकित्सा संस्थानों का अनुश्रवण कर सकता था और बीएमडब्ल्यू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए संस्थानों को नोटिस जारी करके उचित कार्यवाही कर सकता था।

लखनऊ में जैव-चिकित्सा शोधन सुविधा का भौतिक निरीक्षण

लखनऊ में एक जैव-चिकित्सा शोधन सुविधा⁶¹ के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में देखा गया कि बीएमडब्ल्यू बिना पृथक्करण के रखा था और जनित परिसंकटमय अपशिष्ट दरवाजे के बिना एक बाड़े में रखा गया था जैसा कि नीचे दिखाया गया है:



चक गंजरिया लखनऊ के निकट बीएमडब्ल्यू प्रथक्करण के बिना रखा गया



चक गंजरिया लखनऊ के निकट परिसंकटमय अवशेष दरवाजे के बिना संग्रहण

⁶¹ मैसर्स स्पेक्ट्रम सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ।

अनुशंसा

यूपीपीसीबी को जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन और प्रबंधन के लिए एचसीई को बीएमडब्ल्यू नियमों के अनुपालन के लिए निर्देश जारी करना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही भी करना चाहिए।

अन्य अपशिष्ट

2.1.9.6 परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन

परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापार संचालन) नियम, 2008 का कार्यान्वयन

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापार संचालन) नियम, 2008 (एचडब्ल्यूएमएचटी नियम) के अनुसार, राज्य पीसीबी को परिसंकटमय अपशिष्ट⁶² का सूचीकरण करना, प्राधिकार प्रदान करना और उसका नवीनीकरण करना, रीसाइकलरों/रीप्रोसेसरों का रजिस्ट्रीकरण एवं नवीनीकरण करना, प्राधिकार के विभिन्न प्रावधानों और शर्तों को लागू करने का अनुश्रवण करना, परिसंकटमय अपशिष्ट की रोकथाम/कमी/कम उत्पादन के कार्यक्रमों को लागू करना और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ करना है। इसके अलावा, एचडब्ल्यूएमएचटी नियम के अनुसार, अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जक ठेकेदार⁶³ और परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण की सुविधा के संचालक ऐसे क्रियाकलापों के दस्तावेज रखेंगे और ठेकेदार/सुविधा के संचालक इसका वार्षिक प्रतिवेदन राज्य पीसीबी को भेजेंगे।

परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पादक उद्योगों का बिना प्राधिकार के कार्य करना

लेखापरीका ने देखा कि यूपीपीसीबी द्वारा चिह्नित परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पादक उद्योगों की कुल संख्या 2,470 थी जिनमें से केवल 1,830 परिचालन में थी। लेखापरीका ने आगे देखा कि 327 उद्योगों का प्राधिकार के बिना संचालन किया जा रहा था। यूपीपीसीबी के अनुसार, 1.38 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष परिसंकटमय अपशिष्ट की उत्पत्ति होती है।

नियम 23 के अन्तर्गत, यूपीपीसीबी को एचडब्ल्यूएमएचटी नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्यवाही करनी थी। प्रबंधन ने राज्य में अनाधिकृत रूप से संचालित परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पादक उद्योगों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के संबंध में, यदि कोई हो, विवरण प्रस्तुत नहीं किया। तथ्य यह है कि यूपीपीसीबी ने बिना प्राधिकार के संचालित हो रहे उद्योगों के विरुद्ध नियमों के तहत कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की।

अवैध डम्प स्थल

लेखापरीका ने देखा कि राज्य में लगभग 1,41,432 एमटी के पाँच अवैध डम्प साइट (कानपुर में चार और देवा रोड, बाराबंकी में एक) हैं जहाँ



खानपुर, कानपुर में परिसंकटमय अपशिष्ट (रसायनिक औद्योगिक अपशिष्ट) का डम्प

⁶² परिसंकटमय अपशिष्ट से तात्पर्य किसी भी ऐसे अपशिष्ट से है जो कि किसी भी कारणों से अपने भौतिक, रासायनिक, प्रतिक्रियाशील, विषैले, ज्वलनशील, विस्फोट या संक्षारक विशेषताओं से खतरे का कारण बनता है या स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरा पैदा होने की संभावना रखता है।

⁶³ एमडब्ल्यूएमएचटी नियमों के अनुसार 'किसी कारखाने या परिसर के सम्बन्ध में ठेकेदार' वह व्यक्ति है जो कारखाने या परिसर के मामलों पर नियंत्रण रखता है और इसमें किसी भी प्रकार का खतरनाक कचरे के संबंध में यह वो व्यक्ति भी शामिल है जो इस परिसंकटमय कचरे का कब्जेदार हो।

परिसंकटमय प्रकृति का अपशिष्ट कई वर्षों से डम्प किया गया है जिसके पुनर्वास और स्वच्छता की आवश्यकता थी।

तथापि, यूपीपीसीबी द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी थी (मार्च 2016) और अपशिष्ट अभी भी डम्प है जिसके कारण भूमि, जल और वायु की गुणवत्ता प्रदूषित हो रही थी।

उत्तर में, शासन और प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2016) कि सीपीसीबी ने दो अवैध डम्प स्थलों (एक कानपुर में और एक देवा रोड, बाराबंकी में) को भारत सरकार के स्वच्छ ऊर्जा निधि परियोजना के अन्तर्गत मोचन के लिए चुना गया है। तथ्य यह है कि परिसंकटमय अपशिष्ट के डम्पों का मोचन अभी तक नहीं किया गया है।

लैंडफिल साइटों के रखरखाव के लिए एस्क्रौ खाते नहीं खोलना

सीपीसीबी के 2009 के परिपत्र के अनुसार, हर अधिकृत परिसंकटमय अपशिष्ट शोधन, भंडारण और निस्तारण सुविधा (टीएसडीएफ) द्वारा लैंडफिल साइट के पूर्णरूप से भर जाने के बाद उसकी 30 वर्षों तक देखभाल करनी होती है। इस उद्देश्य के लिए, सीपीसीबी द्वारा यह आदेश दिया गया कि ऐसी सुविधा का हर संचालक एक एस्क्रौ खाता एक राष्ट्रीयकृत बैंक में खोलेगा और इसे बरकरार रखेगा एवं अपने लैंडफिल लायक कचरे से प्राप्त टर्नओवर (राजस्व) का पाँच प्रतिशत का इसमें योगदान करेगा। यह एक त्रिपक्षीय खाता होगा जो टीएसडीएफ संचालक, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एस्क्रौ एजेंट के रूप में एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के संयुक्त नाम में होगा। ऐसे बैंक खाते में जमा धन केवल लैंडफिल साइटों के रखरखाव के लिए उपयोग किया जाएगा।

दो टीएसडीएफ ने एस्क्रौ खाते नहीं खोले जो लैंडफिल साइट के रखरखाव के लिए आवश्यक था

यूपीपीसीबी द्वारा तीन संचालित टीएसडीएफ संचालकों में से दो⁶⁴ की सूचना उपलब्ध कराई गयी। लेखापरीक्षा ने देखा कि इन दो टीएसडीएफ संचालकों ने एस्क्रौ खाते अभी तक नहीं खोले थे। इस संबंध में यूपीपीसीबी द्वारा कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया गया था। इस प्रकार, यूपीपीसीबी एचडब्ल्यूएमएचटी नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करवाने में विफल रहा।

उत्तर में, शासन और प्रबंधन ने बताया कि (अक्टूबर 2016) यूपीपीसीबी एस्क्रौ खाते खोलने और सभी तीन टीएसडीएफ के साथ त्रिपक्षीय समझौते करने की प्रक्रिया में था। तथ्य यह है कि एस्क्रौ खाते अभी तक नहीं खोले गए हैं और एस्क्रौ खाते के अभाव में, लैंडफिल साइट का रखरखाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

परिसंकटमय अपशिष्ट के शोधन, भंडारण और निस्तारण सुविधा का भौतिक निरीक्षण

रमाबाई नगर में दो टीएसडीएफ⁶⁵ के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि दोनों टीएसडीएफ ने अभी तक (मार्च 2016) लैंडफिल साइट के बन्द होने के बाद के देखभाल और अनुश्रवण के लिए एस्क्रौ खाते नहीं खोले थे।

2.1.9.7 ई—अपशिष्ट प्रबंधन

ई—अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2011 का क्रियान्वयन

प०सं० अधिनियम के तहत अधिसूचित ई—अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2011, हर उत्पादक, उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता जो इलेक्ट्रीकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या घटकों जैसा कि नियमों में निर्दिष्ट है, के विनिर्माण, बिक्री, क्रय एवं प्रसंस्करण में शामिल है, पर लागू होता है और सभी संग्रह केन्द्रों, विघटित करने वालों और पुनर्चक्रण करने वालों, जो वि. ई—अपशिष्ट के संचालन, उत्पादन, संग्रह, प्राप्ति, भंडारण,

⁶⁴ मेसर्स भारत ऑयल और वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड और मेसर्स यूपी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट दोनों कुम्ही, रमाबाई नगर, कानपुर देहात में स्थित।

⁶⁵ मेसर्स भारत ऑयल और वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड और मेसर्स यूपी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट दोनों कुम्ही, रमाबाई नगर, कानपुर देहात में स्थित।

पृथक्करण, नवीकरण, समाप्ति, पुनर्चक्रण, उपचार या/और निस्तारण में शामिल हो सकते हैं की भूमिका और जिम्मेदारी को परिभाषित करता है।

नियमों की अनुसूची III में सूचीबद्ध कर्तव्यों के अनुसार, प्रत्येक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्तव्य ई-अपशिष्ट का सूचीकरण; प्राधिकार को प्रदान करना और उसका नवीनीकरण; ई-कचरे के पुनर्चक्रण करने वालों का पंजीकरण; प्राधिकार और पंजीकरण की शर्तों के अनुपालन का अनुश्रवण; प्राधिकार के लिए लगाई गयी शर्तों की सूचना को बनाये रखना, इन नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करना और इन नियमों के तहत मंत्रालय द्वारा दिए गए अन्य कार्य थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

11 ई-अपशिष्ट
पुनर्चक्रण/संग्रह/उत्पादन
इकाइयाँ बिना प्राधिकार के
चल रहीं थीं

- राज्य में पुनर्चक्रण/संग्रह/उत्पादन इकाइयों कि कुल संख्या मार्च 2016 तक 27 थी जिनकी कुल क्षमता 89,886 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष (एमटीए) थी। इनमें से 24 यूपीपीसीबी के साथ पंजीकृत/अधिकृत थे। इन 24 इकाइयों में, 8 इकाइयों की वैधता (कुल क्षमता: 37,090 एमटीए) मार्च 2016 को समाप्त हो गई। इस प्रकार, 27 इकाइयों में से 11 इकाइयाँ (42,840 एमटीए कुल क्षमता का 48 प्रतिशत) प्राधिकार के बिना चल रही थी (परिशिष्ट 2.12)।

यूपीपीसीबी ने ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण/संग्रह/उत्पादन इकाइयों के अवैध संचालन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। वह नियमों के तहत इन प्राधिकृत/पंजीकृत/उत्पादकों/संग्रहकताओं/विघटित करने वालों/पुनर्चक्रण करने वालों से वार्षिक रिटर्न प्राप्त करने को भी सुनिश्चित नहीं कर सका फलस्वरूप प्राधिकार और पंजीकरण की शर्तों के अनुपालन का अनुश्रवण करने में विफल रहा।

शासन और प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि यूपीपीसीबी नियमित रूप से पंजीकृत ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रकारों की निगरानी कर रहा है और अनुपालन न करने वाली इकाइयों को नोटिस भेज रहा है। तथ्य यह है कि यूपीपीसीबी अपंजीकृत/अनाधिकृत ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण/संग्रह/उत्पादन इकाइयों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं कर सका। इसके अलावा, यूपीपीसीबी ने पंजीकृत/अधिकृत ई-अपशिष्ट इकाइयों से वार्षिक रिटर्न प्राप्त नहीं किया था और उसके पास इनवैट्री का नवीनतम आंकड़ा नहीं था।

लाभार्थी सर्वेक्षण

पाँच शहरों में 256 व्यक्तियों के लाभार्थी सर्वेक्षण में, 169 व्यक्तियों का मत था कि ई-अपशिष्ट प्रबंधन खराब था; 169 व्यक्तियों ने बताया कि वे अनाधिकृत कबाड़ीवाला को अपने ई-अपशिष्ट निस्तारण के लिए देते हैं और 151 व्यक्तियों को यूपीपीसीबी/उप्र सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम अपर्याप्त लगे।

अनुशंसा

बोर्ड को परिसंकटमय/ई-अपशिष्ट के हथालन एवं प्रबंधन के लिए बने नियमों के अनुपालन हेतु संबंधित प्रतिष्ठानों को दिशानिर्देश जारी करने चाहिए और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही भी करनी चाहिए।

2.1.10 अनुश्रवण

पर्यावरणीय अधिनियमों द्वारा यूपीपीसीबी को पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने, किसी भी उद्योग, प्रचालन या प्रक्रिया के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए उचित कार्यवाही करने और पर्यावरणीय अधिनियमों के उल्लंघन के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही आरंभ करने की शक्ति प्रदान की गयी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत, भारत सरकार द्वारा विभिन्न अपशिष्ट

प्रबंधन और हथालन हेतु नियम बनाये गये हैं जो कि यूपीपीसीबी को विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट से फैलने वाले प्रदूषण के नियंत्रण और उपशमन करने हेतु निर्देशित करते हैं। निर्देश जारी करने की शक्ति में किसी उद्योग, प्रचालन या प्रक्रिया को बन्द करने के लिये निर्देश जारी करने की शक्ति भी शामिल है, जो कि उसे जल अधिनियम की धारा 33 ए, वायु अधिनियम की धारा 31 ए और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के तहत प्राप्त है। इन अधिनियमों में यह प्राविधानित है कि पर्यावरणीय अधिनियमों के उल्लंघन पर और बोर्ड के दिशानिर्देशों की अवज्ञा पर अभियोजन चलाने और दोषी पर तीन महीने से सात वर्ष तक के कारावास की सजा और/या जुर्माना ₹ 10,000 से ₹ 1,00,000 तक लगाया जा सकता है।

2.1.10.1 प्रभावी सहमति प्रशासन (कन्सेन्ट मैनेजमेन्ट) की कमी

उद्योगों/स्थानीय निकायों/कार्यशालाओं का सहमति के बिना परिचालन

जल अधिनियम की धारा 25 और वायु अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत, किसी भी उद्योग, प्रचालन या प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए, जो सीवेज या औद्योगिक उत्सर्जन को धारा, कुआं, सीवर या भूमि पर बहा सकता है और/या गैस उत्सर्जन से वायु प्रदूषित कर सकता है, यूपीपीसीबी की सहमति की आवश्यकता होती है। यह सभी अधिनियम यूपीपीसीबी को औद्योगिक इकाइयों और स्थानीय निकायों को “स्थापना के लिए अनापत्ति” (एनओसी) और “संचालन के लिए सहमति” (सीएफओ) निर्गत करने की और इसकी आवधिक नवीनीकरण की शक्ति प्रदान करते हैं। यूपीपीसीबी क्रमशः लाल, नारंगी और हरे रंग की श्रेणियों के अन्तर्गत उद्योगों को क्रमशः दो साल, तीन साल और पाँच साल के लिए सीएफओ देता है। लेखापरीक्षा ने इस संबंध में निम्नलिखित कमियां देखीं:

- यूपीपीसीबी के पास उद्योगों को सीएफओ के निर्गमन, समाप्ति और उसके नवीनीकरण के संबंध में किसी भी तरह का कंप्यूटरीकृत डेटा बैंक नहीं है। उद्योगों, जिन्हें एनओसी जारी किए गए थे लेकिन उन्होंने सीएफओ प्राप्त/नवीनीकरण नहीं किया, के अनुश्रवण का भी कोई तंत्र मौजूद नहीं था।
- राज्य के 636⁶⁶ स्थानीय निकायों में से, 635 स्थानीय निकाय (13 नगर निगम⁶⁷, 198 नगर पालिका परिषद और 424 नगर पंचायत) यूपीपीसीबी से बिना सीएफओ प्राप्त किए कार्य कर रहे थे। इन स्थानीय निकायों द्वारा संचालित 13 वधशालायें भी यूपीपीसीबी से बिना सीएफओ प्राप्त किए संचालित हो रही थीं और उनमें उत्प्रवाह शोधन संयंत्र भी नहीं था।
- रेलवे की लोकोमोटिव कार्यशालायें और उ0प्र0 सड़क परिवहन निगम की कार्यशालायें बिना यूपीपीसीबी से एनओसी/सीएफओ प्राप्त किए और बिना उत्प्रवाह शोधन संयंत्र के संचालित थीं। यह देखा गया कि इन संस्थानों ने सीएफओ के लिए आवेदन तक नहीं किया था।

जल अधिनियम के अनुसार, यूपीपीसीबी के पास स्थानीय निकायों को शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार है। नोटिस के अनुपालन नहीं करने की स्थिति में, यूपीपीसीबी अपने खर्च पर शोधन संयंत्रों को स्थापित कर और इसे स्थानीय निकायों से वसूल सकता है। यूपीपीसीबी के पास इन निकायों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की भी शक्ति है। तथापि, स्थानीय निकायों/उद्योगों द्वारा सहमति के बिना संचालन पर यूपीपीसीबी द्वारा की गई कार्यवाही अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी।

⁶⁶ स्रोत – निवेशालय, शहरी स्थानीय निकायों, उप्र सरकार की कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका 2016–17।

⁶⁷ नगर निगम इलाहाबाद को सीएफओ प्राप्त।

उपरोक्त अनियमितताएं दर्शाती हैं कि यूपीपीसीबी ने, स्थानीय निकायों/उद्योगों, जो बिना सहमति के चल रहे थे, के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया था।

शासन और प्रबंधन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2016) कि यूपीपीसीबी ने आन्तरिक ऑनलाइन सहमति तंत्र के विकास की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। स्थानीय निकायों, लोकोमोटिव कार्यशाला और सड़क परिवहन कार्यशाला के बिना सहमति के संचालन करने का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

तथ्य यह है कि सहमति के प्रबंधन के लिए कम्प्यूटरीकृत सिस्टम अभी भी विकसित किया जाना शेष है। इसके अलावा, स्थानीय निकाय, लोकोमोटिव कार्यशाला और सड़क परिवहन कार्यशाला अभी भी सहमति के बिना कार्य कर रहे हैं।

सहमति के निर्गम में देरी

जल अधिनियम की धारा 25 और वायु अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, औद्योगिक इकाइयों और स्थानीय निकायों को यूपीपीसीबी द्वारा सहमति आवेदन की तारीख से 120 दिन के अन्दर प्रदान की जानी थी।

मार्च 2016 को यूपीपीसीबी के पास अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु 251 आवेदन लंबित थे जिनमें से 94 आवेदन 120 दिनों से अधिक से लंबित थे। 2015–16 के दौरान यूपीपीसीबी ने 26 अनापत्ति प्रमाणपत्र दिये जिसमें 16 अनापत्ति प्रमाणपत्र 120 दिन से ऊपर एक माह से 11 माह की देरी के साथ जारी किए गए थे (परिशिष्ट 2.13)। इसके अतिरिक्त, 11 आवेदन अस्वीकार/लौटाए/बंद कर दिये गए थे, जिसमें से पाँच आवेदन 120 दिन के पश्चात् अस्वीकार किये गये थे। इस तरह के विलम्ब के कारण अंतिम निर्णय न होना, निरीक्षण/सत्यापन में देरी, आदि थे।

उत्तर में, शासन और प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2016) कि इन–हाउस ऑनलाइन सहमति प्रबंधन तंत्र का विकास किया जा रहा है ताकि सभी सहमति आवेदन पत्रों का समय पर निस्तारण हो सके।

अनुशंसा

यूपीपीसीबी सहमति प्रशासन तंत्र को मजबूत बनाना चाहिए और सहमति के बिना चल रहे उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए।

2.1.10.2 औद्योगिक इकाइयों का अपर्याप्त निरीक्षण/नमूना संग्रह और परीक्षण

पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ), भारत सरकार, दिसंबर 1999 में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार औद्योगिक इकाइयों का नियमित रूप से, उनके वर्गीकरण के आधार पर अर्थात् लाल (अत्यधिक प्रदूषणकारी), नारंगी (मध्यम प्रदूषणकारी) और हरा रंग (अल्पतम प्रदूषण फैलाने वाले), निरीक्षण किया जाना चाहिए (परिशिष्ट 2.14)।

यूपीपीसीबी ने (2013) लाल, नारंगी और हरे रंग की श्रेणियों के उद्योगों के लिए सामान्य परिस्थितयों में अपने अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, क्रमशः हर तीन, चार और छः माह की आवृत्ति पर जल और वायु अधिनियमों के अनुपालन की जाँच करने हेतु निर्धारण किया। लेखापरीक्षा ने इस संबंध में निम्नलिखित कमियाँ देखीं:

यूपीपीसीबी ने निरीक्षण के लक्ष्य निर्धारित करने में किसी भी मानदण्ड का पालन नहीं किया

- एमओईएफ के और अपने स्वयं के आदेश (2013) के व्यतिक्रम में यूपीपीसीबी ने क्षेत्रवार औद्योगिक उत्प्रवाह, सतह जल और औद्योगिक उत्सर्जन के संबंध में वार्षिक नमूना संग्रह और विश्लेषण के लिए निरीक्षण संख्या का लक्ष्य निर्धारित किया। क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली के अभिलेखों के परीक्षण जाँच से पता चला कि अप्रैल 2011 से मार्च 2016 की अवधि के लिए निरीक्षण का लक्ष्य, एमओईएफ के मानकों के सापेक्ष 286 (21 प्रतिशत) से कम निर्धारित था (परिशिष्ट 2.15)। मानदंडों की तुलना में लक्ष्य के कम निर्धारण के लिए उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

निरीक्षण के लक्ष्यों के अन्तिमीकरण एवं उसकी प्राप्ति में कमी थी

- सात क्षेत्रों की नमूना जाँच से पता चला कि कुछ क्षेत्र 2011–12 से 2015–16 के दौरान यूपीपीसीबी द्वारा तय उद्योगों के निरीक्षण के लक्ष्यों को भी हासिल नहीं कर सके। वहाँ औद्योगिक उत्प्रवाह के निरीक्षण हेतु लक्ष्यों की प्राप्ति में तीन से 56 प्रतिशत (परिशिष्ट 2.16) की कमी दो से चार क्षेत्रों में, सतह जल के निरीक्षण हेतु लक्ष्यों की प्राप्ति में, चार से 88 प्रतिशत (परिशिष्ट 2.17) की कमी एक से तीन क्षेत्रों में, और औद्योगिक उत्सर्जन के निरीक्षण हेतु लक्ष्यों की प्राप्ति में (परिशिष्ट 2.18) एक से पाँच क्षेत्रों द्वारा 20 से 95 प्रतिशत की कमी थी। उत्तर में, प्रबंधन (जुलाई 2016) ने बताया कि निरीक्षण का लक्ष्य क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की कमी के कारण हासिल नहीं हो सका।

- क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली में 61 में से 28 लाल श्रेणी उद्योगों का 2015–16 में एक बार भी निरीक्षण नहीं किया गया। जबकि शेष 33 उद्योगों में, 21 उद्योगों का दौरा चार बार से कम किया गया, जबकि 11 उद्योगों का दौरा पाँच से 14 बार किया गया जबकि यूपीपीसीबी द्वारा एक वर्ष में चार बार दौरा ही निर्धारित किया गया था। इसी तरह से क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ में 120 में से 78 लाल श्रेणी उद्योगों में वर्ष 2015–16 के दौरान एक बार भी दौरा नहीं किया जा सका।

यूपीपीसीबी द्वारा एक वर्ष में चार बार निर्धारित दौरों के विरुद्ध, शेष 42 उद्योगों में, 34 उद्योगों में चार बार से कम दौरा किया गया जबकि आठ उद्योगों में पाँच से आठ बार दौरा किया गया।

यह इंगित करता है कि उद्योगों का चयन व निरीक्षण मनमाने तरीके से किया गया था और यह मानकों के अनुरूप नहीं था।

उत्तर में, शासन और प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2016) कि गंभीर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का निरीक्षण त्रैमासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है और अधिनियमों के अनुसार दोषी इकाइयों के विरुद्ध नियमित आधार पर कार्यवाही की जाती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लाल और अन्य श्रेणियों के उद्योगों के निरीक्षण के लिए उद्योगों का चयन मनमाने तरीके से और मानकों के विरुद्ध किया गया था। इसके अलावा, निरीक्षण के लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सका।

अनुशंसा

यूपीपीसीबी को मानदंडों के अनुसार उद्योगों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए और दोषी उद्योगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही शुरू करनी चाहिए।

2.1.10.3 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए, यूपीपीसीबी में दो स्तरीय कार्य व्यवस्था जिसमें मुख्य कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय (परिशिष्ट 2.19) आते हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा का अभाव

एक संगठन के भीतर स्थापित आंतरिक लेखापरीक्षा, संगठन के लिए एक सेवा के रूप में अपनी गतिविधियों की जाँच और मूल्यांकन करने की एक स्वतंत्र मूल्यांकन गतिविधि है। आंतरिक लेखापरीक्षा का उद्देश्य, अपने उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन में संगठन के सदस्यों की सहायता करना है।

यह देखा गया कि यूपीपीसीबी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की जा रही थी, जिसके अभाव में गतिविधियों में कमियों को प्रबंधन के संज्ञान में नहीं लाया जा सका।

उत्तर में, शासन और प्रबंधन ने इस तथ्य को स्वीकार किया और बताया (अक्टूबर 2016) कि यह कर्मचारियों की कमी के कारण अतीत में नहीं किया जा सका। हालांकि, अब आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए समर्पित कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। तथ्य यह है कि आंतरिक लेखापरीक्षा का महत्वपूर्ण कार्य आज तक नहीं किया जा रहा था।

अनुशंसा

यूपीपीसीबी की एक अलग आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा होनी चाहिए जो सीधे शीष प्रबंधन को रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी हो।

बोर्ड की बैठकों की अपर्याप्त संख्या

जल अधिनियम की धारा 8 कहती है कि यूपीपीसीबी की बोर्ड बैठक हर तीन महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए और वह अपनी बैठकों में व्यवसाय के लेन-देन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जैसा कि निर्धारित किया गया है।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि यूपीपीसीबी हर तीन महीने में कम से कम एक बोर्ड बैठक के प्रावधान का अनुपालन करने में विफल रहा और उसने अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2015 की अवधि के दौरान केवल दस बैठकों को आयोजित किया जबकि इस अवधि में 15 बैठकों को आयोजित किया जाना था।

उत्तर में, प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि पर्याप्त संख्या में बोर्ड बैठकों का, चुनाव आदि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, आयोजन नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जल अधिनियम के अनुसार पर्याप्त बोर्ड बैठक आयोजित किया जाना चाहिए और चुनाव प्रक्रिया बोर्ड की बैठकों के संचालन में लगातार बाधा नहीं हो सकती है। शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

मानव शक्ति प्रबंधन

एक संगठन का कुशल संचालन अपेक्षित जनशक्ति की उपलब्धता और उपलब्ध जनशक्ति के उचित प्रबंधन पर निर्भर करता है। 819 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 172 पद 31 मार्च 2016 तक खाली पड़े थे जैसा कि (परिशिष्ट 2.20) में दर्शाया गया है। संबंधित समूहों में आठ से लेकर 66 तक विभिन्न काडरों के तहत जनशक्ति की कमी थी। जनशक्ति की समग्र कमी 21 प्रतिशत थी।

उत्तर में, प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2016) कि यूपीपीसीबी ने यूपीपीएससी / यूपीएसएससी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है (अप्रैल 2016) जो अपने नियत समय से पूरी हो जाएगी। शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

तथ्य यह है कि यूपीपीसीबी ने भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की है।

अनुशंसा

यूपीपीसीबी को पर्यावरण अधिनियमों और नियमों के तहत अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए भर्ती की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए।

2.1.11 अच्छी कार्यप्रणालियाँ

राज्य सरकार ने, यूपीपीसीबी के साथ परामर्श से वायु प्रदूषण में कमी के लिए, वायु अधिनियम की धारा 19 के उपर्युक्त 5 के तहत फसलों की कटाई के बाद बचे ठूंठ को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है (अक्टूबर 2015)।

2.1.12 निष्कर्ष

- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी), नियोजन, समन्वय, प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की नोडल एजेंसी है। इसने राज्य में 2013–14 तक जल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार नहीं की थी और यह 2014–15 से 2015–16 के लिए कार्य योजना में परिकल्पित प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन का लक्ष्य हासिल नहीं कर सका।

क्षेत्रीय कार्यालयों में यूपीपीसीबी की प्रयोगशालायें बिना मान्यता के तथा बिना आवश्यक परीक्षण सुविधाओं के कार्य कर रहीं थीं।

- यूपीपीसीबी का वित्तीय प्रबंधन कमजोर था। वित्तीय विवरण 2008–09 से तैयार नहीं थे और 1992–93 से लेखापरीक्षित नहीं थे। 2011–12 से 2015–16 के दौरान यह केवल 9 से 21 प्रतिशत बजट ही, निधियों की उपलब्धता के बावजूद, प्रदूषण नियन्त्रण के उपायों पर व्यय कर सका। उनके द्वारा जल उपकर का उचित निर्धारण और वसूली नहीं की गयी। मार्च 2016 तक जल उपकर की विशाल राशि ₹ 1,050.13 करोड़ उद्योगों से वसूल की जानी थी। भारत सरकार से प्राप्त धन का पूरी तरह से उपयोग न करने के कारण आगे की जल उपकर राशि ₹ 193.32 करोड़ की प्रतिपूर्ति नहीं हुई।
- राष्ट्रीय जल गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम के अधीन नौ कोर पैरामीटर में से यूपीपीसीबी केवल तीन पैरामीटर का अनुश्रवण कर रहा था। नदियों और जलाशयों में जल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं थी क्योंकि सीवेज शोधन सुविधाओं की कमी थी। तथापि, जल अधिनियम के तहत यूपीपीसीबी द्वारा कोई कार्य योजना नदियों और जलाशयों के जल की गुणवत्ता बहाल करने के लिए नहीं तैयार की गयी थी। रियल टाइम जल गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्रों को कार्य योजना के अनुरूप स्थापित नहीं किया गया था।
- यूपीपीसीबी वायु की गुणवत्ता के सभी मापदण्डों का अनुश्रवण नहीं कर रहा था जो कि केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित थे। इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, आदि जैसे प्रमुख शहरों में वायु में पीएम₁₀ का स्तर अत्यधिक था। यूपीपीसीबी सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्रों को स्थापित नहीं कर सका।
- नगर निकायों द्वारा शहरी ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया और यूपीपीसीबी ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कोई भी कदम नहीं उठाया।
- चिन्हित 8,366 स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों (एचसीई) में से 3,362 स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान यूपीपीसीबी के प्राधिकार के बिना चल रहे थे और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के शोधन और निस्तारण हेतु सुविधाएं अपर्याप्त थीं।
- 1,830 परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पादक उद्योगों में से 327 प्राधिकार के बिना चल रही थीं। तथापि, यूपीपीसीबी ने उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही आरंभ नहीं की।
- 27 ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण/संग्रह/उत्पादन इकाइयों में से 11 प्राधिकार के बिना चल रही थी। तथापि, यूपीपीसीबी ने उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही आरंभ नहीं की।
- सभी रथानीय निकाय और अन्य उद्योग, यूपीपीसीबी की सहमति के बिना चल रहे थे। उद्योगों के निरीक्षण की व्यवस्था में कमी थी और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 'लाल' श्रेणी उद्योगों के निरीक्षण तक में काफी कमी देखी गयी। बोर्ड का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं था।

पर्यटन विभाग

2.2 'राज्य पर्यटन परिपथों में सुविधाओं के उन्नयन और विस्तारीकरण' पर लेखापरीक्षा

2.2.1 प्रस्तावना

पर्यटन विभाग (विभाग), उत्तर प्रदेश सरकार (उप्रस), राज्य में पर्यटन के विकास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। विभाग, पर्यटन निदेशालय (निदेशालय) जिसका सृजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1972 में किया गया, के माध्यम से कार्य करता है। प्रमुख सचिव विभाग का प्रमुख होता है जो कि पर्यटन निदेशालय का महानिदेशक भी होता है। महानिदेशक को एक वित्त नियंत्रक, एक निदेशक, दो संयुक्त निदेशकों, सात उप-निदेशकों एवं 10 क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

निदेशालय के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (क्षेपअ), विधानसभा सदस्य या संसद सदस्य आदि के द्वारा राज्य में यादृच्छिक ढंग से चयनित क्षेत्रों के पर्यटन विकास के कार्यों हेतु प्रस्ताव, राज्य की कार्यदायी संस्थाओं में से किसी के द्वारा तैयार प्राक्कलन के साथ, प्रस्तुत करते हैं। निदेशालय इन प्रस्तावों की जाँच करता है और उन्हें विभाग को प्रेषित करता है। विभाग, राज्य वित्तपोषित योजनाओं के प्रस्तावों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत करता है और केन्द्रीय वित्तपोषित योजनाओं के प्रस्तावों को अनुमोदन के लिये पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित करता है। भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, विभाग केन्द्रीय वित्तपोषित योजनाओं के लिये प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी करता है। इसके बाद, वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाती हैं और विभाग द्वारा निधि निदेशालय को अवमुक्त की जाती है जो इसे कार्यदायी संस्था को अंतरित करता है। प्राथमिक तौर पर, विभाग योजना के कुल व्यय की पहली किस्त के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करता है तथा बाद में शेष राशि के लिए वित्तीय स्वीकृति निदेशालय के माध्यम से कार्यदायी संस्था से उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्राप्त होने के बाद जारी की जाती है। निदेशालय कार्यदायी संस्था द्वारा किये गये कार्य का अनुश्रवण करता है। योजना के समाप्ति के बाद, इसे संबंधित स्थानीय समितियों को सौंप दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 1998 में पर्यटन नीति तैयार की, जिसके द्वारा सात पर्यटन परिपथों की पहचान की गयी।¹ राज्य पर्यटन परिपथों में सुविधाओं के उन्नयन और विस्तारीकरण हेतु पर्यटन विकास योजनाओं को तैयार करने और क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व पर्यटन निदेशालय में निहित है।

वर्तमान लेखापरीक्षा में निदेशालय के वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान राज्य पर्यटन परिपथों में सुविधाओं के उन्नयन और विस्तारीकरण से सम्बन्धित क्रियाकलापों को सम्मिलित किया गया। लेखापरीक्षा का निष्पादन (अक्टूबर 2015 से अप्रैल 2016 के मध्य) इस उद्देश्य के साथ किया गया कि क्या उचित नियोजन किया गया, क्या वित्तीय प्रबंधन सशक्त था तथा योजनाओं का निष्पादन और अनुश्रवण प्रभावपूर्ण था।

¹ अवधि परिपथ, बौद्ध परिपथ, बुंदेलखण्ड परिपथ, ब्रज परिपथ, इको टूरिज्म एवं साहसिक खेल परिपथ, विंध्य परिपथ, जल विहार परिपथ।

लेखापरीक्षा ने ₹ पाँच करोड़ और उससे अधिक स्वीकृत लागत की सभी 27 योजनायें (100 प्रतिशत) और ₹ दो करोड़ और ₹ पाँच करोड़ के बीच स्वीकृत लागत की 27 योजनायें (50 प्रतिशत) का यादृच्छिक सारणी प्रक्रिया के द्वारा नमूने के रूप में चयन किया। परीक्षण जाँच किए गये कार्य धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर मौजूदा सुविधाओं के लघु विकास कार्यों तथा पर्यटन स्थलों पर अवस्थापना विकास की प्रकृति के थे।

यद्यपि, निदेशालय ने योजनाओं के उन्नयन और विस्तारीकरण क्रियाकलापों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया, किन्तु लेखापरीक्षा ने चयनित योजनाओं को उनमें समाहित कार्य की प्रकृति के आधार पर सुविधाओं के उन्नयन या विस्तारीकरण के रूप में वर्गीकृत किया। (परिशिष्ट-2.21)

लेखापरीक्षा के दौरान प्रकट हुए लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है:

लेखापरीक्षा परिणाम

2.2.2 नियोजन

राज्य में पर्यटन सुविधाओं के सुनियोजित विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक पर्यटन नीति वर्ष 1998 में बनायी गयी थी। राज्य की पर्यटन नीति (1998) में राज्य में सात पर्यटन परिपथों को परिभाषित किया गया है। राज्य की पर्यटन नीति 1998 के व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित थे:

- प्रदेश के सभी परिपथों के लिए एकीकृत योजना के साथ मुख्य योजना को बनाना और कार्यान्वित करना,
- नये पर्यटन आकर्षणों का विकास,
- विभाग के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाना और संचालन कार्यप्रणाली का आधुनिकीकरण।

राज्य की पर्यटन नीति के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा द्वारा जाँच की गयी तथा उसके परिणामों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है:

2.2.2.1 एकीकृत / मुख्य योजना नहीं बनायी गई

राज्य की पर्यटन नीति (1998) ने राज्य में सात पर्यटन परिपथों को परिभाषित किया है। प्रत्येक परिपथ के सुनियोजित विकास के लिए, सभी परिपथों की एक एकीकृत योजना के साथ मुख्य योजना बनाना भी अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पर्यटन नीति बनने के बाद 18 वर्ष बीत जाने के बावजूद, निदेशालय ने पर्यटन परिपथों के संतुलित एवं उचित विकास के लिए कोई भी

गंगा नदी के दाहिने किनारे पर कीनाराम घाट का निर्माण, गाजीपुर



कैसरबाग गेट लखनऊ में फेंकेड लाइट की स्थापना



पर्यटन नीति बनने के बाद 18 वर्ष बीत जाने के बावजूद निदेशालय परिपथवार मुख्य योजना एवं एकीकृत योजना बनाने में असफल रहा।

परिपथ—वार मुख्य योजना और एकीकृत योजना तैयार नहीं की। निदेशालय ने स्थानीय विधानसभा सदस्य/संसद के सदस्य इत्यादि के यादृच्छिक/स्वेच्छाचारी सुझावों के आधार पर पर्यटन विकास क्षेत्रों को चयनित किया। इस प्रकार, पर्यटन परिपथों का विकास एक तदर्थ तरीके से हुआ। यह भी देखा गया की, नीति दस्तावेज 1998 में परिकल्पित जल विहार परिपथ के विकास के लिए कोई योजना आज तक नहीं बनाई गई और परिकल्पित नीतियों को भी निष्पादित नहीं किया गया।

उत्तर में विभाग ने कहा कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों का अनुपालन भविष्य में सुनिश्चित किया जायेगा।

2.2.2.2 मैनुअल या निर्धारित प्रक्रिया का अभाव

राज्य की पर्यटन नीति के अनुसार, विभाग के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत और संचालन प्रणालियों का आधुनिकीकरण किया जाना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग कोई परिभाषित प्रक्रिया या मैनुअल न होने के कारण विभागीय संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने और संचालन प्रणाली के आधुनिकीकरण में विफल रहा।

उत्तर में विभाग ने कहा कि संगठनात्मक ढांचे एवं संचालन प्रणालियों को मजबूत करने हेतु मैनुअल बनाने की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा।

2.2.2.3 योजनाओं के लिए विशिष्ट लक्ष्यों को परिभाषित न करना

सभी चयनित 54 योजनाओं में यह देखा गया कि विभाग ने राज्य में पर्यटकों के आगमन में वृद्धि के लिए योजनाओं का कोई भी मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। मात्रात्मक लक्ष्य और मुख्य योजना के अभाव (पैरा 2.2.2.1) में पर्यटन विकास योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये राज्य में कोई तन्त्र मौजूद नहीं था एवं इसलिए इसे लेखापरीक्षा द्वारा भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इस प्रकार, किए गये पर्यटन विकास की प्रभावशीलता को मापा नहीं जा सका।

उत्तर में विभाग ने कहा कि भविष्य में पर्यटन विकास योजनाओं से प्राप्त किये जाने वाले लाभ के लक्ष्यों को योजनाओं में विनिर्दिष्ट और सम्मिलित किया जायेगा।

2.2.3 वित्तीय प्रबंधन

वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान, राज्य के वित्तीय बजट से विभाग को पूँजीगत बजट के रूप में ₹ 583.33 करोड़ प्रदान किये गये। यह राज्य के कुल बजट का केवल 0.19 प्रतिशत था (परिशिष्ट-2.22)। बजट में प्रावधानित कुल ₹ 583.33 करोड़ में से ₹ 440.33 करोड़ (भारत सरकार ₹ 136.16 करोड़ और उत्तर प्रदेश शासन ₹ 304.17 करोड़) की राशि राज्य में पर्यटन सुविधाओं के उन्नयन और विस्तारीकरण की 424 योजनाओं के लिए अवमुक्त की गयी। इस राशि के विरुद्ध, ₹ 339.51 करोड़ (भारत सरकार ₹ 135.36 करोड़ और उत्तर प्रदेश सरकार ₹ 204.15 करोड़) खर्च किया गया। वास्तविक व्यय, अवमुक्त की गई निधि का केवल 77 प्रतिशत था (परिशिष्ट-2.23)।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक की अवधि से संबंधित कुल 424 योजनाओं की स्वीकृत लागत ₹ 786.49 करोड़ (भारत सरकार ₹ 289.74 करोड़ और उत्तर प्रदेश सरकार ₹ 496.75 करोड़) थी। नमूना जाँच हेतु चयनित 54 योजनाओं की निधि की मार्च 2016 तक की स्थिति नीचे तालिका 2.2.1 में दी गयी है:

तालिका 2.2.1


नमूना जाँच हेतु चयनित 54 योजनाओं की मार्च 2016 तक निधि की स्थिति
(₹ करोड़ में)

क्रंसं०	निधि	योजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत	अवमुक्त निधि	किया गया व्यय
1	केन्द्रीय	29	209.39	126.98	98.44
2	राज्य	25	370.68	209.71	136.16
	कुल	54	580.07	336.69	234.60

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि स्वीकृत लागत के विरुद्ध केवल 58 प्रतिशत निधि ही अवमुक्त हुई तथा अवमुक्त निधि के विरुद्ध वास्तविक व्यय केवल 70 प्रतिशत हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण में देखा गया कि निधि के कम उपयोग के मुख्य कारण भूमि विवाद, भूमि की अनुपलब्धता, कार्यों के निष्पादन में कार्यदायी संस्थाओं की ओर से ढिलाई थे। इसके कारण उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में देरी हुई एवं परिणामस्वरूप निधि कम अवमुक्त हई। 54 योजनाओं में से 34 योजनायें कार्य समापन की अपनी निर्धारित तिथि के 6 महीने से 43 महीने तक बीत जाने के बाद भी अपूर्ण एवं जारी हैं। इन चयनित योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति परिशिष्ट-2.24 में विस्तृत रूप से दर्शायी गयी है। चयनित योजनाओं का परिपथ-वार व्यय नीचे चार्ट 2.2.1 में दिखाया गया है:

चार्ट 2.2.1

चयनित 54 योजनाओं पर मार्च 2016 तक परिपथ-वार किये गये कुल व्यय
₹ 234.60 करोड़ का विवरण



2.2.3.1 उत्तर प्रदेश सरकार के अनुमोदन के बिना भारत सरकार को प्रस्तावों का अग्रेषण

निदेशालय में केन्द्रीय वित्त पोषित योजनाओं के लिए अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार, प्रस्तावों को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार

के माध्यम से भेजा जाता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि 29 चयनित केंद्रीय वित्त पोषित योजनाओं में से ₹ 64.38 करोड़ की 11 योजनाओं के प्रस्ताव निदेशालय द्वारा अनुमोदन के लिए सीधे पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को भेजे गये (परिशिष्ट-2.25)। परिणामस्वरूप, योजनाओं के औचित्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपरीक्षित रहे।

उत्तर में यह बताया गया कि समय की कमी के कारण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और भविष्य में पालन किया जायेगा। तथ्य यह है कि योजनाओं के औचित्य का उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर परीक्षण नहीं किया जा सका।

2.2.3.2 प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक निधि अवमुक्त होना

उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका के खंड-VI के पैरा 316(1) के अनुसार योजना/कार्य की वित्तीय स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक अनुमति की सीमा के भीतर ही रहनी चाहिए। विभाग ने 'गंगा नदी पर घाट का निर्माण, गाजीपुर योजना' के तहत किये जाने वाले तीन कार्यों में प्रत्येक के लिये ₹ एक करोड़ की प्रशासनिक अनुमति प्रदान की (नवम्बर 2014)। जबकि, विभाग ने इस योजना के तहत किये जाने वाले तीन कार्यों में प्रत्येक के लिये ₹ दो करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी (नवम्बर 2014 से मई 2015)। विभाग ने इसे लिपिकीय गलती के रूप में स्वीकार किया और इसे सुधारने का आश्वासन दिया। तथ्य यह है कि ₹ दो करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रशासनिक अनुमोदन का उल्लंघन करते हुए अनियमित रूप से निर्गमित की गयी तथा प्रशासनिक स्वीकृतियों के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियों की निगरानी के लिये कोई तंत्र नहीं था।

2.2.3.3 रोकड़ बही और प्रमाणकों को न बनाना

उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका के खंड-V-वर्ग-I के पैरा 27-अ के अनुसार, प्रत्येक कार्यालय को सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी सरकारी क्षमता में प्राप्त सभी धन के लेखांकन और उसके संवितरण के लिये एक रोकड़ बही रखनी चाहिये। रोकड़ बही प्रत्येक दिन पूर्ण करके शेष निकाला जाना चाहिए और प्रत्येक कॉलम का शेष, दिन की सभी प्रविष्टियों की जाँच किये जाने के प्रमाणस्वरूप, कार्यालयाध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।

यह देखा गया कि निदेशालय एक चालू बैंक खाते का संचालन कर रहा था जो कि सरकार द्वारा अधिकृत नहीं था। बैंक खाते के संचालन का कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा ने बैंक खाता विवरण से देखा कि वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान बैंक से ₹ 14.64 करोड़ की राशि का आहरण किया गया। तथापि, निदेशालय द्वारा उक्त बैंक खाते से किये गये लेनदेनों के अभिलेखीकरण के लिए रोकड़ बही और प्रमाणकों का रखरखाव नहीं किया। विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि भविष्य में रोकड़ बही और प्रमाणकों को बनाया जायेगा। आगे यह भी बताया गया कि उपरोक्त बैंक खाते का रखरखाव वेतन और कुछ पर्यटन योजनाओं की निधि रखने के लिये किया जा रहा था। तथ्य यह है कि इस तरह के अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा बैंक खाते से किये गये लेनदेनों को प्रमाणन नहीं कर सकता। इसके अलावा, बिना लेखांकन के लेनदेनों के कारण उत्तर प्रदेश सरकार की निधि के गलत प्रयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।


2.2.4 योजनाओं के निष्पादन से संबंधित कमियाँ

चयनित 54 योजनाओं में से 29 योजनायें भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित थीं और 25 योजनायें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित थीं। इन योजनाओं की भौतिक स्थिति नीचे चार्ट 2.2.2 में दिखायी गयी हैं:

चार्ट 2.2.2
केन्द्र सरकार से वित्त पोषित चयनित 29 योजनाओं की भौतिक स्थिति



चार्ट 2.2.3
राज्य सरकार से वित्त पोषित चयनित 25 योजनाओं की भौतिक स्थिति



2.2.4.1 योजनाओं को पूर्ण करने एवं हस्तान्तरण में देरी

जैसा कि ऊपर ग्राफिक्स में देखा जा सकता है, 54 चयनित योजनाओं में से केवल 14 योजनायें पूर्ण हुई वह भी 88 महीने से छः महीने की देरी से (परिशिष्ट 2.26)। शेष 40 योजनायें निष्पादन के विभिन्न चरणों के तहत चल रही थीं/निरस्त थीं/आरम्भ नहीं हुई थीं। 14 पूर्ण योजनाओं में से छः योजनायें (चार भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित और दो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित) पूरा होने की तारीख के बाद से मार्च 2016 तक 12 महीने से 49 महीने से अधिक अवधि से हस्तान्तरण के लिए लम्बित थीं। निदेशालय ने योजनाओं के पूर्ण होने में देरी एवं पूर्ण योजनाओं के हस्तान्तरण में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किये गये विलम्ब के लिए किन्हीं

विशेष कारणों का अभिलेखीकरण नहीं किया था। लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण में पाये गये कारणों में भूमि विवाद (दो मामले), भूमि की अनुपलब्धता (पाँच मामले), कार्यों के निष्पादन में कार्यदायी संस्था की ओर से ढिलाई (37 मामले) मुख्य थे। कार्यों को सम्बन्धित उपयोगकर्ता संस्थाओं को हस्तान्तरित न करने के परिणामस्वरूप कार्यों के भावी रखरखाव में बाधा उत्पन्न हुई।

2.2.4.2 भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाएँ

प्रोडक्ट/इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर डेस्टिनेशन एंड सर्किट (पीआईडीडीसी) पर्यटक स्थलों के बुनियादी ढाँचे के एकीकृत विकास पर केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का उददेश्य पर्यटन स्थलों एवं परिपथों पर पर्यटकों द्वारा अपेक्षित सभी बुनियादी सुविधायें जैसे की पर्यटन स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था, पर्यटन स्थलों के सड़क सम्पर्क में सुधार, पर्यटन स्थलों पर साइनेज और डिस्प्ले बोर्ड, मार्ग के किनारे सार्वजनिक सुविधा आदि प्रदान करना था। भारत सरकार ने राज्य सरकार को पीआईडीडीसी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की।

योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी

केन्द्रीय वित्त पोषित योजनाओं का प्रशासनिक अनुमोदन करते समय तय समय-सीमा का उल्लेख नहीं करने के परिणामस्वरूप अपूर्ण योजनाओं पर ₹ 46.40 करोड़ की निधि अवरुद्ध हुई

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने योजनाओं की स्वीकृति के समय कार्यों के प्रारम्भ और पूर्ण करने की समय सीमा प्रदान की। तथापि, पर्यटन विभाग ने केन्द्रीय वित्त पोषित योजनाओं हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते समय कार्यदायी संस्था को भारत सरकार द्वारा तय समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना जाँच की गयी 29 योजनाओं में से 14 योजनायें मार्च 2016 तक चल रही थी। 31 मार्च 2016 को इन 14 योजनाओं में से 12 योजनाओं को पूरा करने की निर्धारित तिथि पहले ही 43 माह तक अधिक हो चुकी हैं। जिसके परिणामस्वरूप, इन 12 योजनाओं में ₹ 46.40 करोड़ की निधि अवरुद्ध थी (परिशिष्ट 2.27)। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी के परिणामस्वरूप ही ₹ 31.25 करोड़ की केन्द्रीय वित्तीय सहायता कालातीत हुई, ₹ 0.85 करोड़ ब्याज की हानि और कार्यदायी संस्था में परिवर्तन कारण ₹ 15.20 लाख की हानि हुई। निष्पादन में देरी के परिणामस्वरूप हुई हानि की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

कार्य के निष्पादन में विलम्ब के कारण केन्द्रीय वित्तीय सहायता का कालातीत होना

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रोडक्ट/इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर डेस्टिनेशन एंड सर्किट (पीआईडीडीसी) नामक योजना के अन्तर्गत राज्यों की पर्यटन विकास की योजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की। स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, पहली किश्त स्वीकृति के साथ जारी की जानी थी और शेष निधि केवल काम के पूरा होने के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में जारी की जानी थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग 10 योजनाओं (स्वीकृत लागत ₹ 50.30 करोड़) को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर क्रियान्वित करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, पहले से स्वीकृत शेष निधि की किश्तों के लिए माँग नहीं की जा सकी। पीआईडीडीसी योजना को मार्च 2015 से बंद कर दिया गया और भारत सरकार ने इसके अन्तर्गत वित्त पोषण बंद कर दिया। वर्तमान में, 10 योजनाओं में से एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार की ₹ 0.33 करोड़ की मदद से पूर्ण हुई, एक योजना निरस्त कर दी गयी है और आठ योजनायें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई ₹ 11 करोड़ की मदद से प्रगति पर है। इस प्रकार, निदेशालय ₹ 31.25 करोड़ की केन्द्रीय वित्तीय सहायता कालातीत हो गई एवं जिसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार के पूँजीगत व्यय पर ₹ 11.02 करोड़ का परिहार्य बोझ पड़ा (परिशिष्ट 2.28)।

इसके उत्तर में विभाग ने बताया कि भारत सरकार की पीआईडीडीसी योजना का बंद होना अपेक्षित नहीं था और योजनाओं को दी गयी अवधि में पूर्ण करने के लिए प्रयास किये गये, लेकिन समय से पूर्ण नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि

योजनाओं को मार्च 2015 से पहले पूरा किया जाना था, जिसके कारण राज्य के खजाने पर ₹ 11.02 करोड़ का परिहार्य बोझ पड़ा।

भूमि की व्यवस्था करने में विफलता

प्रोडक्ट / इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर डेस्टिनेशन एंड सर्किट (पीआईडीडीसी) योजना के दिशा निर्देशों के उपबन्ध 8(1) के अनुसार, पर्यटन निदेशालय, पर्यटन विकास योजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। दो केन्द्रीय वित्त पोषित योजनाओं (स्वीकृत लागत ₹ 6.40 करोड़) में ₹ 5.06 करोड़ भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किये गये (परिशिष्ट 2.29)। लेखापरीक्षा ने देखा कि भारत सरकार को अनुमोदनार्थ भेजे गये प्रस्ताव में भूमि उपलब्ध होने की पुष्टि करने के बावजूद भी, विभाग योजना के क्रियान्वयन के लिए भूमि की व्यवस्था कराने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जा सका और इन योजनाओं के लिए प्राप्त (जुलाई 2010 और सितम्बर 2012) ₹ 5.06 करोड़ की राशि 32 से 42 महीनों के लिए अवरुद्ध रही। यह देखा गया कि ₹ 1.85 करोड़ की राशि भारत सरकार को वापस की गयी (फरवरी 2013)। इसके उत्तर में विभाग ने कहा कि मामले की जाँच की जायेगी। तथ्य यह है कि निदेशालय प्रस्ताव भेजने के पहले भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफल रहा।

योजनाओं के आरम्भ में विलम्ब होने के कारण ब्याज की हानि

कार्यदायी संस्थाओं द्वारा केन्द्रीय वित्त पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण ₹ 30.46 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही एवं ₹ 0.85 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

भारत सरकार के अनुमोदन की शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार को प्राप्त निधि छः महीने से अधिक के लिये अप्रयुक्त रखने की अनुमति नहीं थी। निधि के अवमुक्त होने से छः महीने तक अप्रयुक्त रहने की दशा में निधि को भारत सरकार को समर्पित करना था या उनका अन्य केंद्रीय वित्त पोषित परियोजनाओं में हस्तान्तरण / समायोजन करने के लिये औपचारिक अनुमोदन प्राप्त किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 18 केन्द्रीय वित्त पोषित योजनाओं (स्वीकृत लागत ₹ 150.30 करोड़ भारत सरकार द्वारा अवमुक्त राशि ₹ 65.74 करोड़) में कार्य भारत सरकार की स्वीकृति के छः महीने के भीतर शुरू नहीं किया जा सका। कार्यों के छः महीने के अन्दर शुरू न होने के कारण अभिलेखित नहीं थे। लेखापरीक्षा द्वारा किये गये विश्लेषण में इसका कारण भारत सरकार द्वारा निश्चित की गयी समय सीमा के अनुश्रवण में कमी थी। इसलिए ₹ 65.74 करोड़ की निधि, जो कि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी, छः महीने से 92 महीने तक (मार्च 2016) 11 योजनाओं में विभाग की ओर से की गई देरी की वजह से एवं एक माह से 29 माह तक 11 योजनाओं में कार्यदायी संस्थाओं की ओर से देरी की वजह से अप्रयुक्त रही। भारत सरकार द्वारा निर्गत किये गये ₹ 65.74 करोड़ में से विभाग द्वारा ₹ 30.46 करोड़ योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्थाओं को निर्गत किये गये। तथापि यह देखा गया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा की गयी देरी की वजह से (एक माह से 29 माह), ₹ 25.13 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही परिणामस्वरूप ₹ 0.85 करोड़ (परिशिष्ट 2.30) ब्याज की हानि हुई। निदेशालय ने कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अप्रयुक्त सरकारी धन पर अर्जित किये गये ब्याज को प्राप्त करने के कोई प्रयास नहीं किये। उत्तर में विभाग ने कहा कि योजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने के प्रयास किये जायेंगे।

कार्यदायी संस्था के परिवर्तन के कारण कार्य के निष्पादन पर परिहार्य व्यय

भारत सरकार द्वारा 'मथुरा वृन्दावन को मथुरा में डेस्टिनेशन के रूप में विकसित' करने हेतु ₹ 31.79 करोड़ की योजना का अनुमोदन (दिसम्बर 2011) प्रदान किया गया। विभाग ने इस योजना के 10 कार्यों में से 'गोकुल घाट, विश्राम घाट, हंसियारानी घाट और चिन्ताहरण महादेव' के निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यूपीआरएनएन) को सिंचाई विभाग से ओर से 'अनापति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किये बिना ₹ 11.81 करोड़ की स्वीकृत लागत पर आवंटित किया

(सितम्बर 2012)। एनओसी प्राप्त करने की प्रत्याशा में यूपीआरएनएन ने कार्य आरम्भ कर दिया और कार्य पर ₹ 15.20 लाख की धनराशि खर्च की किन्तु एनओसी प्राप्त नहीं की जा सकी। सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बजाय, निदेशालय ने कार्यदायी संस्था को परिवर्तित (मई 2013) कर दिया और सिंचाई विभाग को ही कार्य आवंटित कर दिया। इसके बाद सिंचाई विभाग के सुझाव (सितम्बर 2013) पर विभाग द्वारा, सिंचाई विभाग के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, यूपीपीसीएल, को कार्य आवंटित (अक्टूबर 2013) कर दिया। यूपीपीसीएल ने यूपीआरएनएन के द्वारा किये गये ₹ 15.20 लाख लागत के कार्यों को अस्वीकृत कर दिया। इस प्रकार यूपीआरएनएन के द्वारा किये गये ₹ 15.20 लाख की राशि का व्यय अलाभकारी हो गया।

अभिलेखों में कार्यदायी संस्था को परिवर्तित किये जाने के कोई कारण उपलब्ध नहीं थे। विभाग ने भी कार्यदायी संस्था को परिवर्तित करने के निर्णय पर कोई विशिष्ट जवाब नहीं दिया।

2.2.4.3 राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाएँ

परीक्षण के लिए चुनी गई 54 योजनाओं में से 25 योजनायें (स्वीकृत लागत ₹ 370.68 करोड़) राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने इन योजनाओं के प्रारम्भ और पूरा होने के लिए कोई भी समय-सीमा निर्धारित नहीं की थी। इन 25 योजनाओं में से केवल तीन योजनायें ही पूर्ण हुई और वह भी उनके स्वीकृत होने से 30 से 34 माह बाद। एक योजना (स्वीकृत लागत ₹ 5.58 करोड़) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति न मिलने के कारण अपनी स्वीकृति के 12 महीने बाद तक भी आरम्भ नहीं हुई, जिसकी चर्चा आगामी प्रस्तर में की गयी है। एक योजना को निरस्त कर दिया गया है। शेष 20 योजनाएँ (स्वीकृत लागत ₹ 345.67 करोड़) बिना किसी समय-सीमा के चल रही हैं (परिशिष्ट-2.31)। अभिलेखों में विलम्ब के कारण दर्ज नहीं हैं। दो पूर्ण योजनाएँ² अपनी कार्य पूर्णता से दो से चार वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी औपचारिक रूप से हस्तगत होने हेतु लम्बित है। इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा नीचे की गयी है:

योजनाओं के आरम्भ में विलम्ब होने के कारण ब्याज की हानि

उत्तर प्रदेश शासनादेश (दिसम्बर 1993) के अनुसार, कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अप्रयुक्त शासकीय निधि पर अर्जित ब्याज को उत्तर प्रदेश सरकार को वापस करना होता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि 25 राज्य वित्त पोषित योजनाओं में से आठ में राज्य सरकार द्वारा निर्गत ₹ 22.85 करोड़ की राशि कार्यदायी संस्थाओं के पास योजनाओं के आरम्भ में विलम्ब होने के कारण दो से 40 महीनों के लिए अप्रयुक्त पड़ी रही। विभाग ने उत्तर प्रदेश शासनादेश (दिसम्बर 1993) के अनुरूप कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अप्रयुक्त शासकीय निधि पर अर्जित ब्याज की गणना और वसूली करने का कोई भी प्रयास नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार को ₹ 0.99 करोड़ की ब्याज की हानि हुई (परिशिष्ट 2.32)।

उत्तर में विभाग ने कहा कि भविष्य में योजनाओं को पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित करके योजनाओं को पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा। तथ्य यह है कि निदेशालय कार्यों को समयबद्ध तरीके से आरम्भ करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 22.85 करोड़ की निधि अवरुद्ध रही तथा ₹ 0.99 करोड़ की ब्याज की हानि हुई।

² लखनऊ हाट का निर्माण और आगरा में 150 बिस्तर की डारमेट्री का निर्माण।

- वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड VI के प्रस्तर 318 के अनुसार प्रत्येक कार्य जो किया जाना प्रस्तावित है, को प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि निदेशालय के पास इसे सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गयी थी। इसके अतिरिक्त, 27 योजनाओं (स्वीकृत लागत ₹ 398.32 करोड़) के सापेक्ष छः कार्यदायी संस्थाओं⁵ के अभिलेखों की जाँच में लेखापरीक्षा ने देखा कि 10 योजनाओं (स्वीकृत लागत ₹ 77.46 करोड़) में, कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था (परिशिष्ट 2.34)। कोई विशिष्ट जबाब विभाग द्वारा प्रदान नहीं किया गया।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (उपकर) नियम, 1998 (नियम) के अनुसार जहाँ उपकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के भवन एवं अन्य निर्माण कार्य पर भारित हो, ऐसे पीएसयू इन कार्यों के लिए भुगतान किये गये बिल से अधिसूचित दर पर देय उपकर की कटौती करेंगे। उक्त नियमों को 4 फरवरी 2009 से राज्य में लागू किया गया था और उपकर की दर निर्माण की लागत के एक प्रतिशत पर अधिसूचित की गयी थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि दो योजनाओं में, सम्बन्धित कार्यदायी संस्थायें श्रम उपकर के सापेक्ष ₹ 3.17 लाख की राशि की कटौती करने और राजकीय कोष में जमा करने में विफल रहीं (परिशिष्ट 2.35)।

2.2.5 अनुश्रवण

2.2.5.1 त्रुटिपूर्ण आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा, विभाग के कार्यों के मूल्यांकन के लिए विभाग के अन्दर स्वतन्त्र इकाई के रूप में काम करती है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश (जनवरी 2001) के अनुसार, एक कार्यालय के 12 महीने के कार्य में से कम से कम एक महीने के कार्य की आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रत्येक वर्ष की जानी चाहिए।

निदेशालय के पास अपने अधीन पर्यटन निदेशालय और 10 क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालयों (आरटीओ) की समय-समय पर लेखापरीक्षा करने के लिए एक आन्तरिक लेखापरीक्षा इकाई है। तथापि, यह देखा गया कि 10 क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालयों में से केवल दो क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालयों की लेखापरीक्षा 2011–12 से 2015–16 के दौरान की गयी। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान पर्यटन निदेशालय की कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा, आन्तरिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा नहीं की गयी। उत्तर में विभाग ने कहा कि आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य कर्मचारियों की कमी की वजह से नहीं किया गया था और भविष्य में किया जायेगा। तथ्य यह है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से अनुश्रवण में कमी रही।

2.2.5.2 अनुश्रवण समिति के गठन में विफलता

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य के पर्यटन सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति केन्द्रीय वित्त पोषित योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति के अनुश्रवण हेतु बनायी जानी थी। यद्यपि यह देखा गया कि ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया गया था। नियमित समिति के अभाव में योजनाओं का अनुश्रवण नहीं किया जा सका। उत्तर में निदेशालय/विभाग ने कहा कि चूंकि अनुश्रवण मुख्यालय/क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालयों द्वारा किया जा रहा था इसलिये विशेष समितियों का गठन नहीं किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निदेशालय ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन

⁵ उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यूपीआरएनएन), उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (यूपीएविपी), वन विभाग (डीओएफ), निर्माण एवं परिकल्पना सेवाएँ (सी एण्ड डीएस), उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन (यूपीपीसीएल), उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी)।

गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के अभाव में कार्यों की गुणवत्ता आकलित नहीं की जा सकी

नहीं किया और मुख्यालय/क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालयों से होने वाले अनुश्रवण में कमी रही क्योंकि यह समय से योजनाओं को पूरा कराने में विफल रहा।

2.2.5.3 गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र का अभाव


पर्यटन विकास योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले कार्यों के लिये एक गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र का होना आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने देखा कि निदेशालय/विभाग ने इस प्रकार का कोई गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र नहीं बनाया। गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के अभाव ने उत्तर प्रदेश सरकार को किये गये कार्यों की गुणवत्ता आकलित करने से वंचित किया। योजनाओं के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने तीन योजनाओं के तहत किये गये कार्यों की गुणवत्ता में कमियों को देखा जिसकी चर्चा आगामी प्रस्तरों में तस्वीरों के साथ की गयी है।

- एक पूर्ण योजना 'माँ चंद्रिका देवी धाम, लखनऊ का विकास' (₹ 3.04 करोड़) के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि काम विशिष्टियों के अनुसार नहीं किया गया था। यह देखा गया कि अनुमोदित स्टील बार के स्थान पर स्टील पाइप का इस्तेमाल किया गया और स्टेनलेस स्टील रेलिंग लम्बाई में कम मिली।

स्टील बार के स्थान पर स्टील पाइप का इस्तेमाल



स्टेनलेस स्टील रेलिंग की लम्बाई में कमी



- एक अन्य चालू योजना 'अर्बन हाट वाराणसी' के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह प्रकट हुआ कि बच्चों के पार्क का कार्य जिसकी लागत ₹ 15.70 लाख थी एवं स्थल विकास कार्य जिसकी लागत ₹ 19.60 लाख थी, अधूरे पढ़े थे हालाकि ये कार्य कार्यदायी संस्था के द्वारा पूर्ण दिखाये गये थे। इसके अतिरिक्त, मुख्य द्वार, जीआई पाइप, वाल लाइनिंग की लम्बाई एवं एयर कंडीशनर में कमी पायी गयी जिनकी लागत ₹ 8.98 लाख थी।

बच्चों का पार्क, अर्बन हाट, वाराणसी



- एक अन्य चालू योजना 'रायबरेली में पर्यटक स्थलों का विकास' में ₹ 2.25 लाख मूल्य के कोटा स्टोन और मार्बल फ्लोरिंग अनुमोदित प्राक्कलन की तुलना में कम थे। उत्तर में विभाग ने कहा कि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पायी गयी कमियों को कार्यदायी संस्थाओं से ठीक कराया जायेगा।

2.2.6 निष्कर्ष और अनुशंसाएँ

- निदेशालय उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन नीति का अनुपालन करने में विफल रहा तथा उसने पर्यटन परिपथ के संतुलित और उचित विकास के लिए परिपथ चार मुख्य योजना और एकीकृत योजना भी तैयार नहीं की। इसने, जैसा कि पर्यटन नीति

में परिकल्पित था, जल-विहार परिपथ को विकसित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, विभाग ने राज्य में पर्यटकों के आगमन में वृद्धि के लिये योजनाओं के मात्रात्मक लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया। मात्रात्मक लक्ष्य और मुख्य योजना के अभाव में, राज्य के पास इसके उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिये कोई तन्त्र नहीं था।

निदेशालय को उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन नीति का अनुपालन करना चाहिए और मुख्य योजना और एकीकृत योजना तैयार करनी चाहिए। विभाग को योजनाओं के मात्रात्मक लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए।

- प्रस्तावों को उत्तर प्रदेश सरकार स्तर पर परीक्षित कराये बिना भारत सरकार को भेज दिया गया, वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रशासनिक अनुमोदनों से अधिक थीं और निधियों को सरकारी खाते के बाहर बिना प्राधिकार के रखा गया था।

जरूरी नियन्त्रण को क्रियान्वित करने के लिये उचित वित्तीय तन्त्र को स्थापित किया जाना चाहिए।

- योजनाओं के क्रियान्वयन में और पूर्ण योजनाओं को हस्तगत करने में काफी अधिक विलम्ब हुआ। केन्द्रीय वित्त पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण, केन्द्रीय वित्तीय सहायता की राशि ₹ 31.25 करोड़ कालातीत हो गई। इसके अतिरिक्त, किये गये कार्यों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिये गुणवत्ता नियन्त्रण तन्त्र का अभाव था।


निदेशालय को योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करना चाहिए और एक गुणवत्ता नियन्त्रण तन्त्र को स्थापित करना चाहिए।

- निदेशालय योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति के अनुश्रवण के लिए समिति का गठन करने में विफल रहा है और आन्तरिक लेखापरीक्षा कराने में विफल रहा है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये गये कार्यों के लिये गुणवत्ता नियन्त्रण तन्त्र का अभाव था।

निदेशालय को योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति के अनुश्रवण के लिये समिति का गठन करना चाहिए और आन्तरिक लेखापरीक्षा करानी चाहिए। इसे क्रियान्वित हुए कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये एक तन्त्र भी स्थापित करना चाहिए।

अध्याय ३

अनुपालन लेखापरीक्षा



अध्याय 3

3. अनुपालन लेखापरीक्षा

शासकीय विभागों एवं उनके क्षेत्रीय संगठनों तथा स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा ने संसाधनों के प्रबन्धन में चूक, औचित्य एवं मितव्ययिता के मानकों के पालन में विफलता के दृष्टान्त प्रकट किये। इन्हें निम्नलिखित प्रस्तरों में प्रस्तुत किया गया है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

3.1 भूखण्डों के विक्रय पर अधिभार न लगाया जाना

हापुड़—पिलखुआ प्राधिकरण 102 भूखण्डों की बिक्री पर अवस्थापना विकास निधि हेतु ₹ 3.67 करोड़ का अधिभार लगाने में असफल रहा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अत्यधिक सार्वजनिक महत्व के विकास कार्यों को कराये जाने हेतु समस्त विकास प्राधिकरणों को अवस्थापना विकास निधि की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया (जनवरी 1998)। शासनादेश के क्लॉज 5(एफ) में प्राधिकरणों द्वारा विक्रय किये गए भू-खण्डों के विक्रय मूल्य पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाना प्रावधानित था। अधिभार के कारण वसूल होने वाली इस अतिरिक्त आय को अवस्थापना विकास निधि में जमा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा (अक्टूबर 2015) कि हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने वर्ष 2009–10 से 2014–15 के दौरान दो योजनाओं (प्रीत विहार और आनन्द विहार) के अन्तर्गत 102 भूखण्ड (39,250.90 वर्ग मी०) ₹ 36.72 करोड़ में विक्रय किये। तथापि, प्राधिकरण ने भूखण्डों के विक्रय मूल्य पर 10 प्रतिशत की दर से ₹ 3.67 करोड़ का अधिभार नहीं लगाया (परिशिष्ट-3.1)। इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा बिक्रीत भूखण्डों पर अधिभार लगाने से होने वाली ₹ 3.67 करोड़ की अतिरिक्त प्रत्याशित आय वसूल नहीं की गयी।

प्राधिकरण ने उत्तर में बताया (फरवरी 2016) कि 10 प्रतिशत अधिभार लगाना आदर्श लागत मार्गदर्शिका (नवम्बर 1999) में वर्णित नहीं है। प्राधिकरण ने यह भी बताया कि दोनों योजनाएँ वर्ष 1999 के पश्चात् प्रारम्भ की गयीं थीं अतः इनमें अधिभार नहीं लगाया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नवम्बर 1999 का आदेश सिर्फ सम्पत्तियों की लागत निर्धारण हेतु प्रयोज्य है। जबकि जनवरी 1998 का आदेश विक्रय किये जाने वाले भूखण्डों के मूल्य पर 10 प्रतिशत अधिभार लगाये जाने से सम्बन्धित है तथा इससे कोई भी आवासीय योजना मुक्त नहीं है।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जून 2016)। उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2016)।

3.2 नगरीय विकास प्रभार का कम लगाया जाना

आगरा विकास प्राधिकरण को नगरीय विकास प्रभार कम लगाये जाने तथा कम वसूले गये नगरीय विकास प्रभार पर ब्याज न लगाये जाने से ₹ 3.13 करोड़ की हानि हुई

उत्तर प्रदेश सरकार (उ०प्र०स०) ने शहरी क्षेत्रों में आवासीय योजनाओं के सुनियोजित विकास में निजी पूँजी निवेश को आकर्षित/संवर्धित करने हेतु 'इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति' (नीति) बनायी (मई 2005)। इस नीति के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण निजी विकासकर्ताओं को उ०प्र०स० के दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम 50 एकड़ भूमि के क्रय व विकास करने हेतु लाइसेंस जारी करते हैं। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)

तथा ले-आउट विकास प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं। विकास प्राधिकरण डीपीआर में दिये गये समयावधि के अन्दर योजना के क्रियान्वयन और विकास की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए विकासकर्ता के साथ 'विकास अनुबन्ध' भी करता है।

सरकार ने दिसम्बर 2005 में विकासकर्ता द्वारा विकास प्राधिकरण को ₹ 1.50 लाख प्रति एकड़ की दर से नगरीय विकास प्रभार के भुगतान के लिए आदेश जारी किया जिसे अगस्त 2008 में ₹ तीन लाख प्रति एकड़ से पुनरीक्षित कर दिया गया। इन दरों को भारत सरकार द्वारा घोषित किये जाने वाले मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रतिवर्ष अद्यतन किया जाना था। उ0प्र0स0 ने नगरीय विकास प्रभार के 'उद्ग्रहण और संग्रहण' के नियम भी अधिसूचित (नवम्बर 2014) किये जिसमें नगरीय विकास प्रभार को अधिकतम दो वर्षों में 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से किश्तों में भुगतान करने की व्यवस्था दी गयी।

आगरा विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने अंसल प्रापर्टीज और इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और कान्सॉटियम (विकासकर्ता) को 480 एकड़ भूमि¹ अर्जित कर इण्टीग्रेटेड टाउनशिप (सुशान्त ताज सिटी) का विकास करने के लिये एक लाइसेंस जारी किया (मई 2007)। प्राधिकरण द्वारा सुशान्त ताज सिटी का प्रारम्भ में 441.54 एकड़ भूमि के लिए डीपीआर और ले-आउट क्रमशः दिसम्बर 2007 और अगस्त 2008 में अनुमोदित किया गया। प्राधिकरण ने इसके पश्चात् 35.96 एकड़ भूमि के बढ़े हुए क्षेत्रफल का डीपीआर और ले-आउट क्रमशः दिसम्बर 2010 और सितम्बर 2014 में अनुमोदित किया।

लेखापरीका ने देखा (जून 2015) कि प्राधिकरण ने दिसम्बर 2005 के आदेशों का उल्लंघन करते हुए नगरीय विकास शुल्क को अद्यतन दरों पर उद्ग्रहीत नहीं किया। इसके अतिरिक्त उ0प्र0स0 द्वारा नवम्बर 2014 में जारी किये गये 'नियमों' के अनुसार कम जमा किये गये नगरीय विकास शुल्क पर विकासकर्ता से ब्याज भी संग्रहित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.13 करोड़ की हानि हुई जैसा कि नीचे वर्णित है:

- प्राधिकरण ने 441.54 एकड़ भूमि पर नगरीय विकास शुल्क अद्यतन रेट ₹ 1.76 लाख प्रति एकड़ के बजाय ₹ 1.50 लाख प्रति एकड़ की दर से (अगस्त 2008) तथा 35.96 एकड़ भूमि के बढ़े हुए क्षेत्रफल पर ₹ 5.28 लाख प्रति एकड़ के बजाय ₹ 2.93 लाख प्रति एकड़ की दर से सितम्बर 2014 में उद्ग्रहीत किया। इसके परिणामस्वरूप, विकासकर्ता से नगरीय विकास प्रभार की ₹ दो करोड़² की कम वसूली हुई।
- प्राधिकरण ने विकासकर्ता से ₹ दो करोड़ के कम वसूले गये नगरीय विकास प्रभार पर जुलाई 2008 से मार्च 2016 की अवधि के लिए गणना किये गये ₹ 1.13 करोड़³ का ब्याज भी उद्ग्रहीत नहीं किया।

प्राधिकरण ने उत्तर में बताया (अगस्त 2016) कि विकासकर्ता ने पहले ही ₹ 7.67 करोड़ नगरीय विकास शुल्क जमा कर दिया था (जुलाई 2008 और अगस्त 2015) जो कि विकासकर्ता द्वारा मार्च 2016 तक अर्जित की गयी 368.5 एकड़ भूमि पर वांछित नगरीय विकास शुल्क से अधिक है। इसके आगे यह भी बताया गया कि विकासकर्ता ने बढ़े हुए तल क्षेत्रफल अनुपात तथा उच्चतर घनत्व का उपयोग नहीं किया, अतः नगरीय विकास शुल्क ₹ 1.50 लाख प्रति एकड़ और ₹ 2.93 लाख प्रति एकड़ की दर से प्रभारित किया गया।

¹ आगरा जिला के सदर तहसील के गाँव एटस, जौपुरा, पनवारी, सदरवन में।

² {₹ 7.77 करोड़ (441.54 x ₹ 1.76 लाख) + ₹ 1.90 करोड़ (35.96 x ₹ 5.28 लाख)} - {₹ 6.62 करोड़ (441.54 x ₹ 1.50 लाख) + ₹ 1.05 करोड़ (35.96 x ₹ 2.93 लाख)}।

³ ₹ 1.07 करोड़ (₹ 1.15 करोड़ x 12 % x 93 माह/12) + ₹ 0.06 करोड़ (₹ 0.85 करोड़ x 12% x 7 माह/12)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिसम्बर 2008 के शासनादेश के अनुसार नगरीय विकास शुल्क एकमुश्त शुल्क है जिसे ले-आउट के अनुमोदन के समय अद्यतन उपयुक्त दर पर तल क्षेत्रफल अनुपात तथा उच्चतर घनत्व अर्थात् प्रति हेक्टेयर व्यक्तियों/आवास इकाइयों की अधिकतम संख्या से पृथक ले-आउट में दर्शाये गये भूमि के क्षेत्रफल पर वसूल किया जाना था।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जून 2016)। उत्तर प्रतिक्षित है (नवम्बर 2016)।

3.3 ब्याज का परिहार्य भुगतान

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने ₹ आठ करोड़ के अप्रयोज्य ऋण को देरी से वापस करने के कारण ₹ 0.75 करोड़ के परिहार्य ब्याज का भुगतान किया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने मोहन सराय बाईपास, वाराणसी में भूमि अर्जित करने तथा ट्रांसपोर्ट नगर योजना विकसित करने के लिए हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) के साथ दिसम्बर 2011 में ₹ 95 करोड़ का ऋण लेने हेतु अनुबन्ध किया।

ऋण अनुबन्ध के परिशिष्ट— सामान्य शर्तें के अनुच्छेद 3 के अनुभाग-3.2 के उपनियम (iv) के अनुसार “यदि अनुबन्ध के अधीन निर्गत ऋण या ऋण के विभिन्न भाग का ऋणकर्ता द्वारा उपयोग निर्गत तिथि से छः माह के अन्दर योजना को वापस लेने, योजना के कार्यान्वयन न होने, योजनान्तर्गत निर्माण की जाने वाली इकाईयों की संख्या में कमी होने आदि जैसे कारणों से, नहीं किया जाता तो ऋणकर्ता को ऐसी राशि किसी भी दशा में ऋण निर्गत होने की तिथि से छः माह के अन्दर हुडको को तुरन्त वापस करनी होगी, ऐसा न होने की दशा में, यहाँ वर्णित किसी बात के विपरीत होते हुए भी, ऋणकर्ता हुडको को ऐसी समस्त राशि पर ऋण निर्गत की तिथि से हुडको को वापस करने की तिथि तक, अनुबन्ध में परिभाषित शास्ति ब्याज के अतिरिक्त ऐसे बढ़े हुए दर से ब्याज का भुगतान करेगा जैसा कि हुडको द्वारा निर्धारित किया जाए।”

प्राधिकरण ने फरवरी 2012 में हुडको से ₹ 28 करोड़ का ऋण प्राप्त किया जिसमें से ₹ 20 करोड़ का उपयोग छः माह के अन्दर कर लिया तथा शेष ₹ आठ करोड़ 16 माह तक अप्रयुक्त रहा। शेष ₹ आठ करोड़ की राशि जून 2013 में हुडको को यह बताते हुए वापस कर दी गयी कि प्राधिकरण को ट्रांसपोर्ट नगर योजना के लिए भूमि के अर्जन और भौतिक कब्जा प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

लेखापरीक्षा ने देखा (मार्च 2016) कि भूमि के अर्जन और भौतिक कब्जे में समस्या 2003 से बनी हुई थी और यह ऋण के आहरण (फरवरी 2012) तक जारी रही। अतः ऋण का आहरण चरणबद्ध तरीके तथा वास्तविक आवश्यकतानुसार करना चाहिए था। प्राधिकरण ने भूमि अर्जन में समस्या की जानकारी होने के बावजूद ₹ 28 करोड़ का ऋण एक मुश्त आहरित कर लिया और इसके पश्चात ₹ आठ करोड़ की अप्रयुक्त राशि को ऋण अनुबन्ध में प्रावधानित {अनुच्छेद 3 के अनुभाग 3.2 के उपनियम (iv)} छः माह की अवधि के अन्दर वापस करने के बजाय 16 माह तक रोक कर रखा।

इस प्रकार बिना आवश्यकता के ₹ आठ करोड़ के ऋण आहरण और 16 माह तक उसे रोक कर रखने के कारण, प्राधिकरण को ₹ 125.33 लाख⁴ के परिहार्य ब्याज का भुगतान करना पड़ा। प्राधिकरण ने निधि को बैंक में फ्लेक्सी खाते में रखा था जिस पर ₹ 50.67 लाख⁵ ब्याज अर्जित हुआ। इस प्रकार प्राधिकरण को, ₹ 8 करोड़ की ऋण

⁴ (₹ 8 करोड़ x 11.75 % x 16 माह) / 12 माह।

⁵ 15 दिन से 45 दिन की अवधि तक जमा पर लागू 4.75 प्रतिशत वार्षिक की दर पर।

राशि पर अर्जित किये गये ब्याज और भुगतान किये गये ब्याज के अन्तर मूल्य, ₹ 74.66 लाख की हानि हुई।

प्राधिकरण ने उत्तर में बताया (जून 2016) कि निधि का निवेश बैंक के फलेक्सी खाते में किया गया जिस पर प्राधिकरण ने ब्याज अर्जित किया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ऋण राशि पर ब्याज अर्जित करने के बावजूद प्राधिकरण को ₹ 75.00 लाख की हानि हुई।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जून 2016)। उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2016)।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग

3.4 ब्याज की परिहार्य हानि

सम्बन्धित सरकारी विभागों को यूजर चार्जेज हस्तान्तरित न होने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार को ₹ 2.84 करोड़ के ब्याज की हानि हुई

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के परिशिष्ट-II का नियम 7(1) जो कि कोषागार नियम से सम्बन्धित है, यह बताता है कि सरकारी कर्मचारियों को उनकी आधिकारिक क्षमता में प्राप्त या चुकायी गई समस्त धनराशि सरकारी खाते से अलग नहीं रखी जायेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार (उ0प्र0स0) के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग (विभाग) ने सरकारी विभागों, निजी एवं सार्वजनिक संगठनों तथा अन्य के मध्य ई-गवर्नेन्स के प्रमुख मुद्दों के विश्लेषण, समाधान ढूँढ़ने, कार्य योजना के विकास में सहायता इत्यादि के लिये सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स⁶ (सीईजी) की स्थापना (मार्च 2006) की।

उ0प्र0स0 ने स्टेट सर्विस डेलिवरी गेटवे के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिये यूजर चार्जेज तथा इस प्रकार एकत्र किये गये यूजर चार्जेज को चार हितधारकों के मध्य अंश विभाजन हेतु अनुपात निर्धारित किया (फरवरी 2013)। नागरिकों को प्रदान की गई सेवाओं के लिये वसूले गये कुल यूजर चार्जेज में से उ0प्र0स0 के सम्बन्धित विभागों को खतौनी सर्विस के लिए ₹ 10 प्रति आवेदन की दर से तथा गैर खतौनी सर्विस के लिये ₹ 10 पैसे की दर से यूजर चार्जेज प्राप्त होने थे।

लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2016) कि सरकार के विभागों की ओर से सीईजी ने 2013–14 से 2015–16 के मध्य ₹ 25.03 करोड़ यूजर चार्जेज के रूप में प्राप्त किये तथा उसे बिना ब्याज के बैंक खाते में जमा कर दिया। सीईजी ने विभाग से सरकार के खाते में निधि हस्तान्तरण के सन्दर्भ में दिशानिर्देश जारी करने के लिये अनेक बार (मई 2015 से नवम्बर 2015 के मध्य) अनुरोध किया, लेकिन ऐसा कोई दिशानिर्देश विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया।


सीईजी द्वारा सरकार के खाते में निधि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में विभाग द्वारा दिशानिर्देश जारी करने के अभाव में, ₹ 25.03 करोड़ की निधि सम्बन्धित विभागों के खाते में हस्तान्तरित होने के बजाय बैंक के चालू खाते (बिना ब्याज के) में रखा गया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.84 करोड़ की ब्याज की परिहार्य हानि हुई जिसकी गणना अप्रैल 2013 से जनवरी 2016 के दौरान सरकारी ब्याज⁷ की दर से की गई है (परिशिष्ट-3.2)।

⁶ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत सीईजी का रजिस्ट्रेशन हुआ।

⁷ सर्विस सेन्टर एजेन्सी (एससीए) / केन्द्र संचालक, डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी / लोकवाणी सोसाइटी, सम्बन्धित विभाग तथा सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स (सीईजी)।

⁸ वह दर जिस पर राज्य सरकार भारत सरकार से उधार लेती है जो कि अप्रैल 2013 से जनवरी 2016 के दौरान 8.75 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच रही।

परिशिष्टयाँ



परिशिष्ट-1.1

(प्रस्तर 1.7 में सन्दर्भित)

अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा प्रस्तरों के विवरणों को दर्शाती हुई विवरणी

क्रं सं०	विभाग का नाम	31 मार्च 2016 तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या	सम्मिलित कुल राशि	वर्ष जब से प्रस्तर अनिस्तारित है	(₹ करोड़ में)	
						1	2
3	4	5	6	7	8	9	10
1	आवास एवं शहरी नियोजन	117	1008	34184.52	2008-09	60	421
2	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	2	7	8.08	2013-14	0	0
3	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग	128	341	318.12	2007-08	60	132
4	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	1	4	2.21	2014-15	0	0
5	वन	662	2056	2454.08	2007-08	411	1115
6	ऊर्जा	28	78	4086.70	2008-09	4	6
7	सहकारिता	51	123	2018.32	2007-08	12	17
8	गन्ना विकास	70	193	14892.05	2008-09	26	58
9	पर्यटन	15	59	532.34	2007-08	6	17
10	पर्यावरण	7	28	1149.30	2008-09	3	15
11	खादी एवं ग्रामोद्योग	12	59	2955.32	2008-09	5	26
12	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	29	81	234.86	2008-09	11	30
13	दुर्घटशाला विकास	127	440	852.07	2008-09	47	139
14	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	9	74	251.21	2008-09	3	15
15	नागरिक उद्योग	3	9	42.29	2013-14	0	0
16	मद्य निषेध	6	8	13.09	2008-09	1	1
17	राजस्व (कलेक्ट्रेट के अतिरिक्त)	23	58	721.34	2007-08	13	30
18	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत/ गैर-परम्परागत ऊर्जा	5	41	73.63	2008-09	2	19
	योग	1295	4667	64789.53		664	2041

परिशिष्ट-1.2
(प्रस्तर 1.11 में सन्दर्भित)

राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत की जाने वाली लम्बित पृथक लेखापरीका प्रतिवेदनों को
दर्शाती हुई विवरणी

क्रम संख्या	स्वायत्त निकायों के नाम	वर्ष जब तक एसएआर विधानमंडल में प्रस्तुत किया गया	वर्ष जिसकी एसएआर विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं की गई		एसएआर के न रखे जाने का कारण
			एसएआर के वर्ष	शासन को निर्गत करने की तिथि	
1	2	3	4	5	6
1	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग	स्थापना (2003-04) के बाद से कोई भी पृथक लेखापरीका प्रतिवेदन विधानमंडल में नहीं रखा गया।	2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15	19 अक्टूबर 2006 05 अक्टूबर 2007 05 अक्टूबर 2007 03 अक्टूबर 2008 17 अगस्त 2009 15 अगस्त 2010 26 मई 2011 08 जून 2012 24 सितम्बर 2014 20 फरवरी 2015 22 जून 2015 28 दिसम्बर 2015	कारण उपलब्ध नहीं कराये गये

परिशिष्ट 2.1

(प्रस्तर 2.1.1 में सन्दर्भित)

जल अधिनियम, वायु अधिनियम एवं प.सं. अधिनियम के तहत बोर्ड की भूमिका

राज्य में नदियों और कुँओं एवं वायु के प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या कमी लाने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना और उसका निष्पादन सुनिश्चित करना।

राज्य सरकार को जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या कमी के किसी भी विषय में सलाह देना।

जल और वायु प्रदूषण एवं उनके निवारण, नियंत्रण या कमी के संबंध में जानकारी एकत्र करना और प्रसार करना।

सीवेज तथा व्यावसायिक उत्प्रवाह का निरीक्षण व उनके उपचार के लिए स्थापित कल व शोधन संयंत्रों का निरीक्षण और सीवेज एवं व्यावसायिक उत्प्रवाह के निस्तारण की प्रणाली एवं अधिनियमों के तहत आवश्यकतानुसार सहमति प्रदान करना;

जल उपकर अधिनियम के तहत जल उपकर का आकलन करना एवं एकत्र करना और उसे केन्द्र सरकार को भेजना;

पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित समस्याओं और जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या कमी लाने हेतु जाँच एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, कराना एवं भाग लेना;

जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या कमी लाने में लगे या लगाये जाने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण के आयोजन में केन्द्रीय बोर्ड के साथ सहयोग करना और उससे संबंधित जन शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन कराना;

अनुपालन किये जाने वाले उत्प्रवाह के मानकों को बनाना, संशोधित करना एवं उन्हें रद्द करना तथा राज्य में वायु एवं जल प्रदूषण का अनुश्रवण करना;

विभिन्न अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों के अन्तर्गत परिसंकटमय अपशिष्ट, ई—अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट आदि के लिये प्राधिकार जारी करना;


दोषियों पर दण्ड लगाना एवं कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ करना तथा

ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें या उसे समय—समय पर सौंपे जायें।

अधिनियमों के अनुसार, बोर्ड स्वयं के कार्यों को कुशलतापूर्वक करने हेतु एवं किसी भी नदी या कुँए के जल के नमूने अथवा किसी सीवेज या व्यावसायिक उत्प्रवाह के नमूने के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला अथवा प्रयोगशालाओं को स्थापित या मान्यता प्रदान कर सकता है।

(स्रोत: जल अधिनियम, वायु अधिनियम, प.सं. अधिनियम और प.सं. अधिनियम के अंतर्गत बने नियम)

परिशिष्ट 2.2
(प्रस्तर 2.1.2 में संदर्भित)
यूपीपीसीबी का संगठनात्मक ढाँचा



(स्रोत: यूपीपीसीबी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

(प्रस्तर 2.1.7.3 में सन्दर्भित)

बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला में उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं का विवरण

क्र०सं०	परीक्षण की श्रेणियाँ	परीक्षण किये जाने वाले जरूरी मानदंडों की संख्या	परीक्षण किये जाने वाले जरूरी मानदंडों की संख्या जिनके लिये केन्द्रीय प्रयोगशाला में वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान सुविधाएँ मौजूद थीं
जल / ठोस / मृदा / गाद का परीक्षण			
क	भौतिक जाँच	10	10
ख	इनऑर्गेनिक जाँच		
	जनरल और नान मेटालिक	13	13
	ट्रेस मेटल	15	15
ग	ऑर्गेनिक जाँच (जनरल और ट्रेस ऑर्गेनिक्स)	5	5
घ	माइक्रो-बायोलॉजिकल जाँच	4	4
ड	टाकिसकोलॉजिकल जाँच	1	1
च	बायोलॉजिकल जाँच	3	3
छ	परिसंकटमय अपशिष्ट	3	2
ज	मृदा / गाद / कीचड़ और ठोस अपशिष्ट जाँच	15	9
वायु परीक्षण			
क	परिवेशीय वायु / फ्यूजीटिव जाँच	4	4
ख	स्टैक एमिशन जाँच	8	8
ग	ध्वनि स्तर जाँच	2	2
घ	मिटीरियोलॉजिकल जाँच	4	4
ड	वाहन एमिशन जाँच	3	0

(स्रोत: प.सं. अधिनियम के दिशानिर्देश एवं यूपीपीसीबी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 2.4

(प्रस्तर 2.1.7.3 में सन्दर्भित)

बोर्ड की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं का विवरण

क्र०सं०	परीक्षण की श्रेणी	परीक्षण किये जाने वाले जरूरी मानदंडों की संख्या	परीक्षण किये जाने वाले जरूरी मानदंडों की संख्या जिनके लिये क्षेत्रीय प्रयोगशाला में वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान सुविधाएँ मौजूद थी				
			कानपुर क्षेत्र	गाजियाबाद क्षेत्र	नोएडा क्षेत्र	अलीगढ़ क्षेत्र	बरेली क्षेत्र
जल / ठोस / मृदा / गाद का विश्लेषण							
क	भौतिक जाँच	10	10	10	10	10	10
ख	इनओर्गेनिक जाँच						
	जनरल और नान मेटालिक	13	11	13	10	10	10
	ट्रेस मेटल	15	5	6	4	3	6
ग	ऑर्गेनिक जाँच (जनरल और ट्रेस ऑर्गेनिक्स)	5	3	3	3	3	3
घ	माइक्रो—बायोलॉजिकल जाँच	4	2	2	2	2	2
ड	टाकिस्कोलॉजिकल जाँच	1	0	0	0	0	0
च	बायोलॉजिकल जाँच	3	0	0	0	0	3
छ	परिसंकटमय अपशिष्ट का वर्गीकरण	3	0	0	0	0	0
ज	मृदा / गाद / कीचड़ और ठोस अपशिष्ट जाँच	15	3	3	0	0	0
वायु विश्लेषण							
क	परिवेशीय वायु / प्रयूजीटिव जाँच	4	4	4	4	4	4
ख	स्टैक एमिशन जाँच	8	8	8	8	8	8
ग	ध्वनि स्तर जाँच	2	2	2	2	2	2
घ	मिटीरियोलॉजिकल जाँच	4	4	0	0	0	0
ड	वाहन एमिशन जाँच	3	0	0	0	0	0

(झोत: प.सं. अधिनियम के दिशानिर्देश एवं यूपीपीसीबी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 2.5 (अ)
(प्रस्तर 2.1.7.3 में सन्दर्भित)

क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के पंजीकरण हेतु आवश्यक अनुपलब्ध आधारभूत ढाँचा एवं अन्य उपकरण/संयंत्रों की अनुसूची

अ. क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में अनुपलब्ध आधारभूत उपकरण

नोंडा	गणियाबाद	कानपुर	अलीगढ़	बरेली
1	2	3	4	5
ब्रीथिंग एपरेटस				
सैंपल स्टोरेज हेतु शीत कक्ष				
फेस शील्ड एवं हेलमेट				
दूल किट (विद्युत एवं यांत्रिकी)				
प्यूम हुड				
एग्जॉस्ट सिस्टम				
गैस सिलिंडर ट्राली				

ब. क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में अनुपलब्ध अन्य उपकरण/संयंत्र

सीओडी डाईजेस्टर विद एल्युमीनियम हीटिंग ब्लॉक	सीओडी डाईजेस्टर विद एल्युमीनियम हीटिंग ब्लॉक	सीओडी डाईजेस्टर विद एल्युमीनियम हीटिंग ब्लॉक	सीओडी डाईजेस्टर विद एल्युमीनियम हीटिंग ब्लॉक	सीओडी डाईजेस्टर विद एल्युमीनियम हीटिंग ब्लॉक
पलोकुलेटर	पलोकुलेटर	पलोकुलेटर	पलोकुलेटर	पलोकुलेटर
टीकेएन एनालाइसर सेमी ऑटोमेटिक विद एल्युमीनियम ब्लॉक डाईजेस्टर	मैग्नेटिक स्टिरर विद हॉट प्लेट	ध्वनि मीटर	ध्वनि मीटर	
एकमन ड्रेज	टीकेएन एनालाइसर सेमी ऑटोमेटिक विद एल्युमीनियम ब्लॉक डाईजेस्टर	मैग्नेटिक स्टिरर विद हॉट प्लेट	मैग्नेटिक स्टिरर विद हॉट प्लेट	मैग्नेटिक स्टिरर विद हॉट प्लेट
वलोरेस्कोप फॉर रेसिदुअल क्लोरीन	अल्ट्रासोनिक वाटर बाथ	टीकेएन एनालाइसर सेमी ऑटोमेटिक विद एल्युमीनियम ब्लॉक डाईजेस्टर	टीकेएन एनालाइसर सेमी ऑटोमेटिक विद एल्युमीनियम ब्लॉक डाईजेस्टर	टीकेएन एनालाइसर सेमी ऑटोमेटिक विद एल्युमीनियम ब्लॉक डाईजेस्टर
अल्फा / बीटा / रेडियोएक्टिविटी काउंटर	एकमन ड्रेज	एकमन ड्रेज	अल्ट्रासोनिक वाटर बाथ	अल्ट्रासोनिक वाटर बाथ
एटोमिक अब्लोपशन स्पेक्ट्रोमीटर	वलोरेस्कोप फॉर रेसिदुअल क्लोरीन	वलोरेस्कोप फॉर रेसिदुअल क्लोरीन	एकमन ड्रेज	एकमन ड्रेज
गैस क्रोमेटोग्राफ	अल्फा / बीटा / रेडियोएक्टिविटी काउंटर	अल्फा / बीटा / रेडियोएक्टिविटी काउंटर	वलोरेस्कोप फॉर रेसिदुअल क्लोरीन	वलोरेस्कोप फॉर रेसिदुअल क्लोरीन
हाई प्रेशर लिकिवड क्रोमेटोग्राफ	एटोमिक अब्लोपशन स्पेक्ट्रोमीटर	पलेम फोटोमीटर	अल्फा / बीटा / रेडियोएक्टिविटी काउंटर	अल्फा / बीटा / रेडियोएक्टिविटी काउंटर
आयन क्रोमेटोग्राफ	पलेम फोटोमीटर	हाई प्रेशर लिकिवड क्रोमेटोग्राफ	एटोमिक अब्लोपशन स्पेक्ट्रोमीटर	एटोमिक अब्लोपशन स्पेक्ट्रोमीटर
इंडिटिवली कपल्ड प्लाज्मा स्पेक्ट्रोमीटर	गैस क्रोमेटोग्राफ	आयन क्रोमेटोग्राफ	पलेम फोटोमीटर	पलेम फोटोमीटर
मरकरी एनालाइजर डिजिटल	हाई प्रेशर लिकिवड क्रोमेटोग्राफ	इंडिटिवली कपल्ड प्लाज्मा स्पेक्ट्रोमीटर	गैस क्रोमेटोग्राफ	गैस क्रोमेटोग्राफ
यूवी-विसिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	आयन क्रोमेटोग्राफ	मरकरी एनालाइजर डिजिटल	हाई प्रेशर लिकिवड क्रोमेटोग्राफ	हाई प्रेशर लिकिवड क्रोमेटोग्राफ
अल्फा / बीटा / रेडियोएक्टिविटी काउंटर	इंडिटिवली कपल्ड प्लाज्मा स्पेक्ट्रोमीटर	यूवी-विसिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	आयन क्रोमेटोग्राफ	आयन क्रोमेटोग्राफ
बीटीएक्स एनालाइसर (पीआईडी / एफआईडी डिटेक्टर)	मरकरी एनालाइजर डिजिटल	अल्फा / बीटा / रेडियोएक्टिविटी काउंटर	इंडिटिवली कपल्ड प्लाज्मा स्पेक्ट्रोमीटर	इंडिटिवली कपल्ड प्लाज्मा स्पेक्ट्रोमीटर
बीटीएक्स कैलीब्रेटर	स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (विसिबल) या अल्ट्रावायलेट और विसिबल	बीटीएक्स एनालाइसर (पीआईडी / एफआईडी डिटेक्टर)	मरकरी एनालाइजर डिजिटल	मरकरी एनालाइजर डिजिटल
डस्ट एनालाइसर (बीटा अटेन्यूएशन / टीआईएन)	यूवी-विसिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	बीटीएक्स कैलीब्रेटर	यूवी-विसिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	यूवी-विसिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
एग्जॉस्ट सीओ / एचसी एनालाइसर	अल्फा / बीटा / रेडियोएक्टिविटी काउंटर	डस्ट एनालाइसर (बीटा अटेन्यूएशन / टीआईएन)	अल्फा / बीटा / रेडियोएक्टिविटी काउंटर	अल्फा / बीटा / रेडियोएक्टिविटी काउंटर
गैस क्रोमेटोग्राफ विद एयर सैंपलिंग पोर्ट, एफआईडी एण्ड पीएफपीडी डिटेक्टर	बीटीएक्स एनालाइसर (पीआईडी / एफआईडी डिटेक्टर)	एग्जॉस्ट सीओ / एचसी एनालाइसर	बीटीएक्स एनालाइसर (पीआईडी / एफआईडी डिटेक्टर)	बीटीएक्स एनालाइसर (पीआईडी / एफआईडी डिटेक्टर)

1	2	3	4	5
लो पलो पम्प मिटीरिओलॉजिकल सेंसर विद मास्ट	बीटीएक्स कैलीब्रेटर डस्ट एनालाइसर (बीटा अटेन्युएशन / टीओईएन)	पलू गैस एनालाइसर गैस क्रोमेटोग्राफ विद एयर सैंपलिंग पोर्ट,एफआईडी एण्ड पीएफपीडी डिटेक्टर	बीटीएक्स कैलीब्रेटर डस्ट एनालाइसर (बीटा अटेन्युएशन / टीओईएन)	बीटीएक्स कैलीब्रेटर डस्ट एनालाइसर (बीटा अटेन्युएशन / टीओईएन)
मल्टी चैनल रिकॉर्डर	एग्जॉस्ट सीओ / एचसी एनालाइसर	लो पलो पम्प	एग्जॉस्ट सीओ / एचसी एनालाइसर	एग्जॉस्ट सीओ / एचसी एनालाइसर
एनओ-एनओ, एनओएक्स एनालाइसर (कैमीलुमिनीसेन्स आधारित)	फलू गैस एनालाइसर	मिटीरिओलॉजिकल सेंसर विद मास्ट	फलू गैस एनालाइसर	फलू गैस एनालाइसर
ओजोन एनालाइसर (अल्ट्रावायलेट)	गैस क्रोमेटोग्राफ विद एयर सैंपलिंग पोर्ट,एफआईडी एण्ड पीएफपीडी डिटेक्टर	मल्टी चैनल रिकॉर्डर	गैस क्रोमेटोग्राफ विद एयर सैंपलिंग पोर्ट,एफआईडी एण्ड पीएफपीडी डिटेक्टर	गैस क्रोमेटोग्राफ विद एयर सैंपलिंग पोर्ट,एफआईडी एण्ड पीएफपीडी डिटेक्टर
	लो पलो पम्प	एनओ-एनओ, एनओएक्स एनालाइसर (कैमीलुमिनीसेन्स आधारित)	लो पलो पम्प	लो पलो पम्प
मिटीरिओलॉजिकल सेंसर विद मास्ट	ओजोन एनालाइसर (अल्ट्रावायलेट)	मिटीरिओलॉजिकल सेंसर विद मास्ट	मिटीरिओलॉजिकल सेंसर विद मास्ट	मिटीरिओलॉजिकल सेंसर विद मास्ट
मल्टी चैनल रिकॉर्डर	एनओ-एनओ, एनओएक्स एनालाइसर (कैमीलुमिनीसेन्स आधारित)	मल्टी चैनल रिकॉर्डर	एनओ-एनओ, एनओएक्स एनालाइसर (कैमीलुमिनीसेन्स आधारित)	एनओ-एनओ, एनओएक्स एनालाइसर (कैमीलुमिनीसेन्स आधारित)
ओजोन एनालाइसर (अल्ट्रावायलेट)			ओजोन एनालाइसर (अल्ट्रावायलेट)	ओजोन एनालाइसर (अल्ट्रावायलेट)

(चोत: यूपीपीसीबी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 2.5 (ब)

(प्रस्तर 2.1.7.3 में संदर्भित)

प0सं0 अधिनियम के तहत पर्यावरण प्रयोगशालाओं के पंजीकरण हेतु दिशानिर्देश के परिशिष्ट—द (ब) के अनुसार परिसंकटमय अपशिष्ट के परीक्षण हेतु आवश्यक क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में अनुपलब्ध उपकरणों का विवरण

क्रं0सं0	उपकरणों/संयंत्रों की अनुसूची
1	बोम्ब कलरीमीटर
2	एलिमेंटल एनालाईसर
3	फ्लैश पॉइंट अपरेटस
4	मॉयस्चर कंटेंट मीटर
5	रोटरी इवापोरेटर
6	टोकिसिटी करैक्टरस्टिक लीचिंग प्रोसीजर (टीसीएलपी) एक्सट्रैक्टर
7	टॉकिसक गैस एनालाईसर
8	एक्स-रे फ्लुरोसेन्स (एक्सआरएफ) स्पेक्ट्रोमीटर
9	जीरो हेड स्पेस एक्सट्रैक्टर (जेडएचई)

(स्रोत: प0सं0 अधिनियम के अन्तर्गत पर्यावरणीय प्रयोगशाला की मान्यता हेतु केऽप्र०नि० बोर्ड के दिशानिर्देश)

परिशिष्ट 2.6

(प्रस्तर 2.1.8.3 में संदर्भित)

बैंक विवरणी/पास बुक एवं रोकड़ बही के अनुसार बैंक अवशेष में अंतर दर्शाता विवरण

(कॉलम 4,5 और 6 के आंकड़े ₹ लाख में)

क्र0सं0	बैंक का नाम	बैंक खाता संख्या	बैंक विवरणी/पास बुक के अनुसार अवशेष	रोकड़ बही के अनुसार अवशेष	अन्तर
1	2	3	4	5	6
1	इंडियन ओवरसीज बैंक, डालीगंज	024801000001567	1545.89	1384.24	161.65
2	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	302202010043730	24.85	13.77	11.08
3	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, चौदगंज	437202010003242	443.63	427.60	16.03
4	इलाहाबाद बैंक	20299626800	2.56	1.45	1.11
5	बैंक ऑफ इंडिया	1002	2.65	0.21	2.44
6	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	10000151104	83.12	52.84	30.28
योग			2102.70	1880.11	222.59

(स्रोत: यूपीपीसीबी द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े)।

परिशिष्ट 2.7

(प्रस्तर 2.1.8.5 में संदर्भित)

प्रदूषण नियंत्रण उपायों के मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वास्तविक व्यय का विवरण

(प्रावधानित और वास्तविक स्तम्भ के आंकड़े ₹ लाख में)

क्रं सं०	व्यय मद	वर्ष														
		2011-12			2012-13			2013-14			2014-15			2015-16		
		प्रावधानित	वास्तविक	प्रतिशत												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	प्रदूषण नियंत्रण उपाय	35	7.42	21	34	9.73	29	34.50	9.61	28	34.50	10.17	29	34.50	3	9
2	प्रयोगशाला व्यय	80.35	56.75	71	88.7	70.05	79	115.60	80.15	69.33	128.40	108.11	84.20	124.15	80.18	65
3	जन जागरण अभियान	14.10	16.85	120	15.10	11.61	77	18	8.81	49	149	24.78	17	124.30	17.21	14
4	प्रयोगशाला उपकरण	113.80	112.54	99	168.20	89.41	53	751.50	138.62	18	1582	282.89	18	1455.50	279.65	19
5	वायु अनुश्रवण केन्द्र	200	0	0	600	0	0	400	0	0	400	0	0	400	0	0
6	वायु अनुश्रवण	60	10.24	17	108	0	0	108	21.43	20	108	42.22	39	70	4.81	7
7	ध्वनि अनुश्रवण केन्द्र	0	0	0	450	0	0	450	0	0	450	0	0	450	0	0
8	जल अनुश्रवण केन्द्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	0	0	630	0	0
9	विद्युत डिस्प्ले बोर्ड	22	14.21	65	22	0.06	0	16.50	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	चलित प्रयोगशाला	0	0	0	52	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0
11	क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं का निर्माण	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970	0	0
12	सौर ऊर्जा केन्द्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
	योग	1025.25	218.01	21	1538	180.86	12	1946.10	258.62	13.9	3481.90	468.17	13	4458.45	384.85	9

(बोत: यूपीपीसीबी द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े)।

परिशिष्ट 2.8 (अ)

(प्रस्तर 2.1.9.1 में संदर्भित)

जल के मूलभूत गुणवत्ता मानदण्ड का विवरण

क्रमसंख्या	प्रदूषक	प्रभाव
1	2	3
1	डिजाल्वड ऑक्सीजन (डीओ)	ऑक्सीजन वातन के माध्यम से आसपास की वायुमंडलीय हवा से और जलीय वनस्पति से प्रकाश संश्लेषण के एक उत्पाद के रूप में जल में पहुँचायी जाती है। डीओ जलीय, एरोबिक जीवों और अन्य प्रजातियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अधिक डीओ का तात्पर्य है बेहतर पानी।
2	बायो कैमिकल ऑक्सीजल डिमाण्ड (बीओडी)	पानी में बीओडी ऑक्सीजन की माँग करने वाले प्रदूषकों से मेटाबोलिज्म व उचित स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है और अप्रिय गैसों का उत्पादन रोकता है। अधिक बीओडी बदतर पानी का घोतक है।
3	पीएच	पीएच अम्लता या क्षारीयता का एक संख्यात्मक माप है। पीएच की सामान्य श्रेणी (6.6 से 8.5) वाद्य स्नान के दौरान त्वचा और नाजुक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है।
4	तापमान	तापमान धुलनशीलता और जलीय प्रणाली को प्रभावित करता है। ऑक्सीजन की धुलनशीलता (डीओ स्तर) तापमान वृद्धि के साथ कम हो जाती है।
5	चालकता	चालकता में उल्लेखनीय वृद्धि एक संकेत है कि प्रदूषित उत्प्रवाह ने जल में प्रवेश किया है।
6	नाइट्रोट	नाइट्रोट जहरीला रसायन है और जलीय जीवन और पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।
7	नाईट्रोइट	नाईट्रोइट नाइट्रोट की तुलना में अधिक विषेश होता है और जलीय जीवन और पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।
8	फीकल कॉलिफोर्म	फीकल कॉलिफोर्म सबसे आम बैक्टीरिया/प्राकृतिक जल के सूक्ष्मजैवीय प्रदूषक हैं जोकि पशु/मनुष्य के मलमूत्र में पाए जाते हैं। यह पीने के पानी की उपयुक्तता मापक हैं जो कि बीमारियों का कारण बनता है।
9	टोटल कॉलिफोर्म	टोटल कॉलिफोर्म बैक्टीरिया है जो कि मिट्टी में, सतही जल से प्रभावित जल में और मानव या पशु अपशिष्ट में पाया जाता है।

(स्रोत: यूपीपीसीबी द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े)।

परिशिष्ट 2.8 (ब)

(प्रस्तर 2.1.9.1 में सन्दर्भित)

उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों/झीलों/तालाबों में 2013 से 2015 के दौरान प्रदूषण के स्तर का विवरण

क्र०सं०	नदी का नाम	2013				2014				2015			
		नमूना एकत्रण बिंदु	डी०ओ० (मि०ग्रा०/ली०) का स्तर	बीओडी (मि०ग्रा०/ली०) का स्तर	टोटल कॉलिफोर्म (एम०पी०एन०/100 मि०ली०) का स्तर	नमूना एकत्रण बिंदु	डी०ओ० (मि०ग्रा०/ली०) का स्तर	बीओडी (मि०ग्रा०/ली०) का स्तर	टोटल कॉलिफोर्म (एम०पी०एन०/100 मि०ली०) का स्तर	नमूना एकत्रण बिंदु	डी०ओ० (मि०ग्रा०/ली०) का स्तर	बीओडी (मि०ग्रा०/ली०) का स्तर	टोटल कॉलिफोर्म (एम०पी०एन०/100 मि०ली०) का स्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	गंगा	21	6.74 से 8.79	1.29 से 6.82	107 से 72917	21	6.51 से 9.04	1.43 से 5.66	113 से 51500	21	6.5 से 8.4	1.76 से 5.52	138 से 56500
2	यमुना	4	4.69 से 8.06	2.13 से 8.62	3333 से 86583	4	3.83 से 8.10	2.33 से 9.22	5783 से 119167	4	4.5 से 8.2	2.4 से 9.62	7283 से 113273
3	गोमती	5	2.98 से 8.28	2.71 से 8.63	2083 से 113500	5	2.40 से 8.83	2.65 से 9.53	1723 से 144167	5	1.5 से 8.1	2.62 से 11.12	1092 से 122000
4	रामगंगा	1	8.35	5.09	8250	1	6.78	3.89	5008	1	7.8	4.93	5475
5	काली (पूर्वी)	2	0 से 7.68	4.7 से 79.17	5025 से 240417	2	0 से 6.35	4.83 से 70.08	5025 से 280417	2	0 से 7.2	4.23 से 66.50	4533 से 215000
6	हिन्डन	3	0.56 से 1.27	23.83 से 46.33	6442 से 228333	3	0.09 से 0.34	26 से 76.58	8150 से 255000	3	0 से 0.1	39.367 से 254.08	27083 से 275833
7	वरुणा	2	3.8 से 7.82	3.03 से 23	6925 से 194167	2	3.25 से 8.04	2.63 से 36.52	5758 से 225833	2	2.5 से 8.2	2.9 से 32.48	4517 से 222500
8	सई नदी	2	7.13 से 7.65	3.11 से 3.34	4992 से 9733	2	7.49 से 7.83	2.94 से 3.71	4442 से 10192	2	7.6 से 7.8	3.33 से 3.43	3936 से 12333
9	सरयू	1	9.18	2.73	6726	1	9.15	2.71	7258	1	9.1	2.95	7358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	रिहन्द बांध	2	7.48 से 7.74	2.07 से 2.27	2933 से 3042	2	7.62 से 7.88	2.25 से 2.39	2367 से 2633	2	7.6 से 7.9	1.82 से 1.82	2158 से 2317
11	घाघरा	2	7.53 से 7.62	2.97 से 3.21	343 से 493	2	7.53 से 7.68	2.87 से 3.37	455 से 1177	2	7.5 से 7.6	2.94 से 3.88	731 से 2442
12	राप्ती	2	7.44 से 7.62	2.83 से 2.97	272 से 343	2	7.48 से 7.68	2.82 से 3.43	494 से 1175	2	7.4 से 7.6	2.74 से 4.51	638 से 3508
13	रामगढ़ झील	1	8.73	4.66	760	1	8.38	5.22	1895	1	8.5	5.97	3517
14	बेतवा	1	7.1	3.11	17818	1	7.11	3.27	15917	1	6.8	3.51	9292
15	गोविन्द सागर	1	6.96	3	14667	1	6.61	3.03	11592	1	7.1	3.08	8092
16	समरपुर झील	1	5.49	4.56	8667	1	5.14	4.89	8942	1	5.2	4.73	8592
17	माहिल तालाब	1	4.3	22.25	30775	1	1.52	29.5	24667	1	2.3	60	25250
18	लक्ष्मी तालाब	1	1.57	28.63	35083	1	0.21	44.25	30250	1	0	88	31417

(स्रोत: यूपीपीसीबी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)।

परिशिष्ट 2.9 (अ)

(प्रस्तर 2.1.9.1 में सन्दर्भित)

गंगा नदी में 2011 से 2015 के दौरान प्रदूषण का स्तर (औसत दर)

क्रंसं 0	क्षेत्रीय कार्यालय	जिला	नमूना एकत्रण बिंदु	वर्ष							
				2011		2012		2013		2014	
				बीओडी	टी०सी०	बीओडी	टी०सी०	बीओडी	टी०सी०	बीओडी	टी०सी०
1	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	शुक्रताल	1.40	0	1.63	0	1.29	107	1.43	113
2	गाजियाबाद	गाजियाबाद	गढ़	3.42	2497	3.37	2125	2.93	1402	2.54	1268
3	बुलंदशहर	बुलंदशहर	अनूपशहर	2.72	1800	3.12	975	2.62	693	2.58	598
4	बुलंदशहर	बुलंदशहर	बदायूँ	3.41	2233	2.76	1517	2.58	659	2.25	573
5	कानपुर	कानपुर	कानपुर	8.35	151333	8.30	111818	6.82	72917	5.66	51500
6	इलाहाबाद	कौशाम्बी	कौशाम्बी	3.63	4167	4.83	4958	3.51	22167	3.87	31833
7	इलाहाबाद	इलाहाबाद	इलाहाबाद	3.95	8583	5.13	9583	3.63	24250	3.69	32417
8	वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	3.67	18530	3.20	9167	2.99	8817	2.87	3950
9	वाराणसी	गाजीपुर	गाजीपुर	4.15	18000	3.67	16833	3.70	23833	3.93	25667
										4.28	34500

बीओडी = बायो कैमिकल ऑक्सीजन डिमांड

टी०सी० = टोटल कोलिफोर्म

(झोत: यूपीपीसीबी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 2.9 (ब)

(प्रस्तर 2.1.9.1 में सन्दर्भित)

गोमती नदी में 2011–2015 के दौरान प्रदूषण का स्तर (औसत दर)

क्रं सं	नमूना बिंदु	2011			2012			2013			2014			2015		
		डीओ (मिलग्रा/ली०)	बीओडी (मिलग्रा/ली०)	टोटल कॉलिफोर्म (एमपीएन/100 मि०ली०)												
1	माझीघाट	8.3	2.7	2091	7.7	2.8	2650	7.89	2.98	2792	8.07	2.90	2440	7.83	2.99	2267
2	गऊघाट	7.9	3.0	3408	7.4	3.1	3516	7.65	3.26	3917	7.67	3.31	3617	7.43	3.4	3783
3	मोहन मीकिन्स	6.7	4.1	27833	6.0	4.5	35250	5.63	4.89	27667	5.40	5.42	21800	4.4	5.63	25917
4	निशातगंज	4.6	6.1	57833	4.1	6.4	69416	3.98	6.50	58833	3.27	7.34	71400	2.43	8.21	69000
5	गोमती बैराज	3.7	7.1	86833	3.1	7.9	91250	3.24	7.79	94167	2.34	8.9	92500	1.61	9.92	96500
6	पिपराघाट	3.1	7.9	102666	2.6	9.1	106583	2.93	8.72	116833	2.4	9.53	115583	1.46	11.12	122000
7	एसटीपी भरवारा	*	*	*	*	*	*	3.26	9.30	134800	1.17	11.95	138400	0.88	12.96	136667

नोट* नमूना एकत्रण 2013 से प्रारंभ हुआ

डीओ = डिजाल्वड ऑक्सीजन

बीओडी= बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमाण्ड

(स्रोत: यूपीपीसीबी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 2.10 (अ)

(प्रस्तर 2.1.9.2 में सन्दर्भित)

वर्ष 2011–15 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में परिवेशी वायु में PM_{10} की स्थिति (वार्षिक औसत मान माइक्रोग्राम/घन मीटर) का विवरण

क्र०सं०	शहर का नाम	2011	2012	2013	2014	2015
1	इलाहाबाद	266.85	316.20	235.85	250.35	251.70
2	गाजियाबाद	233.00	246.15	278.45	246.45	258.45
3	कानपुर	196.53	225.85	202.46	196.82	201.04
4	लखनऊ	185.92	185.92	191.36	174.90	163.91
5	नोएडा	138.70	139.85	139.85	148.10	148.10
6	वाराणसी	125.55	139.35	147.90	142.45	145.15
मानक औसत वार्षिक मूल्य 60 माइक्रोग्राम/घन मीटर						

(चोत: यूपीपीसीबी द्वारा प्रदान किया गया डेटा)।

परिशिष्ट 2.10 (ब)
(प्रस्तर 2.1.9.2 में सन्दर्भित)

थर्मल पावर स्टेशनों द्वारा वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान फ्लाई एश के उत्पादन एवं उपयोग का विवरण

(स्तम्भ 4,5,6,7 और 8 में ऑकड़े मीट्रिक टन में)

क्र० सं०	ताप विद्युत स्टेशन का नाम	वर्ष	कुल उत्पन्न फ्लाई एश	वर्ष में उपयोग किये जाने योग्य फ्लाई एश का प्रतिशत	वर्ष में उपयोग किये जाने हेतु कुल फ्लाई एश	वर्ष में उपयोग किया गया वास्तविक फ्लाई एश	कम उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड सिंगरौली सुपर ताप विद्युत स्टेशन, शक्तिनगर, सोनभद्र	2011-12	37.93	60	22.76	23.23	-0.47
		2012-13	37.77	75	28.33	22.66	5.67
		2013-14	37.56	90	33.80	9.85	23.95
		2014-15	37	100	37.00	6.21	30.79
		2015-16	45.49	100	45.49	3.97	41.52
		योग	195.75		167.38	65.92	101.46
2	मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड रिहन्द सुपर ताप विद्युत स्टेशन, बीजपुर, सोनभद्र	2011-12	31.19	60	18.71	18.92	-0.21
		2012-13	34.89	75	26.17	19.71	6.46
		2013-14	44.87	90	40.38	18.94	21.44
		2014-15	48.31	100	48.31	4.93	43.38
		2015-16	43.75	100	43.75	6.57	37.18
		योग	203.01		177.32	69.07	108.25
3	मेसर्स अनपारा ताप विद्युत स्टेशन यूनिट 'अ' एवं 'ब' अनपारा, सोनभद्र	2011-12	23.63	60	14.18	0.08	14.10
		2012-13	21.29	75	15.97	0.06	15.91
		2013-14	23.98	90	21.58	0	21.58
		2014-15	25.25	100	25.25	0	25.25
		2015-16	30.94	100	30.94	0.01	30.93
		योग	125.09		107.92	0.15	107.77
4	मेसर्स लैंको अनपारा लिमिटेड अनपारा, सोनभद्र	2011-12	0	0	0.00	0	0.00
		2012-13	9.74	50	4.87	0.08	4.79
		2013-14	16.41	70	11.49	0	11.49
		2014-15	20.38	90	18.34	0.44	17.90
		2015-16	19.49	100	19.49	1.34	18.15
		योग	66.02		54.19	1.86	52.33
5	मेसर्स ओबरा ताप विद्युत स्टेशन यूनिट 'अ' एवं 'ब' ओबरा, सोनभद्र	2011-12	15.63	60	9.38	1.60	7.78
		2012-13	12.62	75	9.47	3.06	6.41

1	2	3	4	5	6	7	8
6	एनटीपीसी, ऊँचाहार, रायबरेली	2013-14	13.56	90	12.20	2.92	9.28
		2014-15	13.47	100	13.47	3.09	10.38
		2015-16	14.77	100	14.77	2.92	11.85
		योग	70.05		59.29	13.59	45.70
		2011-12	20.59	60	12.35	12.97	-0.62
		2012-13	19.63	75	14.72	9.33	5.39
7	हरदुआगंज ताप विद्युत स्टेशन, अलीगढ़	2013-14	17.66	90	15.89	10.64	5.25
		2014-15	15.4	100	15.40	10.73	4.67
		2015-16	14.3	100	14.30	9.76	4.54
		योग	87.58		72.66	53.43	19.23
		2011-12	2.19	60	1.31	0	1.31
		2012-13	4.60	75	3.45	0.03	3.42
		2013-14	11.58	90	10.42	3.41	7.01
		2014-15	9.98	100	9.98	4.92	5.06
		2015-16	9.49	100	9.49	3.90	5.59
		योग	37.84		34.65	12.26	22.40
		महा योग	785.34		673.41	216.28	457.14

(स्रोत: एमओईएफ / सीपीसीबी की गाइडलाइन्स और बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी सूचना)।

परिशिष्ट 2.11
(प्रस्तर 2.1.9.5 में सन्दर्भित)

उत्तर प्रदेश में संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं की वर्तमान स्थिति

क्रमसंख्या	सीबीडब्ल्यूटीएफ ऑपरेटर का नाम और पता	इन्सिनरेटर की क्षमता किग्रा/घंटा	उपचार की सुविधा उपलब्ध	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	मेसर्स स्पेक्ट्रम वेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड—खसरा नं०-५९७, ज्वार नगर, मरठीमऊ सुल्तानपुर रोड, मोहनलालगंज, लखनऊ	250	इन्सिनरेटर, आटोकलेव, कतरन मशीन, ईटीपी, गहरी दफन	प्राधिकार 31.12.2016 तक वैध था
2	मेसर्स सिनजी वेस्ट प्रबंधन (प्रा) लि० लॉट नं ३६, ३७, ७२ गांव—मोहम्मदपुर नवाबगंज, बाराबंकी	250	इन्सिनरेटर, आटोकलेव, कतरन मशीन, ईटीपी	प्राधिकार 31.12.2015 तक वैध था
3	मेसर्स एसएनजी मर्कन्टाइल प्राइवेट लिमिटेड गांव बेनीपुर चौधरी, बरेली	100	इन्सिनरेटर, आटोकलेव, कतरन मशीन, ईटीपी, गहरी दफन	स्वयं बंद कर दिया (अपग्रेडेशन में)
4	मेसर्स इनवीराड मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड परसा खेडा, बरेली	150	इन्सिनरेटर, आटोकलेव, कतरन मशीन, ईटीपी, गहरी दफन	प्राधिकार 05.10.2016 तक वैध था
5	मेसर्स बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एजेंसी—खसरा नं०-६२२, गांव पड़ोना राया, माट, मथुरा	100	इन्सिनरेटर, आटोकलेव, कतरन मशीन, ईटीपी	प्राधिकार 22.07.2017 तक वैध था
6	मेसर्स दत्त इंटरप्राइजेज लिमिटेड (कार्यालय)-२९, अलकापुरी हीराबाग, दयाल बाग, आगरा-२८२००३ (संयंत्र)—खसरा नं०-६७०, मौजा दरहरा, तहसील—एतमादपुर, आगरा	200	1. इन्सिनरेटर 2. आटोकलेव 100 किलोग्राम/घंटा 3. हाइड्रोकलेव 100 किलोग्राम/घंटा, ईटीपी	प्राधिकार 31.12.2016 तक वैध था
7	मेसर्स एमपीसीसी बिजौली, झांसी	100	इन्सिनरेटर, आटोकलेव, कतरन मशीन, ईटीपी, स्टैटिक	प्राधिकार 31.12.2015 तक वैध था
8	मेसर्स एमपीसीसी—मेलामऊ भवठी, कानपुर	200	इन्सिनरेटर, आटोकलेव, कतरन मशीन, ईटीपी	प्राधिकार 09.05.2015 तक वैध था। नवीनीकरण हेतु प्रार्थनापत्र विचाराधीन
9	मेसर्स विल्लवड इन्वायरमेन्टल इंक—चौधरीपुर, मंधावा, कानपुर	100	इन्सिनरेटर, आटोकलेव, कतरन मशीन, ईटीपी	27.05.2014 को जारी बंदी आदेश जारी। पुनः इस आदेश को 29.03.2015 तक निलंबित कर दिया। इसके अलावा आवेदन विचाराधीन है।
10	सिनजी वेस्ट मैनेजमेन्ट (पी) लिमिटेड ०११-२६९३३३७१ सुभारती मेडिकल कॉलेज, सुभारती पुरम, मेरठ	300	इन्सिनरेटर, आटोकलेव, कतरन मशीन, ईटीपी	प्राधिकार 31.12.2015 तक वैध था
11	फैरो बिल्ड हार्ड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ८३-ए महेबा पूरब पट्टी, नैनी, इलाहाबाद	200	इन्सिनरेटर, केमिकल ट्रीटमेंट कतरन मशीन-२, आटोकलेव, सुई नाशक, ईटीपी	प्राधिकार 31.12.2015 तक वैध था
12	मेसर्स सेंटर फॉर पाल्यूशन कंट्रोल, मोहनसराय, वाराणसी	150	इन्सिनरेटर, आटोकलेव, कतरन मशीन, ईटीपी	प्राधिकार 02.09.2015 तक वैध था। नवीनीकरण हेतु आवेदन विचाराधीन।
13	एसएस मेडिकल सिस्टम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड मऊ शिवाला रायबरेली रोड, फैजाबाद मौ०नं० ९८३८२०२२८१, ८०९००७५७०८, फैक्स नं० ०५२२-४०२५३९५	100	इन्सिनरेटर, माइक्रोवेव आटोकलेव-३० के०, एल० ईटीपी-२० के०/एल०/विन कतरन मशीन-१०० किलो/घंटा	पहले बंदी आदेश 26.07.2013 को जारी जिसे 12.12.2014 तक निलंबित किया गया। वर्तमान में स्वतः बंद।
14	सेंब रोमकी इन्वायरमेन्टल मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड सी-२१ फेस-१ मसूरी गुलोवाटी रोड, यूपीएसआईटीसी, गाजियाबाद मौ०नं० ९१२०३२५०६७४, फैक्स नं० ०१२०-२६७८९१७	150	इन्सिनरेटर, आटोकलेव-४४०, एलटी/बैच, कतरन मशीन-५० किलो/घंटा ईटीपी	प्राधिकार 16.07.2016 तक वैध था।
15	एमपीसीसी, औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद, संत कबीर नगर	100	इन्सिनरेटर, आटोकलेव, कतरन मशीन, ईटीपी	प्राधिकार 31.12.2015 तक वैध था।
16	एसएस बॉटर ग्रास मेडी वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रा० लिमिटेड, मोहनलालगंज, लखनऊ	250	इन्सिनरेटर, आटोकलेव, कतरन मशीन	प्राधिकार 31.12.2016 तक वैध था।

1	2	3	4	5
17	रॉयल पॉल्यूशन कंट्रोल सर्विसेज, ग्रम चासपुर सदुबाही, सुल्तानपुर	125	इन्सिनरेटर, आटोकलेव, कतरन मशीन, इंटीपी	प्राधिकार 28.08.2015 तक वैध था। नवीनीकरण हेतु आवेदन विचाराधीन।
18	सिलिकॉन वेलफेयर सोसायटी गांव-बांका जिला-गाजीपुर	150	इन्सिनरेटर, आटोकलेव, कतरन मशीन, इंटीपी	प्राधिकार 31.12.2015 तक वैध था
19	संगम मेडिकेयर, हडिया, इलाहाबाद	250	इन्सिनरेटर, आटोकलेव, कतरन मशीन, इंटीपी	प्राधिकार 31.12.2017 तक वैध था
20	इंटीग्रेटेड पाल्यूशन कमेटी, गोरखपुर	100	इन्सिनरेटर, आटोकलेव, कतरन मशीन, इंटीपी	स्वतः बंद
कुल क्षमता		3325		

(ओत: यूपीपीसीबी द्वारा प्रदान किया गया डेटा)।

परिशिष्ट 2.12

(प्रस्तर 2.1.9.7 में सन्दर्भित)

उत्तर प्रदेश राज्य में ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण/संग्रह/उत्पादन इकाइयों की स्थिति

क्र० सं०	इकाई का नाम और पता	क्षेत्रीय कार्यालय	प्राधिकार की स्थिति	पंजीकरण और वैधता की स्थिति	प्रकार	क्षमता (टन/वर्ष)
1	2	3	4	5	6	7
1	आक्टस ई-रीसाइकिलिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, एफ-637, एमजी रोड, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद	गाजियाबाद	अनुदान	30.08.2019	संग्रहण, विघटन पुनर्चक्रण	1800
2	महालक्ष्मी मेटल एलाय (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मोदी नगर, गाजियाबाद	गाजियाबाद	अनुदान	24.06.2016	संग्रहण, विघटन	600
3	मेसर्स एन के प्रोडक्ट, 58-59, एमजी रोड, गाजियाबाद	गाजियाबाद	अनुदान	22.06.2016	संग्रहण, विघटन	9000
4	मेसर्स भारत आयल कम्पनी, ई-18, साइट-IV, साहिबाबाद, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद	गाजियाबाद	अनुदान	16.05.2018	संग्रहण, विघटन	4000
5	प्लैनेट ग्रीन रिसाइकिलिंग प्राइवेट लिमिटेड, जी-129, चरण-1, एमजी रोड, गाजियाबाद	गाजियाबाद	अनुदान	07.11.2015	संग्रहण, विघटन पुनर्चक्रण	1500
6	रॉकेट सेल्स, प्लॉट नं० 1-12, आई/ए, एमजी रोड, हापुड़	गाजियाबाद	अनुदान	27.08.2019	संग्रहण, विघटन	300
7	अर्श रिसाइकिलिंग प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं० 203, यूपीएसआईडीसी, आई/ए, एमजी रोड, गाजियाबाद	गाजियाबाद	अनुदान	06.05.2016	संग्रहण, विघटन	9000
8	आक्टस रिसाइकिलिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, हबीबपुर, ग्रेटर नोएडा	ग्रेटर नोएडा	अनुदान	06.05.2016	विघटन	19500
9	खान ट्रेडर्स, बी-5, साइट 4, पनकी औद्योगिक क्षेत्र, कानपुर	कानपुर	अनुदान	29.06.2015	संग्रहण, विघटन	7190
10	ग्रीन टेक रिसाइकिलिंग, नं०-645, अखराउन्डस बहादुरपुर रोड, परतापुर, मेरठ	मेरठ		19.03.2015	संग्रहण, विघटन	1800
11	मेसर्स फैज रिसाइकिलिंग, प्लाट नं० एस-7, औद्योगिक क्षेत्र, सिंकंदराबाद, बुलंदशहर	बुलंदशहर	अनुदान	21.12.2014	संग्रहण	9000
12	मेसर्स नरोरा एटोमिक पॉवर स्टेशन नरोरा, बुलंदशहर	बुलंदशहर	अनुदान	01.05.2017	संग्रहण, पृथक्करण, विघटन, पुनर्चक्रण	10
13	मेसर्स मेटल एलोय, ई-46, औद्योगिक क्षेत्र, रामनगर, वाराणसी	वाराणसी	अनुदान	31.05.2019	संग्रहण	1825
14	मेसर्स कोमवेन इंफारमेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, 127/35बी, चक रघुनाथ, नैनी, इलाहाबाद	इलाहाबाद	अनुदान	11.08.2017	भंडारण	300
15	मेसर्स दसिया इको ई-वेस्ट रिसाइकलर्स, ई-160, औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद, संतकबीर नगर	बस्ती	अनुदान	31.12.2017	संग्रहण, विघटन	720

1	2	3	4	5	6	7
16	मेसर्स सिम्स रीसाइकिलंग सॉल्यूशन प्लॉट नं 1, उद्योग केन्द्र द्वितीय, इको टेक III, ग्रेटर नोएडा	ग्रेटर नोएडा	आवेदन नहीं किया	आवेदन नहीं किया	संग्रहण, विघटन पुनर्जक्रण	1250
17	मेसर्स जेएओ ई-वेस्ट रिसाइकिलंग कम्पनी, जैतपुर, मुरादाबाद	मुरादाबाद	अनुदान	23.11.2020	संग्रहण	3001
18	मेसर्स हिन ग्रीन ई-वेस्ट रिसाइकिलंग (प्रा) लि0 बी-19 / 1, समर गार्डन कालोनी, मेरठ	मेरठ	अनुदान	06.11.2017	संग्रहण, विघटन	750
19	मेसर्स एसआर मेटकार्स्ट इण्डिया (प्रा) लि0, आगरा-मथुरा रोड, आगरा	आगरा	आवेदन नहीं किया	27.12.2014	संग्रहण	600
20	मेसर्स केएम मेटल सफ्टायर्स, 9 / 270, 271, आगरा	आगरा	आवेदन नहीं किया	16.07.2012	संग्रहण	5000
21	मेसर्स प्रकाश मेटल हाउस, 39 / 223, कारवान, लोहामंडी, आगरा	आगरा	आवेदन नहीं किया	31.12.2017	संग्रहण	1500
22	मेसर्स श्री महावीर जी ट्रेडिंग कम्पनी, 30 / 127, चिप्पीटोला, आगरा	आगरा	आवेदन किया	आवेदन किया	संग्रहण	4500
23	मेसर्स ई-वेस्ट रिसाइकलर्स इंडिया, ई-50, यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, एनएच-2, कोशिकलां, मथुरा	मथुरा	अनुदान	17.12.2016	संग्रहण, विघटन	6000
24	मेसर्स सुपर ट्रेडिंग कंपनी, प्लॉट नं0 3, सरकारी औद्योगिक एस्टेट, तालकटोरा रोड, लखनऊ	लखनऊ	आवेदन नहीं किया	03.04.2016	संग्रहण, विघटन	365
25	मेसर्स वीआर टेक्नो एनवीरो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, खसरा नं0 440, इंदिरा प्रियदर्शिनी वार्ड, इंदिरा नगर, लखनऊ	लखनऊ	आवेदन नहीं किया	09.04.2016	संग्रहण, विघटन	365
26	सचिन इन्टरप्राइजेज 84 / 1, प्लॉट नं0 34-35, फजलगंज, कानपुर	कानपुर	आवेदन किया	आवेदन किया	संग्रहण	5000 पीस प्रति वर्ष (5 टी / पी)
27	गाँधी ट्रेडर्स, 91 / 103, दलेलपुरवा, कानपुर	कानपुर	अनुदान	04.06.2018	संग्रहण	5000 पीस प्रति वर्ष (5 टी / पी)
कुल क्रमता						89,886

(स्रोत: यूपीपीसीबी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)।

परिशिष्ट 2.13

(प्रस्तर 2.1.10.1 में सन्दर्भित)

सहमति जारी करने में देरी के प्रकरणों का विवरण

क्र०सं०	उद्योग / मेसर्स का नाम	आवेदन की प्राप्ति की तारीख	सहमति निर्गत करने की तारीख	चार महीने की निर्धारित समय सीमा से परे सहमति के जारी करने में देरी
1	हिमालय रेजीडेंसी प्राइवेट लिमिटेड, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद	30.12.2014	28.03.2016	11
2	निमला ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, एस-74 एवं एस-75, एमजी रोड, आई/ए, हापुड़	19.03.2015	21.03.2016	8
3	एफकान इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, गाँव देवखरी, बांगरमऊ, उन्नाव	07.04.2015	09.03.2016	7
4	आराध्य एलॉय, प्लॉट नं० पी-3, इण्डस्ट्रियल एरिया साइट-1, उन्नाव	18.05.2015	21.03.2016	6
5	सांगवान लैनको प्राइवेट लिमिटेड अलीगढ़	20.06.2015	22.03.2016	6
6	लोटस ग्रीन्स कान्स्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट ओ-एससी-02/ए सेक्टर-150, नोएडा	03.06.2015	13.04.2016	6
7	एलएम मशीनोटेक प्राइवेट लिमिटेड, बी-37ए सेक्टर-132, नोएडा	03.06.2015	13.04.2016	6
8	मीजन प्रोसेस, गाटा नं० 1460 क, 1461, 1462, मगरवारा, उन्नाव	24.06.2015	31.03.2016	6
9	सत्यम शकुन्तलम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर	01.09.2015	18.03.2016	1.5
10	जूनो बिटूमिक्स प्राइवेट लिमिटेड, यूपीएसआईडीसी, कोसी, मथुरा	01.09.2015	11.03.2016	1
11	सीपी मिल्क एण्ड फूड प्रोडक्ट (प्राइवेट) लिमिटेड, 5, एग्रोपार्क, फेज-II, कुर्सी रोड, लखनऊ	09.09.2015	10.03.2016	1
12	स्लाटर हाउस, (टेंडिंग संयंत्र) कमला कालोनी, सहारनपुर	10.09.2015	03.03.2016	1
13	त्रिमूर्ति हैंडलूम फैक्ट्री, पी-67, पी-68, पी-122, वस्त्र उद्योग केन्द्र, हापुड़	11.09.2015	10.03.2016	1
14	डीवीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जीएचपी, गाँव-डासना, एनएच-24, गाजियाबाद	30.09.2015	29.03.2016	2
15	एल एण्ड टी कंस्ट्रक्शन, गहोरा, महोबा	12.10.2015	31.03.2016	1
16	शिवम कोटेज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं० एस 111, साइट-द्वितीय, लोनी सड़क, आई/ए, गाजियाबाद	23.10.2015	29.03.2016	1

(भोत: यूपीपीसीबी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)।

परिशिष्ट 2.14

(प्रस्तर 2.1.10.2 में सन्दर्भित)

उद्योग की श्रेणी/आकार के आधार पर किये जाने वाले निरीक्षणों की संख्या का विवरण

क्र० सं०	उद्योग का आकार	उद्योग की श्रेणी	मुआयना और उत्प्रवाह नमूने की आवृत्ति
1	सूक्ष्म स्केल	लाल	12 महीने में एक बार
		नारंगी	तीन वर्ष में एक बार
		हरा	तीन वर्ष में एक बार
2	वृहद और मध्यम स्केल	लाल	तीन महीने में एक बार
		नारंगी	छः महीने में एक बार
		हरा	12 महीने में एक बार

(स्रोत: एमओईएफ आदेश)।

परिशिष्ट 2.15
(प्रस्तर 2.1.10.2 में सन्दर्भित)
निर्धारित लक्ष्य के निर्धारण में कमी दर्शता विवरण

क्र० सं०	वर्ष	बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य	वर्ष के दौरान चल रहे उद्योगों की संख्या									तय किया जाने वाला लक्ष्य									तय किया जाने के लिए कुल लक्ष्य (15+18+21)	कमी (22-3)		
			लाल			नारंगी			हरा			लाल			नारंगी			हरा						
			वृ/म	सू	योग	वृ/म	सू	योग	वृ/म	सू	योग	वृ/म (4/वर्ष)	सू (1/ वर्ष)	योग	वृ/म (2/ वर्ष)	सू (0.3/वर्ष)	योग	वृ/म (1/ वर्ष)	सू (0.3/ वर्ष)	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	2011-12	200	33	9	42	21	111	132	0	94	94	132	9	141	42	37	79	0	31	31	251	51		
2	2012-13	200	33	10	43	22	122	144	0	101	101	132	10	142	44	41	85	0	34	34	261	61		
3	2013-14	210	35	9	44	22	120	142	0	101	101	140	9	149	44	40	84	0	34	34	267	57		
4	2014-15	230	33	9	42	23	122	145	0	105	105	132	9	141	46	41	87	0	35	35	263	33		
5	2015-16	230	44	17	61	23	122	145	0	105	105	176	17	193	46	41	87	0	35	35	315	85		
योग		1070											766				422			169	1357	287		

(ज्ञोतः यूपीपीसीबी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)।

परिशिष्ट 2.16

(प्रस्तर 2.1.10.2 में सन्दर्भित)

यूपीपीसीबी मुख्यालय द्वारा औद्योगिक उत्प्रवाह का नमूना संग्रहण एवं विश्लेषण का निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	2011-12				2012-13				2013-14				2014-15				2015-16			
		लक्ष्य	उपलब्धि	कमी	कमी का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी	कमी का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी	कमी का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी	कमी का प्रतिशत	
1	कानपुर	675	601	74	10.96	700	618	82	11.71	710	689	21	2.96	750	652	98	13.07	750	581	169	22.53
2	लखनऊ	260	232	28	10.77	260	243	0	0.00	270	210	60	22.22	300	225	75	25.00	300	170	130	43.33
3	अलीगढ़	180	129	51	28.33	180	150	30	16.67	186	81	105	56.45	186	82	104	55.91	185	121	64	34.59
4	बरेली	200	130	70	35.00	200	225	(25)	(12.5)	210	218	(8)	(3.81)	230	222	8	3.48	230	235	(5)	(2.17)
5	गाजियाबाद	650	730	(80)	(12.31)	700	866	(166)	(19.17)	750	1151	(401)	(53.47)	825	889	(64)	(7.76)	900	869	31	3.44
6	नोएडा	275	297	(22)	(8)	300	500	(200)	(66.67)	325	332	(7)	(2.15)	360	478	(118)	(32.78)	275	441	(166)	(60.36)
7	ग्रेटर नोएडा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	308	(83)	(36.89)

(धोत: यूपीपीसीबी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)।

परिशिष्ट 2.17

(प्रस्तर 2.1.10.2 में सन्दर्भित)

यूपीपीसीबी मुख्यालय द्वारा सतही जल के नमूना संग्रह एवं विश्लेषण का निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम	2011-12				2012-13				2013-14				2014-15				2015-16			
		लक्ष्य	उपलब्धि	कमी	कमी का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी	कमी का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी	कमी का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी	कमी का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी	कमी का प्रतिशत
1	कानपुर	1150	1066	84	7.30	1300	1347	(47)	(3.62)	1315	1032	283	21.52	1315	1017	298	22.66	1350	1154	196	14.52
2	नोएडा	150	172	(32)	(21.33)	150	152	(2)	(1.33)	175	163	12	6.86	175	322	(147)	(84)	175	196	(21)	(12)
3	अलीगढ़	80	132	(52)	(65)	100	103	(3)	(3)	102	122	(20)	(19.6)	102	82	20	19.61	110	120	(10)	(9.09)
4	गाजियाबाद	300	539	(239)	(79.67)	400	859	(459)	(115)	465	1127	(662)	(142.4)	495	518	(23)	(4.65)	520	499	21	4.04
5	बरेली	350	428	(78)	(22.29)	400	639	(239)	(59.75)	430	574	(144)	(33.49)	455	560	(105)	(23.08)	500	621	(121)	(24.2)
6	लखनऊ	415	256	159	38.31	415	481	(66)	(15.90)	445	840	(395)	(88.76)	445	640	(195)	(43.82)	550	883	333	(60.55)
7	ग्रेटर नोएडा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	20	155	88.57

(झोत: यूपीपीसीबी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)।

परिशिष्ट 2.18

(प्रस्तर 2.1.10.2 में सन्दर्भित)

यूपीपीसीबी मुख्यालय द्वारा औद्योगिक उत्सर्जन के नमूना संग्रहण एवं विश्लेषण का निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम	2011-12				2012-13				2013-14				2014-15				2015-16			
		लक्ष्य	उपलब्धि	कर्मी	कर्मी का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	कर्मी	कर्मी का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	कर्मी	कर्मी का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	कर्मी	कर्मी का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	कर्मी	कर्मी का प्रतिशत
1	कानपुर	70	32	38	54.29	75	14	61	81.33	90	60	30	33.33	100	44	56	56.00	100	35	65	65.00
2	अलीगढ़	35	55	(20)	(57.14)	45	27	18	40.00	45	5	40	88.89	45	54	0	0	45	11	34	0
3	गाजियाबाद	80	80	0	0	90	94	(4)	(4.44)	125	95	30	24.00	130	98	32	24.62	130	64	66	50.77
4	नोएडा	40	42	(2)	(5)	45	81	(36)	(80)	112	44	68	60.71	115	13	102	88.70	55	20	35	63.64
5	लखनऊ	100	120	(20)	(20)	125	172	(47)	(37.60)	135	108	27	20.00	150	67	83	55.33	150	70	80	53.33
6	बरेली	65	73	(8)	(12.31)	65	68	(3)	(4.62)	70	75	(5)	(7.14)	80	72	8	10.00	80	81	(1)	(1.23)
7	ग्रेटर नोएडा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	4	71	94.67

(झोत: यूपीपीसीबी द्वारा उपलब्धि करायी गयी सूचना)।

परिशिष्ट 2.19
(प्रस्तर 2.1.10.3 में सन्दर्भित)
बोर्ड का आंतरिक नियंत्रण तंत्र

प्रधान कार्यालय नीतियाँ बनाने का केन्द्र है और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए मदद उपलब्ध कराता है। यह बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य सचिव और परिषिष्ट अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक परिवेश में स्थानीय अन्तर के मध्य, जहाँ उचित हो, नीतियों का सतत क्रियान्वयन हो। प्रधान कार्यालय उन 40 श्रेणियों की प्रदूषणकारी परियोजनाओं को एनओसी जारी करता है जिनमें पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (ईआईए) की अधिसूचना आवश्यक है। 40 श्रेणी की परियोजनाओं की सहमति भी प्रधान कार्यालय से जारी की जाती हैं। शेष सभी उद्योगों की एनओसी और सहमति के आवेदन का निपटारा क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन है।

क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रमुख प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ हैं—उद्योगों, अस्पतालों और स्थानीय निकायों का निरीक्षण करना; जलाशयों और अपशिष्ट जल का अनुश्रवण; परिवेशी वायु और स्टैक उत्सर्जन का अनुश्रवण; पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थलों की उपयुक्ता की जाँच करने हेतु निरीक्षण; उद्योगों के लिए एनओसी और संचालन हेतु सहमति के मुद्दे पर संबंधित मामलों में प्रधान कार्यालय के लिए विवरण प्रस्तुत करना तथा शिकायतों की जाँच से संबंधित कार्यों को देखना आदि। उपकर रिटर्न सत्यापित करना, जल (निवारण और प्रदूषण नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 यथा संशोधित के तहत लघु उद्योगों की उपकर राशि का आकलन आदेश तैयार करना एवं उसका संग्रह करना; क्षेत्र में नए उद्योगों की स्थापना के लिए शीघ्र विलयरेंस के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना; क्षेत्र में सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सार्वजनिक जागरूकता हेतु कार्यक्रमों की व्यवस्था करना; परिसंकटमय अपशिष्ट के निपटान के लिए स्थलों की पहचान करना; परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत प्राधिकार देने के लिए प्रस्ताव बनाना; एनएएक्यूएम (राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुश्रवण) की योजनाओं और बोर्ड के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में डेटा संग्रह और समेकित करना, क्षेत्राधिकार में प्राप्त शिकायतों पर कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू करना; नमूनों को प्राप्त करना और विश्लेषण करना; क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के उचित कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक रसायनों, उपकरणों व यंत्रों आदि का क्रय और स्थानीय स्तर पर प्रदूषण से संबंधित कोई अन्य विषय।

(स्रोत: संबंधित अधिनियम/नियम एवं यूपीपीसीबी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)।

परिशिष्ट 2.20

(प्रस्तर 2.1.10.3 में सन्दर्भित)

जनशक्ति की कमी का विवरण

क्र०सं०	संवर्ग का नाम	कुल स्वीकृत पद	वास्तविक संख्या	कमी	कमी का प्रतिशत
1	वैज्ञानिक	214	189	25	11.68
2	अभियांत्रिकी	181	120	61	33.70
3	लेखा	41	29	12	29.27
4	विधि	17	9	8	47.06
5	कलर्क और अन्य	366	300	66	18.03
योग		819	647	172	21 प्रतिशत

(स्रोत: यूपीपीसीबी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)।

परिशिष्ट-2.21
(प्रस्तर 2.2.1 में सन्दर्भित)
चयनित योजनाओं के अन्तर्गत कार्य की प्रकृति

(स्तम्भ 4 में आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्रमांक	केन्द्रीय / राज्य योजना	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5
1	केन्द्रीय	बांदा में सिमोनी पर्यटक परिसर का निर्माण	4.48	विस्तारीकरण
2	केन्द्रीय	बरसाना मथुरा का पर्यटन विकास	3.56	उन्नयन
3	केन्द्रीय	सारनाथ रामनगर (मेगा परियोजना) वाराणसी के पर्यटन स्थलों का विकास	14.95	उन्नयन
4	केन्द्रीय	शाहजहाँ पार्क, फतेहपुर सीकरी और शिल्पग्राम का विकास	15.7	उन्नयन एवं विस्तारीकरण
5	केन्द्रीय	ताज नेचर वॉक आगरा का विकास	2.57	उन्नयन
6	केन्द्रीय	अवंतिकादेवी मंदिर बुलंदशहर के पास घाट का निर्माण	4.08	विस्तारीकरण
7	केन्द्रीय	शिव धाम शाहपुर, सुल्तानपुर का पर्यटन विकास	2.27	उन्नयन
8	केन्द्रीय	मां चंद्रिका देवी धाम लखनऊ का सौंदर्यीकरण और विकास	3.04	उन्नयन
9	केन्द्रीय	वाराणसी के ऐतिहासिक स्थलों पर सूचना पट्टों की स्थापना	3.89	विस्तारीकरण
10	केन्द्रीय	बुलंदशहर में गंगा नदी के तट पर मांझू आश्रम में घाट का निर्माण	4.52	विस्तारीकरण
11	केन्द्रीय	रायबरेली में विभिन्न स्थानों का पर्यटन विकास	6.49	उन्नयन
12	केन्द्रीय	झांसी / ललितपुर में बरुआ सागर, ताल बहेट का विकास	5.59	उन्नयन
13	केन्द्रीय	कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर में थीम पार्क का विकास	3.67	विस्तारीकरण
14	केन्द्रीय	मथुरा वृदावन का मेगा परियोजना, मथुरा के अन्तर्गत विकास	33.2	उन्नयन एवं विस्तारीकरण
15	केन्द्रीय	प्रतापगढ़ में चौहर्जन देवी धाम, सवाना बाबा मजार परिसर, शिव मंदिर, बाबा बेलधर नाथ धाम का पर्यटन विकास	6.43	उन्नयन
16	केन्द्रीय	अयोध्या, फैजाबाद का पर्यटन परिपथ के रूप में विकास	8.65	उन्नयन
17	केन्द्रीय	गढ़मऊ कसकु झील, झांसी के बांध का पर्यटन विकास	6.27	उन्नयन एवं विस्तारीकरण
18	केन्द्रीय	बदायूं और सम्मल का पर्यटन विकास	6.27	उन्नयन
19	केन्द्रीय	जानकी कुण्ड सफाइपुर, चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान, बद्रिका पक्षी विहार नवाबगंज, गडाकोला और राजाराम बख्श किला उन्नाव का पर्यटन विकास	4.11	उन्नयन एवं विस्तारीकरण
20	केन्द्रीय	प्रमुख धाटों और विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी का सौंदर्यीकरण	17.77	उन्नयन
21	केन्द्रीय	पंचवटी, हनुमान चबूतरा, गहमरी पार्क परिपथ, गाजीपुर का विकास	6.41	उन्नयन एवं विस्तारीकरण
22	केन्द्रीय	कामदगिरी परिक्रमा मार्ग, चित्रकूट का सौंदर्यीकरण	3.64	उन्नयन
23	केन्द्रीय	दुर्गश्वर नाथ मंदिर रुद्रपुर, देवरिया का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण	4.03	उन्नयन
24	केन्द्रीय	गडवा घाट, वाराणसी का पर्यटन विकास	3.79	विस्तारीकरण
25	केन्द्रीय	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रायबरेली की स्थापना	16.73	विस्तारीकरण
26	केन्द्रीय	फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ की स्थापना	9.89	विस्तारीकरण
27	केन्द्रीय	अमहट सुल्तानपुर में सङ्केत सुविधाएं	2.6	उन्नयन
28	केन्द्रीय	वृदावन मेंगा डेरिटनेशन, मथुरा के तहत पर्यटन विकास	9.16	उन्नयन एवं विस्तारीकरण
29	केन्द्रीय	नाइट बाजार, आगरा का विकास	2.77	विस्तारीकरण
30	राज्य	लखनऊ हाट, लखनऊ की स्थापना (2007-08 जो कि 2011-12 में संशोधित)	9.38	विस्तारीकरण
31	राज्य	लखनऊ हाट, लखनऊ की स्थापना (2011-12)	9.38	विस्तारीकरण
32	राज्य	शिल्प ग्राम आगरा में 150 बिस्तर के डोरमैटरी का निर्माण	2.35	विस्तारीकरण
33	राज्य	सलखान फॉसिल पार्क और लेखानिया पेंटिंग सोनभद्र का विकास	2.06	उन्नयन
34	राज्य	अयोध्या, फैजाबाद में सत्संग भवन और रैनबरसेरा का निर्माण	4.67	विस्तारीकरण
35	राज्य	ताजगंज आगरा में सङ्केत का नवीनीकरण	197.27	उन्नयन
36	राज्य	दुधवा नेशनल पार्क का सौंदर्यीकरण	17.96	उन्नयन

1	2	3	4	5
37	राज्य	ऐतिहासिक जलकुंडो का विकास मथुरा	9.16	उन्नयन
38	राज्य	ललितपुर में बोट क्लब, जखनौल नहर पंप और ऐतिहासिक सुमेरा तालाब का निर्माण / पर्यटन विकास / सौंदर्योकरण	6.7	उन्नयन एवं विस्तारीकरण
39	राज्य	अर्बन हाट, वाराणसी का उन्नयन	2.05	उन्नयन
40	राज्य	गेस्ट हाउस का निर्माण और तुलसी स्मारक राजापुर चित्रकूट का सौंदर्योकरण	2.4	उन्नयन एवं विस्तारीकरण
41	राज्य	चंद्रिका देवी मन्दिर बक्सर, उन्नाव का विकास	2.76	उन्नयन एवं विस्तारीकरण
42	राज्य	कैसरबाग गेट लखनऊ में फलड लाइट की स्थापना	2.99	विस्तारीकरण
43	राज्य	गाजीपुर में तीन पर्यटन स्थलों/घाटों का निर्माण	8.69	विस्तारीकरण
44	राज्य	रामघाट चित्रकूट में विस्तारीकरण और सौंदर्योकरण का कार्य	15.88	उन्नयन एवं विस्तारीकरण
45	राज्य	10 ऐतिहासिक जलकुंडो और तालाबों का जीर्णोद्धार	12.08	उन्नयन
46	राज्य	गढ़मुक्तेश्वर बृज घाट, हापुड़ में घाटों का निर्माण और जीर्णोद्धार	25.46	उन्नयन एवं विस्तारीकरण
47	राज्य	लखनऊ में हेरिटेज गोल्डन आर्क योजना के तहत साइन बोर्ड की स्थापना	4.99	विस्तारीकरण
48	राज्य	कन्नौज में मेहंदी घाट का पर्यटन विकास	19	विस्तारीकरण
49	राज्य	बारा गाजीपुर में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर घाट का विकास	2.29	विस्तारीकरण
50	राज्य	गाजीपुर में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर कीनाराम घाट का निर्माण	2.36	विस्तारीकरण
51	राज्य	गहमर, गाजीपुर में कामाख्या धाम का विकास और सौंदर्योकरण	3.17	उन्नयन एवं विस्तारीकरण
52	राज्य	राही पर्यटक आवास, चित्रकूट का विस्तारीकरण एवं जीर्णोद्धार	3.94	उन्नयन एवं विस्तारीकरण
53	राज्य	सनौली महाराजगंज में पर्यटन स्वागत केन्द्र का निर्माण	7	विस्तारीकरण
54	राज्य	रेजीडेंजी, लखनऊ में ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था	5.58	उन्नयन

नोट: उन्नयन और विस्तारीकरण गतिविधियों के आधार पर विभाग के द्वारा योजनाओं में कोई अन्तर नहीं किया गया है। हालांकि मुख्यालय के निर्देशों के अनुपालन में, योजनाओं को उनमें अन्तर्निहित कार्य की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

परिशिष्ट-2.22

(प्रस्तर 2.2.3 में संदर्भित)

2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए बजट विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रं०सं०	वित्तीय वर्ष	राज्य पूँजीगत बजट	पर्यटन विभाग को प्रदान बजट	राज्य बजट में से पर्यटन विभाग को प्रदत्त बजट का प्रतिशत
1	2011-12	43622.72	66.69	0.15
2	2012-13	47147.00	99.13	0.21
3	2013-14	53308.99	93.98	0.18
5	2014-15	77279.71	145.47	0.19
6	2015-16	86931.14	178.06	0.20
योग		308289.56	583.33	0.19

परिशिष्ट-2.23

(प्रस्तर 2.2.3 में संदर्भित)

वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में किया गया परिपथ वार व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रं सं०	परिपथ का नाम	योजना का वित्त पोषण	योजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत	अप्रैल 2011 से अवमुक्त निधि	अप्रैल 2011 से किए गए व्यय	निर्गत निधि के सापेक्ष किये गये व्यय का परिपथ वार प्रतिशत	व्यय का परिपथ वार प्रतिशत	
1	ब्रज परिपथ	केन्द्रीय	9	75.51	28.72	36.00			
		राज्य	20	230.04	126.64	90.42			
		योग	29	305.55	155.36	126.42	81.37	37.24	
2	अवध परिपथ	केन्द्रीय	14	62.63	28.34	22.99			
		राज्य	95	88.35	57.84	41.17			
		योग	109	150.98	86.18	64.16	74.45	18.90	
3	विध्य परिपथ	केन्द्रीय	9	50.48	30.66	17.11			
		राज्य	156	62.45	47.48	33.65			
		योग	165	112.93	78.14	50.76	64.96	14.95	
4	बौद्ध परिपथ	केन्द्रीय	9	36.19	20.52	25.77			
		राज्य	39	16.47	9.90	5.18			
		योग	48	52.66	30.42	30.95	101.74	9.11	
5	बुन्देलखण्ड परिपथ	केन्द्रीय	7	28.53	5.60	9.95			
		राज्य	31	44.78	30.89	20.44			
		योग	38	73.31	36.49	30.39	83.28	8.95	
6	ईकोटूरिज्म एवं साहसिक खेल परिपथ	केन्द्रीय	0	0	0	0			
		राज्य	2	19.94	14.98	5.66			
		योग	2	19.94	14.98	5.66	37.78	1.67	
7	जल विहार परिपथ	केन्द्रीय	0	0.00	0.00	0.00			
		राज्य	0	0.00	0.00	0.00			
		योग	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	योजनाएं जो राज्य के किसी भी परिभाषित परिपथ से संबंधित नहीं	केन्द्रीय	10	36.40	22.32	23.54			
		राज्य	23	34.72	16.44	7.63			
		योग	33	71.12	38.76	31.17	80.42	9.17	
कुल योग		केन्द्रीय	58	289.74	136.16	135.36	99.41	39.87	
		राज्य	366	496.75	304.17	204.15	67.12	60.12	
		योग	424	786.49	440.33	339.51	77.10		

परिशिष्ट-2.24

(प्रस्तर 2.2.3 में संदर्भित)
चयनित योजनाओं का परिपथ वार व्यय

(स्तंभ 5,6,7,8 और 9 में आंकड़े ₹ करोड़ में)

105

क्रमसंख्या	परिपथों का नाम	योजना का वित्तीय पोषण	योजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत	अवमुक्त निधि		किया गया व्यय		योजनाओं की भौतिक स्थिति			
					अप्रैल 2011 से मार्च 2016 तक	मार्च 2016 तक	अप्रैल 2011 से	मार्च 2016 तक	पूर्ण चालू	कार्य शुरू नहीं हुआ	निरस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ब्रज परिपथ	केन्द्रीय	6	66.96	25.03	37.70	32.67	32.67	3	1	0	2
		राज्य	4	220.86	117.79	120.14	84.12	84.12	1	3	0	0
		योग	10	287.82	142.82	157.84	116.79	116.79	4	4	0	2
2	अवध परिपथ	केन्द्रीय	8	49.04	23.37	30.42	20.95	20.95	3	4	0	1
		राज्य	8	49.37	26.77	31.78	20.31	20.31	2	5	1	0
		योग	16	98.41	50.14	62.20	41.26	41.26	5	9	1	1
3	विद्य परिपथ	केन्द्रीय	4	36.34	15.60	20.08	5.87	9.12	1	3	0	0
		राज्य	6	21.12	13.20	13.02	9.93	9.93	0	6	0	0
		योग	10	57.46	28.80	33.10	15.80	19.05	1	9	0	0
4	बौद्ध परिपथ	केन्द्रीय	3	22.65	12.48	19.57	19.34	19.34	1	2	0	0
		राज्य	1	7.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0	0	0	1
		योग	4	29.65	14.48	21.57	19.34	19.34	1	2	0	1
5	बुन्देलखण्ड परिपथ	केन्द्रीय	4	14.78	3.63	8.21	7.43	7.43	1	3	0	0
		राज्य	4	28.92	19.77	19.77	14.29	14.29	0	4	0	0
		योग	8	43.70	23.40	27.98	21.72	21.72	1	7	0	0
6	इको टूरिज्म एवं साहसिक खेल परिपथ	केन्द्रीय	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
		राज्य	1	17.96	13.00	13.00	3.76	3.76	0	1	0	0
		योग	1	17.96	13.00	13.00	3.76	3.76	0	1	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	जल विहार परिपथ	केन्द्रीय	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
		राज्य	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
		योग	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
8	योजनाएं जो राज्य के किसी भी परिभाषित परिपथ से संबंधित नहीं	केन्द्रीय	4	19.62	7.69	11.00	8.93	8.93	2	1	1	0
		राज्य	1	25.45	10.00	10.00	3.75	3.75	0	1	0	0
		योग	5	45.07	17.69	21.00	12.68	12.68	2	2	1	0
	योग	केन्द्रीय	29	209.39	87.80	126.98	95.19	98.44	11	14	1	3
		राज्य	25	370.68	202.53	209.71	136.16	136.16	3	20	1	1
	महायोग		54	580.07	290.33	336.69	231.35	234.60	14	34	2	4

परिशिष्ट-2.25

(प्रस्तर 2.2.3.1 में संदर्भित)

योजनाओं का विवरण जिन्हें सीधे पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेजा गया

क्रमसंख्या	योजना का नाम	भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने की तिथि	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)
1	बांदा में सिमौनी पर्यटक परिसर का निर्माण	अक्टूबर-06	3.98
2	सारनाथ रामनगर (मेगा परियोजना) वाराणसी के पर्यटन स्थलों का विकास	सितम्बर-08	14.16
3	रायबरेली में विभिन्न स्थानों का पर्यटन विकास	फरवरी-09	6.49
4	झांसी / ललितपुर में बरुआ सागर, ताल बेहट का विकास	फरवरी-09	5.06
5	मां चंद्रिका देवी धाम लखनऊ का सौंदर्योक्तरण और विकास	दिसम्बर-09	3.02
6	ताज नेचर वॉक आगरा का विकास	जनवरी-10	3.33
7	अवंतिकादेवी मंदिर बुलंदशहर के पास घाट का निर्माण	मार्च-10	4.13
8	गढ़मऊ कसऊ झील झांसी के बांध का पर्यटन विकास	अगस्त-10	5.86
9	वाराणसी के ऐतिहासिक स्थलों पर सूचना पट्टों की स्थापना	फरवरी-11	3.89
10	अयोध्या फैजाबाद का पर्यटन परिपथ के रूप में विकास	सितम्बर-12	6.56
11	वृदावन मेगा डेस्टिनेशन, मथुरा के तहत पर्यटन विकास	सितम्बर-13	7.90
योग			64.38

परिशिष्ट-2.26
(प्रस्तर 2.2.4.1 में संदर्भित)
पूर्ण योजनाओं की स्थिति को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र० सं	केन्द्रीय / राज्य योजना	योजना का नाम	कुल स्वीकृत लागत (भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा)	भारत सरकार / उत्तर प्रदेश शासन की स्वीकृति (महीना-वर्ष)	पूर्ण करने का तय माह	पूर्ण होने का वास्तविक महीना	पूर्ण होने में विलम्ब (महीने)	हस्तगत करने का महीना
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	केन्द्रीय	बांदा में सिमौनी पर्यटक परिसर का निर्माण	4.48	नवम्बर-06	नवम्बर-07	अक्टूबर-14	88	दिसम्बर-14
2	केन्द्रीय	बरसाना मथुरा का पर्यटन विकास	3.56	अक्टूबर-07	अप्रैल-09	अक्टूबर-12	41	जनवरी-14
3	केन्द्रीय	सारनाथ रामनगर (मेगा परियोजना) वाराणसी के पर्यटन स्थलों का विकास	14.95	दिसम्बर-08	दिसम्बर-10	दिसम्बर-14	48	मार्च-15
4	केन्द्रीय	रायबरेली में विभिन्न स्थानों का पर्यटन विकास	6.49	फरवरी-09	फरवरी-11	मार्च-13	24	प्रतीक्षारत
5	केन्द्रीय	शाहजहाँ पार्क, फतेहपुर सीकरी और शिल्पग्राम का विकास	15.7	फरवरी-10	फरवरी-12	नवम्बर-14	36	मार्च-14
6	केन्द्रीय	ताज नेचर वॉक आगरा का विकास	2.57	फरवरी-10	फरवरी-12	सितम्बर-13	19	प्रतीक्षारत
7	केन्द्रीय	अवंतिकादेवी मंदिर बुलंदशहर के पास घाट का निर्माण	4.08	सितम्बर-10	जनवरी-12	अगस्त-12	6	मई-13
8	केन्द्रीय	शिव धाम शाहपुर, सुल्तानपुर का पर्यटन विकास	2.27	अगस्त-11	जनवरी-12	मार्च-15	32	प्रतीक्षारत
9	केन्द्रीय	मां चंद्रिका देवी धाम लखनऊ का सौंदर्योक्तरण और विकास	3.04	अक्टूबर-12	अक्टूबर-13	मार्च-14	6	मार्च-15
10	केन्द्रीय	वाराणसी के ऐतिहासिक स्थलों पर सूचना पट्टों की स्थापना	3.89	अक्टूबर-12	अप्रैल-13	जून-14	13	प्रतीक्षारत
11	केन्द्रीय	बुलंदशहर में गंगा नदी के तट पर मांडू आश्रम में घाट का निर्माण	4.52	जून-13	दिसम्बर-13	दिसम्बर-14	12	दिसम्बर-14
12	राज्य	लखनऊ हाट, लखनऊ की स्थापना (2007-08)	9.38	मार्च-08	तय नहीं	मार्च-14	लागू नहीं	संशोधित
13	राज्य	लखनऊ हाट, लखनऊ की स्थापना (2011-12)	9.38	अगस्त-11	तय नहीं	मार्च-14	लागू नहीं	प्रतीक्षारत
14	राज्य	शिल्प ग्राम आगरा में 150 बिस्तर के डोरमैटरी का निर्माण	2.35	जनवरी-10	तय नहीं	फरवरी-12	लागू नहीं	प्रतीक्षारत

परिशिष्ट-2.27
(प्रस्तर 2.2.4.2 में संदर्भित)
चालू केन्द्रीय वित्त पोषित योजनाओं में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी धन का अवरुद्ध होना

(स्तंभ 3 और 9 में आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र० सं०	योजना का नाम	कुल स्वीकृत लागत (भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा)	भारत सरकार की स्वीकृति (महीना-वर्ष)	उत्तर प्रदेश शासन की स्वीकृति (महीना-वर्ष)	प्रारंभ करने का वास्तविक महीना	पूर्ण होने का निर्धारित महीना	पूर्ण होने में विलम्ब की अवधि मार्च 2016 तक (महीने)	मार्च 2016 तक निर्गत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झांसी/ललितपुर में बरुआ सागर, ताल बेहट का विकास	5.59	सितम्बर-10	फरवरी-11	मार्च-11	अगस्त-12	43	5.59
2	कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर में थीम पार्क का विकास	3.67	सितम्बर-11	मार्च-12	सितम्बर-14	मार्च-13	36	2.59
3	मथुरा वृद्धावन का मेगा परियोजना, मथुरा के अन्तर्गत विकास	33.2	दिसम्बर-11	सितम्बर-12	सितम्बर-12	नवम्बर-13	28	15.89
4	प्रतापगढ़ में चोहर्जन देवी धाम, सवाना बाबा मजार परिसर, शिव मंदिर, बाबा बेलघर नाथ धाम का पर्यटन विकास	6.43	मार्च-12	मार्च-13	अगस्त-13	सितम्बर-13	30	5.14
5	अयोध्या फैजाबाद का पर्यटन परिपथ के रूप में विकास	8.65	मार्च-13	मार्च-14	अप्रैल-14	मार्च-15	12	4.81
6	गढ़मऊ कसऊ झील झासी के बांध का पर्यटन विकास	6.27	मार्च-13	अक्टूबर-14	अक्टूबर-14	मार्च-15	12	1.17
7	बदायूं और सम्मल का पर्यटन विकास	6.27	मार्च-13	जनवरी-14	अप्रैल-14	मार्च-15	12	0.40
8	जानकी कुंड सफीपुर, चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान, बदरिका पंक्षी विहार नवाबगंज, गडाकोला और राजाराम बरखा जिला उन्नाव का पर्यटन विकास	2.82	सितम्बर-13	सितम्बर-14	जनवरी-15	सितम्बर-14	18	2.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	पंचवटी, हनुमान चबूतरा, गहमरी पार्क परिपथ, गाजीपुर का विकास	6.41	मार्च-14	सितम्बर-14	दिसम्बर-14	मार्च-15	12	3.23
10	कामदण्डी परिक्रमा मार्ग, चित्रकूट का सौंदर्यकरण	2.92	मार्च-14	अक्टूबर-14	दिसम्बर-14	अप्रैल-15	11	1.45
11	दूधेश्वर नाथ मंदिर रुद्रपुर देवरिया का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण	4.03	मार्च-14	सितम्बर-14	मार्च-16	सितम्बर-15	6	2.03
12	गडवा घाट, वाराणसी का पर्यटन विकास	3.79	सितम्बर-12	मार्च-13	अक्टूबर-13	सितम्बर-13	30	1.28
	योग	90.05						46.40

परिशिष्ट-2.28

(प्रस्तर 2.2.4.2 में संदर्भित)

कार्य निष्पादन में देरी के कारण केन्द्रीय वित्तीय सहायता का कालातीत होना

(स्तंभ 3, 7, 8, 9, 10 और 11 में आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्रं सं०	योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	योजना के पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	पूर्ण होने में विलम्ब (महीनों में)	प्राप्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता	केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्ति की तिथि	केन्द्रीय वित्तीय सहायता नहीं मिली	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वहन/वहन की जाने वाली केन्द्रीय वित्तीय सहायता	स्तम्भ 9 के सापेक्ष निर्गत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	शिव धाम शाहपुर, सुल्तानपुर का पर्यटन विकास	2.27	जनवरी-12	जून-15	40	1.81	अगस्त-11	0.46	0.33	0.33
2	कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर में थीम पार्क का विकास	3.23	फरवरी-12	अभी जारी है	49	2.58	सितम्बर-11	0.65	0.00	0.00
3	झांसी/ललितपुर में बरुआ सागर, ताल बेहट का विकास	5.06	अगस्त-12	अभी जारी है	43	4.05	अगस्त-10	1.01	0.00	0.00
4	प्रतापगढ़ में चोहर्जन देवी धाम, सवाना बाबा मजार परिसर, शिव मंदिर, बाबा बेलघर नाथ धाम का पर्यटन विकास	6.43	सितम्बर-13	अभी जारी है	30	5.14	अप्रैल-12 और अक्टूबर-12	1.29	0.78	0.00
5	जानकी कुण्ड सफीपुर, चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान, बदरिका पक्षी विहार नवाबगंज, गडाकोला और राजाराम बख्श किला उन्नाव का पर्यटन विकास	4.16	सितम्बर-14	अभी जारी है	16	0.83	अक्टूबर-13	3.33	0.00	0.00

परिशिष्ट-2.30

(प्रस्तर 2.2.4.2 में संदर्भित)

केन्द्रीय वित्त पोषित योजनाओं का विवरण जिनमें निधियों को उत्तर प्रदेश शासन एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निष्क्रिय रखा गया

(स्तं 3, 4, 8, 9, 13 और 14 में आकड़े ₹ करोड़ में)

क्रं सं०	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निष्क्रिय रखी गयी निधि				कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निष्क्रिय रखी गयी निधि				
			भारत सरकार से प्राप्त राशि	भारत सरकार से धन की प्राप्ति का माह	कार्यदायी संस्थाओं को धन निर्गत करने का माह	छ: महीने से परे निष्क्रिय निधि (माह मार्च 2016 तक)	कार्यदायी संस्थाओं को निर्गत निधि	निधि को निर्गत करने का माह	कार्य प्रारंभ का माह	निष्क्रिय रखी गयी निधि (माह मार्च 2016 तक)	निष्क्रिय धन पर ब्याज की हानि (4 प्रतिशत की दर से)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बांदा में सिमौनी पर्यटक परिसर का निर्माण	4.48	3.18	नवम्बर-06	मार्च-08	9	3.18	मार्च-08	सितम्बर-10	29	0.31
2	बरसाना मधुरा का पर्यटन विकास	3.56	2.56	अक्टूबर-07	मार्च-08	0	2.56	मार्च-08	जून-10	26	0.22
3	फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ की स्थापना	4.75	2.00	दिसम्बर-07	निर्गत नहीं	92	0	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0.00
4	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (आईएमएच) रायबरेली की स्थापना	16.73	4.00	अप्रैल-08	सितम्बर-10 (वापसी)	22	0	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0.00
5	रायबरेली में विभिन्न स्थानों का पर्यटन विकास	6.49	0.05 5.14	फरवरी-09 मार्च-09	मार्च-11 मार्च-11	18 17	5.19	मार्च-11	मई-11	1	0.02
6	शाहजहाँ पार्क, फतेहपुर सीकरी और शिल्पग्राम का विकास	15.70	8.26	फरवरी-10	अक्टूबर-11	13	0.27	अक्टूबर-11	जुलाई-11	0	0.00
7	ताज नेचर वॉक आगरा का विकास	2.57	1.62	फरवरी-10	जून-10	0	1.28	जून-10	अक्टूबर-10	3	0.01
8	अमहट सुल्तानपुर में सड़क सुविधाएं	2.60	1.85	जुलाई-10	फरवरी-11	0	1.85	फरवरी-11	फरवरी-13 (वापसी)	23	0.14
9	मधुरा वृद्धावन का मेगा परियोजना, मधुरा के अन्तर्गत विकास	33.20	15.89	दिसम्बर-11	अक्टूबर-12	3	2.18	अक्टूबर-12	सितम्बर-12	0	0.00
10	प्रतापगढ़ में चाहेजन देवी धाम का पर्यटन विकास	6.43	2.06 3.08	मई-12 अक्टूबर-12	अप्रैल-13 अगस्त-13	4 3	1.03	अप्रैल-13	अगस्त-13	3	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	गडवा घाट, वाराणसी का पर्यटन विकास	3.79	3.21	सितम्बर-12	अप्रैल-13	0	1.28	अप्रैल-13	अक्टूबर-13	5	0.02
12	मां चंद्रिका देवी धाम लखनऊ का सौंदर्योकरण और विकास	3.04	2.42	अक्टूबर-12	मार्च-13	0	1.22	मार्च-13	अगस्त-13	4	0.02
13	वाराणसी के ऐतिहासिक स्थलों पर सूचना पट्टों की स्थापना	3.89	3.11	अक्टूबर-12	मार्च-13	0	3.11	मार्च-13	नवम्बर-13	7	0.07
14	अयोध्या फैजाबाद का पर्यटन परिपथ के रूप में विकास	8.65	1.31	मार्च-13	मार्च-14	5	1.31	मार्च-14	अप्रैल-14	0	0.00
15	गढ़मऊ कसऊ झील झांसी के बांध का पर्यटन विकास	6.27	1.17	मार्च-13	अक्टूबर-14	12	1.17	अक्टूबर-14	अक्टूबर-14	0	0.00
16	बदायूं और सम्मल का पर्यटन विकास	6.27	0.40	अप्रैल-13	मार्च-14	4	0.40	मार्च-14	अप्रैल-14	0	0.00
17	जानकी कुंड सफीपुर का पर्यटन विकास	4.11	0.83	अक्टूबर-13	सितम्बर-14	4	0.83	सितम्बर-14	जनवरी-15	3	0.01
18	प्रमुख घाटों और विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी का सौंदर्योकरण	17.77	3.60	फरवरी-15	मार्च-15	0	3.60	मई-15	अगस्त-15	2	0.02
योग		150.29	65.74				30.46				0.85

परिशिष्ट-2.31

(प्रस्तर 2.2.4.3 में संदर्भित)

बिना किसी पूर्व निर्धारित समयबद्ध सीमा के चल रही उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्त पोषित योजनाओं का विवरण

क्रं सं०	योजना का नाम	स्वीकृति राशि (₹ करोड़ में)	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृति (महीना-वर्ष)	कार्य का वास्तविक प्रारम्भ (महीना-वर्ष)	स्वीकृति की तारीख से मार्च 2016 तक महीने की संख्या
1	सलखान फॉसिल पार्क और लेखानिया पेटिंग सोनमढ़ का विकास	1.85	जनवरी-13	जनवरी-13	38
2	अयोध्या, फैजाबाद में सत्संग भवन और रैनबर्सेरा का निर्माण	4.67	मार्च-13	अक्टूबर-13	36
3	ताजगंज आगरा में सड़कों का नवीनीकरण	197.27	अक्टूबर-13	जून-14	29
4	दुधवा नेशनल पार्क का सौंदर्यीकरण	17.96	दिसम्बर-13	जून-14	27
5	ऐतिहासिक जलकुंडों का विकास, मथुरा	9.16	जनवरी-14	जनवरी-14	26
6	ललितपुर में बोट क्लब, जखनौल नहर पंप और ऐतिहासिक सुमेरा तालाब का निर्माण / पर्यटन विकास / सौंदर्यीकरण	6.70	मार्च-14	जून-14	24
7	अर्बन हाट, वाराणसी का उन्नयन	2.05	मार्च-14	अगस्त-14	24
8	गेस्ट हाउस का निर्माण और तुलसी स्मारक राजापुर चित्रकूट का सौंदर्यीकरण	2.40	मार्च-14	लागू नहीं	24
9	फैसर बाग गेट लखनऊ में फ्लड लाइट की स्थापना	2.99	अक्टूबर-14	दिसम्बर-14	17
10	गाजीपुर में तीन पर्यटन स्थलों/घाटों का निर्माण	8.69	नवम्बर-14	लागू नहीं	16
11	रामघाट चित्रकूट का विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य	15.88	नवम्बर-14	लागू नहीं	16
12	10 ऐतिहासिक जलकुंडों और तालाबों का जीर्णोद्धार	12.08	मार्च-15	अप्रैल-15	13
13	गढ़मुक्तेश्वर बृज घाट, हापुड़ में निर्माण और जीर्णोद्धार	25.46	मार्च-15	अक्टूबर-15	13
14	लखनऊ में हैरिटेज गोल्डन आर्क योजना के तहत साइन बोर्ड की स्थापना	4.99	मार्च-15	मई-15	13
15	कन्नौज में मेंहदी घाट का पर्यटन विकास	19.00	मई-15	अप्रैल-15	10
16	बारा गाजीपुर में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर घाट का विकास	2.29	जून-15	लागू नहीं	9
17	गाजीपुर में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर कौनाराम घाट का निर्माण	2.36	जून-15	लागू नहीं	9
18	चंद्रिका देवी मन्दिर बक्सर, उन्नाव का विकास	2.76	मार्च-14	जनवरी-15	24
19	गहमर, गाजीपुर में कामाख्या धाम का विकास और सौंदर्यीकरण	3.17	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
20	राहीं पर्यटक आवास चित्रकूट का जीर्णोद्धार एवं विस्तारीकरण	3.94	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
योग		345.67			

परिशिष्ट-2.32

(प्रस्तर 2.2.4.3 में संदर्भित)

राज्य वित्त पोषित योजनाओं में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निष्क्रिय रखी गयी निधि के कारण ब्याज की हानि

(स्तंभ 3,4,9 और 10 में आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र०सं०	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	कार्यदायी संस्थाओं को निर्गत निधि	कार्यदायी संस्था का नाम	निधि निर्गत करने का माह	कार्य प्रारम्भ का महीना	निधि निष्क्रिय पड़ी रही (महीनों में मार्च 2016 तक)	4 प्रतिशत की दर से निष्क्रिय माह के लिए ब्याज की हानि
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	लखनऊ हाट, लखनऊ की स्थापना	9.38	5.00	यूपीआरएनएन	अप्रैल-08	सितम्बर-11	40	0.67
2	दुधवा नेशनल पार्क का सौंदर्यीकरण	17.96	5.00	यूपीआरएनएन	दिसम्बर-13	जून-14	5	0.08
3	ललितपुर में बोट क्लब, जखनौल नहर पंप और ऐतिहासिक सुमेरा तालाब का निर्माण/पर्यटन विकास/सौंदर्यीकरण	6.70	1.00	यूपीपीसीएल (परियोजना)	मार्च-14	जून-14	2	0.01
4	चंद्रिका देवी मन्दिर बक्सर, उन्नाव का विकास	2.76	1.10	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्	मार्च-14	जनवरी-15	9	0.03
5	सोनौली, महाराजगंज में पर्यटन स्वागत केन्द्र का निर्माण	7.00	1.96	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्	मार्च-15	अगस्त-15 (कार्यदायी संस्था द्वारा निधि वापिस)	4	0.03
6	गढ़मुक्तेश्वर बृज घाट, हापुड़ में निर्माण और जीर्णोद्धार	25.46	5.00	सिंचाइ विभाग	मई-15	अक्टूबर-15	4	0.07
7	रेजीडेंसी, लखनऊ में ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था	5.58	2.79	यूपीआरएनएन	जून-15	प्रारम्भ प्रतीक्षारत	8	0.07
8	गाजीपुर में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर कीनाराम घाट का निर्माण	2.36	1.00	सिंचाइ विभाग	जून-15	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं	8	0.03
	योग	77.20	22.85					0.99

परिशिष्ट-2.33

(प्रस्तर 2.2.4.4 में संदर्भित)

गैर अधिसूचित कार्यदायी संस्थाओं को कार्य के आवंटन को दर्शाती विवरणी

क्रं सं	योजना का नाम	आवंटन का माह	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	कार्यदायी संस्थाएँ जिन्हें कार्य का आवंटन किया गया	कमी की प्रकृति
1	रायबरेली में विभिन्न स्थानों का पर्यटन विकास	मार्च-09	6.49	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	कार्य के आवंटन के समय कार्यदायी संस्था के रूप में अधिसूचित नहीं
2	ऐतिहासिक जलकुंडों का विकास मथुरा	जनवरी-14	9.16	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन	यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन को 5 करोड़ तक की लागत के कार्य के लिए कार्यदायी संस्था अधिसूचित किया गया है
3	ललितपुर में बोट क्लब, जखनौल नगर पंप और ऐतिहासिक सुमेरा तालाब का निर्माण/पर्यटन विकास/सौदर्योकरण	मार्च-14	6.70	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन	
4	10 ऐतिहासिक जलकुंडों और तालाबों का जीर्णोद्धार	मार्च-15	12.08	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन	
5	पंचवटी, हनुमान चबूतरा, गहमरी पार्क परिपथ, गाजीपुर का विकास	सितम्बर-14	6.41	सिंचाई विभाग	
6	अवंतिकादेवी मन्दिर बुलंदशहर के पास घाट का निर्माण	जनवरी-11	4.08	सिंचाई विभाग	कार्यदायी संस्था के रूप में अधिसूचित नहीं
7	गढ़मऊ कसआ झील झांसी के बांध का पर्यटन विकास	अक्टूबर-14	6.27	सिंचाई विभाग	
8	रामघाट चित्रकूट का विस्तारीकरण और सौदर्योकरण का कार्य	नवम्बर-14	15.88	सिंचाई विभाग	
9	गढ़मुक्तेश्वर बृज घाट, हापुड़ में घाट निर्माण और जीर्णोद्धार	मार्च-15	25.46	सिंचाई विभाग	
10	प्रमुख घाटों और विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी का सौदर्योकरण	नवम्बर-14	17.77	उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड और नगर निगम, वाराणसी	कार्यदायी संस्था के रूप में अधिसूचित नहीं
योग			110.30		

परिशिष्ट-2.34

(प्रस्तर 2.2.4.4 में संदर्भित)

तकनीकी स्वीकृति के बिना कार्य का प्रारम्भ

क्रं सं	योजना का नाम	स्वीकृति लागत (₹ करोड़ में)	कार्यदायी संस्था का नाम	प्रारंभ होने की वास्तविक तिथि	तकनीकी स्वीकृति की तिथि
1	शिल्प ग्राम आगरा में 150 बिस्तर के डॉरमेट्री का निर्माण	2.35	यूपीआरएनएन, इकाई—आगरा	जनवरी-10	जुलाई-10
2	शाहजहाँ पार्क, फतेहपुर सीकरी और शिल्पग्राम का विकास	15.70	यूपीआरएनएन सूडा, इकाई—आगरा	सितम्बर-10	नवम्बर-10
3	ताज नेचर वॉक आगरा का विकास	2.57	वन विभाग	अक्टूबर-10	अभी तक प्राप्त नहीं हुई
4	झांसी/ललिपुर में बरुआ सागर, ताल बेहट का विकास	5.59	यूपीआरएनएन यूनिट-1 (विद्युत यूनिट), झांसी	मार्च-11	अप्रैल-14
5	मथुरा वृद्धावन का मेगा परियोजना, मथुरा के अन्तर्गत विकास	33.20	यूपीआरएनएन सूडा, इकाई-3, मथुरा	सितम्बर-12	अक्टूबर-14
6	शिव धाम शाहपुर, सुल्तानपुर का पर्यटन विकास	2.27	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी सुल्तानपुर	अक्टूबर-12	फरवरी-14
7	सलखान फासिल पार्क और लेखानिया पैटिंग सोनभद्र का विकास	1.85	वन विभाग	जनवरी-13	अभी तक प्राप्त नहीं हुई
8	आयोध्या, फैजाबाद में सत्संग भवन और रैनबसेरा का निर्माण	4.67	यूपीआरएनएन, इकाई – सुल्तानपुर	अक्टूबर-13	अगस्त-15
9	बदायूं और सम्भल का पर्यटन विकास	6.27	परियोजना प्रबंधक, यूपीआरएनएन	अप्रैल-14	जून-16
10	कैसर बाग गेट लखनऊ में पलड़ लाइट की स्थापना	2.99	यूपीआरएनएन उच्च न्यायालय विद्युत यूनिट लखनऊ	दिसम्बर-14	जून-15
योग		77.46			

परिशिष्ट-2.35

(प्रस्तर 2.2.4.4 में संदर्भित)

कार्यदायी संस्था द्वारा श्रम उपकर जमा न करने का विवरण

(स्तंभ 6, 7, 8 और 9 में आंकड़े ₹ लाख में)

क्रं सं०	योजना का नाम	स्वीकृति की तिथि	निधि को निर्गत करने की तिथि	कार्यदायी संस्था का नाम	किये गये कार्य की लागत	जमा किया जाने वाला श्रम उपकर	जमा किया गया श्रम उपकर	श्रम उपकर का लंबित दायित्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सलखान फॉसिल पार्क और लेखानिया पेटिंग सोनमढ़ का विकास	11.01.2013	07.02.2013	कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर (वन विभाग)	103.00	1.03	0	1.03
2	शिव धाम शाहपुर, सुल्तानपुर का पर्यटन विकास	31.03.2012	16.04.2012	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी सुल्तानपुर	214.00	2.14	0	2.14
योग					317.00	3.17	0	3.17

परिशिष्ट-3.1
(प्रस्तर 3.1 में संदर्भित)
उद्ग्रहित न किये गये अधिभार को दर्शाता विवरण

(राशि ₹ में)

क्रम सं	रजिस्ट्री की तिथि	प्लाट सं	आवंटित प्लाट का क्षेत्रफल (वर्ग० मी० में)	आवंटित दर (₹ प्रति वर्ग० मी०)	प्लाट का विक्रय मूल्य	प्लाट के विक्रय मूल्य पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार
1	2	3	4	5	6 (4*5)	7(6*10/100)
सं अ. योजना का नाम—प्रीत विहार-1						
1	11 दिसम्बर 2009	के-01	15	2505.00	37575.00	3757.50
2	24 फरवरी 2010	के-62	12	13905.00	166860.00	16686.00
3	30 मार्च 2010	के-14	17.4	5241.38	91199.99	9120.00
4	14 मई 2010	के-61	12	8105.00	97260.00	9726.00
5	23 फरवरी 2011	के-81	12	25000.00	300000.00	30000.00
6	12 मई 2011	के-66	12	14255.00	171060.00	17106.00
7	12 मई 2011	के-67	12	14605.00	175260.00	17526.00
8	21 जून 2011	सी-3/08	116.25	12900.00	1499625.00	149962.50
9	08 जुलाई 2011	सी-3/13	116.25	11000.00	1278750.00	127875.00
10	01 नवम्बर 2011	के-60	12	26000.00	312000.00	31200.00
11	01 नवम्बर 2011	के-59	15	25000.00	375000.00	37500.00
12	16 नवम्बर 2011	के-89	12	25600.00	307200.00	30720.00
13	27 दिसम्बर 2011	के-27	15	5600.00	84000.00	8400.00
14	27 दिसम्बर 2011	के-84	12	25000.00	300000.00	30000.00
15	02 मार्च 2012	के-78	12	21500.00	258000.00	25800.00
16	30 मार्च 2012	सी-3/10	116.25	13000.00	1511250.00	151125.00
17	19 सितम्बर 2012	सी-3/05	116.25	16500.00	1918125.00	191812.50
18	22 अक्टूबर 2012	के-85	12	22500.00	270000.00	27000.00
19	17 जुलाई 2013	सी-3/19	116.25	12500.00	1453125.00	145312.50
20	17 जुलाई 2013	सी-3/18	116.25	12400.00	1441500.00	144150.00
योग (अ)			879.90		12047789.99	1204779.00

ब— योजना का नाम—आनंद विहार

1	30 जुलाई 2011	जे-68	450	6000.00	2700000.00	270000.00
2	31 जनवरी 2012	एल-518	200	5500.00	1100000.00	110000.00
3	04 फरवरी 2012	एल-541	200	5500.00	1100000.00	110000.00
4	05 मार्च 2012	जे-63	450	6000.00	2700000.00	270000.00
5	21 मार्च 2012	एल-503	200	5500.00	1100000.00	110000.00
6	26 मार्च 2012	एल-04	200	5500.00	1100000.00	110000.00
7	27 मार्च 2012	जे-083	450	6000.00	2700000.00	270000.00
8	28 मार्च 2012	एल-707	200	5500.00	1100000.00	110000.00
9	30 मार्च 2012	एल-504	200	5500.00	1100000.00	110000.00
10	12 अप्रैल 2012	एल-581	200	5500.00	1100000.00	110000.00
11	20 अप्रैल 2012	एल-501	200	5500.00	1100000.00	110000.00
12	21 मई 2012	एल-559	200	5500.00	1100000.00	110000.00
13	22 मई 2012	एल-524	200	5500.00	1100000.00	110000.00
14	25 मई 2012	एल-583	200	5500.00	1100000.00	110000.00
15	29 मई 2012	एल-557	200	5500.00	1100000.00	110000.00

1	2	3	4	5	6 (4*5)	7(6*10/100)
16	29 मई 2012	एल-08	200	5500.00	1100000.00	110000.00
17	29 मई 2012	एल-11	200	5500.00	1100000.00	110000.00
18	29 मई 2012	एल-12	200	5500.00	1100000.00	110000.00
19	19 जून 2012	एल-515	200	5500.00	1100000.00	110000.00
20	19 जून 2012	एल-521	200	5500.00	1100000.00	110000.00
21	29 जून 2012	एल-526	200	5500.00	1100000.00	110000.00
22	12 जुलाइ 2012	एल-09	200	5500.00	1100000.00	110000.00
23	16 जुलाइ 2012	एल-15	200	5500.00	1100000.00	110000.00
24	04 सितम्बर 2012	एल-543	200	5500.00	1100000.00	110000.00
25	11 सितम्बर 2012	एल-510	200	5500.00	1100000.00	110000.00
26	12 सितम्बर 2012	एल-539	200	5500.00	1100000.00	110000.00
27	12 सितम्बर 2012	एल-540	200	5500.00	1100000.00	110000.00
28	12 सितम्बर 2012	एल-552	200	5500.00	1100000.00	110000.00
29	14 सितम्बर 2012	एल-546	200	5500.00	1100000.00	110000.00
30	14 सितम्बर 2012	एल-594	200	5500.00	1100000.00	110000.00
31	14 सितम्बर 2012	एल-508	200	5500.00	1100000.00	110000.00
32	14 सितम्बर 2012	एल-505	200	5500.00	1100000.00	110000.00
33	14 सितम्बर 2012	एल-500	200	5500.00	1100000.00	110000.00
34	19 सितम्बर 2012	एल-537	200	5500.00	1100000.00	110000.00
35	20 सितम्बर 2012	एल-544	200	5500.00	1100000.00	110000.00
36	20 सितम्बर 2012	एल-591	200	5500.00	1100000.00	110000.00
37	26 सितम्बर 2012	एल-525	200	5500.00	1100000.00	110000.00
38	08 अक्टूबर 2012	एल-550	200	5500.00	1100000.00	110000.00
39	08 अक्टूबर 2012	एल-551	200	5500.00	1100000.00	110000.00
40	08 अक्टूबर 2012	एल-587	200	5500.00	1100000.00	110000.00
41	18 अक्टूबर 2012	एल-592	200	5500.00	1100000.00	110000.00
42	09 नवम्बर 2012	एल-706	200	5500.00	1100000.00	110000.00
43	07 दिसम्बर 2012	एल-502	200	5500.00	1100000.00	110000.00
44	10 दिसम्बर 2012	एल-03	200	5500.00	1100000.00	110000.00
45	13 दिसम्बर 2012	एल-702	200	5500.00	1100000.00	110000.00
46	19 दिसम्बर 2012	एल-584	200	5500.00	1100000.00	110000.00
47	26 दिसम्बर 2012	एल-520	200	5500.00	1100000.00	110000.00
48	07 जनवरी 2013	एल-513	200	5500.00	1100000.00	110000.00
49	04 फरवरी 2013	एल-542	200	5500.00	1100000.00	110000.00
50	04 फरवरी 2013	एल-509	200	5500.00	1100000.00	110000.00
51	06 फरवरी 2013	एल-590	200	5500.00	1100000.00	110000.00
52	23 फरवरी 2013	एल-516	200	5500.00	1100000.00	110000.00
53	14 मार्च 2013	एल-13	200	5500.00	1100000.00	110000.00
54	23 मार्च 2013	एल-554	200	5500.00	1100000.00	110000.00
55	09 अप्रैल 2013	एल-533	200	5500.00	1100000.00	110000.00
56	16 अप्रैल 2013	एल-14	200	5500.00	1100000.00	110000.00
57	20 अप्रैल 2013	एल-547	200	5500.00	1100000.00	110000.00
58	25 जून 2013	एल-07	200	5500.00	1100000.00	110000.00
59	25 जून 2013	एल-523	200	5500.00	1100000.00	110000.00
60	17 जुलाइ 2013	एल-585	200	5500.00	1100000.00	110000.00
61	14 अगस्त 2013	एल-06	200	5500.00	1100000.00	110000.00

1	2	3	4	5	6 (4*5)	7(6*10/100)
62	04 अक्टूबर 2013	एल-64	450	6000.00	2700000.00	270000.00
63	21 अक्टूबर 2013	एल-588	200	5500.00	1100000.00	110000.00
64	05 फरवरी 2014	एल-514	200	5500.00	1100000.00	110000.00
65	28 मार्च 2014	एल-705	200	5500.00	1100000.00	110000.00
66	28 अप्रैल 2014	एल-01	250	5824.00	1456000.00	145600.00
67	26 मई 2014	एल-506	200	5500.00	1100000.00	110000.00
68	15 जुलाइ 2014	एल-519	200	5396.00	1079100.00	107910.00
69	28 जुलाइ 2014	एल-549	200	5401.00	1080200.00	108020.00
70	28 जुलाइ 2014	एल-704	200	5500.00	1100000.00	110000.00
71	30 जुलाइ 2014	एल-16	250	5104.00	1276040.00	127604.00
72	01 अगस्त 2014	के-4	20910	12340.00	258029400.00	25802940.00
73	12 दिसम्बर 2014	एल-535	200	5500.00	1100000.00	110000.00
74	01 जनवरी 2015	एल-570	220	5500.00	1210000.00	121000.00
75	23 फरवरी 2015	एल-708	200	5500.00	1100000.00	110000.00
76	16 मार्च 2015	एल-548	200	5500.00	1100000.00	110000.00
77	07 मई 2015	एल-532	200	5500.00	1100000.00	110000.00
78	12 मई 2015	एल-534	200	5500.00	1100000.00	110000.00
79	23 मई 2015	एल-710	200	5500.00	1100000.00	110000.00
80	27 जुलाइ 2015	एल-713	200	5500.00	1100000.00	110000.00
81	29 जुलाइ 2015	जे-75	450	6000.00	2700000.00	270000.00
82	14 सितम्बर 2015	जी-289	91	5500.00	500500.00	50050.00
योग (ब)			38371.00		355131240.00	35513124.00
योग (अ+ब)			39250.90		367179029.99	36717903.00

परिशिष्ट-3.2
(प्रस्तर 3.4 में संदर्भित)
सरकारी कोष पर ब्याज की हानि प्रदर्शित करता विवरण

(राशि ₹ में)

क्र०स०	मास/वर्ष	सरकारी विभाग का अंश	ब्याज की दर (प्रतिशत में)	अवरुद्ध रहने की अवधि (माह में)	ब्याज*
1	2	4	5	6	7(4x5x6/1200)
1	अप्रैल -2013	7,19,169	9.50	33	1,87,882
2	मई -2013	5,83,005	9.50	32	1,47,694
3	जून-2013	18,11,650	9.25	31	4,32,908
4	जुलाइ -2013	41,78,610	9.25	30	9,66,303
5	अगस्त-2013	79,57,174	9.25	29	17,78,759
6	सितम्बर-2013	142,59,735	9.50	28	31,60,907
7	अक्टूबर-2013	87,13,456	9.50	27	18,62,501
8	नवम्बर-2013	34,61,222	9.50	26	7,12,434
9	दिसम्बर-2013	43,91,111	9.75	25	8,91,944
10	जनवरी-2014	79,91,044	9.75	24	15,58,253
11	फरवरी-2014	22,44,059	9.75	23	4,19,358
12	मार्च-2014	47,21,838	10.00	22	8,65,670
13	अप्रैल-2014	11,83,401	10.00	21	2,07,095
14	मई-2014	32,10,901	10.00	20	5,35,150
15	जून-2014	47,27,438	10.00	19	7,48,511
16	जुलाइ-2014	144,93,537	10.00	18	21,74,030
17	अगस्त-2014	165,39,966	10.00	17	23,43,161
18	सितम्बर-2014	179,36,497	10.00	16	23,91,532
19	अक्टूबर-2014	106,40,013	10.00	15	13,30,001
20	नवम्बर-2014	28,27,915	10.00	14	3,29,923
21	दिसम्बर-2014	36,39,867	10.00	13	3,94,319
22	जनवरी-2015	41,14,888	10.00	12	4,11,488
23	फरवरी-2015	72,71,848	10.00	11	6,66,586
24	मार्च-2015	37,92,241	9.50	10	3,00,219
25	अप्रैल-2015	21,53,565	9.50	9	1,53,441
26	मई-2015	71,23,131	9.50	8	4,51,131
27	जून-2015	116,53,696	9.25	7	6,28,814
28	जुलाइ-2015	136,65,971	9.25	6	6,32,051
29	अगस्त-2015	212,38,865	9.25	5	8,18,581
30	सितम्बर-2015	203,44,506	9.25	4	6,27,288
31	अक्टूबर-2015	78,56,199	8.75	3	1,71,854
32	नवम्बर-2015	80,54,614	8.75	2	1,17,463
33	दिसम्बर-2015	20,06,448	8.75	1	14,630
34	जनवरी-2016	48,73,732	8.75	0	-
योग		25,03,81,312			2,84,31,881

* ब्याज दर 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान रेपो दर से 2 प्रतिशत से अधिक है।



